(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] विधान सभा के सप्तम् सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार

20 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

(सिंचाई, चिकित्सा, वित्त, शिक्षा, जनसम्पर्क, खनिज, अकाल सहायता, यातायात, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य गृह, योजना, आयुर्वेद एवं सार्वजनिक निर्माण-विभाग)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

जयपुर-सुजानगढ़ मार्ग पर चलने वाली बसों से यात्रियों को असुविधा

43. **श्री दीपंकर (लाडनूं) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से सुजानगढ़ के लिये सायं पांच बजे निगम की एक बस जाती है जो रात को सुजानगढ़ ठहर कर सुबह छः बजे सुजानगढ़ से रवाना होकर जयपुर आती है? इस बस को तेरह किलोमीटर आगे लाडनूं तक चलाया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो इस बस को लाडनूं तक चलाने का इरादा कब तक है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर-लाडनूं जाने वाले यात्री रात को सुजानगढ़ जाकर रुक जाते हैं और उनके लाडनूं जाने का कोई साधन नहीं होने की सूरत में वे परेशान होते हैं? क्या इस विषय की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं? अगर हां, तो उन्हें तत्परता से दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम ने डीडवाना से रतनगढ़ वाया लाडनूं-सुजानगढ़ मार्ग का सर्वे बसें चलाने हेतु करवाया है? अगर हां, तो सरकार का इरादा इस मार्ग पर बसें चलाने का कब तक है?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): (1) जी हां,। सुजानगढ़-लाडनूं मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना दिनांक 8-11-74 को प्रकाशित कर दी गई है। योजना के अनुमोदन होने एवं मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के उपरान्त जयपुर से लाडनूं सीधी बस सेवा उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

(2) निगम को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा इस प्रकार की असुविधा मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने पर ही दूर हो सकेगी।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(3) निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना दिनांक 8-11-74 को प्रकाशित कर दी गई है। योजना के अनुमोदित होने पर इस मार्ग पर निगम द्वारा बस संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वो काफी संतोषजनक है इसके लिये मुझे खुशी है। लेकिन गजट में जो प्रकाशित हुआ है वह जयपुर-लाडनूं मार्ग प्रकाशित नहीं हुआ है किन्तु वाया रतनगढ़ प्रकाशित हुआ है। लाडनूं से बीदासर रतनगढ प्राइवेट बसें चलती है। सुजानगढ़ से लाडनूं आने तक कोई व्यवस्था नहीं है बस की। लोगों को काफी परेशानी होती है। जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने आपको प्रश्न के भाग 3 में बताया है कि डीडवाना से रतनगढ़ वाया लाडनूं सुजानगढ मार्ग की प्रारूप योजना प्रकाशित कर दी गई है और इसके अनुमोदित होने पर यहां पर निगम की बसें लगा दी जावेंगी।

श्री दीपंकर : लाडनूं और जयपुर को जोड़ने की बात है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसके लिये तो आप अब पूछ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया भाग 2 में भी कि हमारे पास कोई इस प्रकार की शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है। फिर भी मैं यहां निवेदन कर सकता हूँ कि जो प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है उसके अनुमोदित होते ही जो दिक्कतें हैं वे दूर हो जावेंगी।

श्री दीपंकर : लाडनूं बिल्कुल अलग थलग है। जो प्रारूप है उसके अनुमोदित होने पर तो काफी समय लगेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मोटर व्हिकल्स एक्ट के अन्तर्गत जो पूरा प्रोसेस है वह तो पूरा करना ही होगा। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस विषय में जागरूक हूं और ज्योंही अनुमोदित होगी योजना त्यों ही निगम की बसें वहां पर लगा दी जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 44

श्रीमती जमना सोलंकी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला का भवन

45. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला में वाणिज्य कक्ष एवं विज्ञान कक्ष के लिए कमरे उपलब्ध नहीं हैं? अगर हां, तो उनका निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पाठशाला मे विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का अभी तक निर्माण नहीं करवाया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब उक्त प्रयोगशाला का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर में उक्त पाठशाला भवन अपर्याप्त है ? अगर हां, तो पूरा पाठशाला भवन कब तक बनवा दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी हां। जन सहयोग प्राप्त होने पर अथवा सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर इस पर विचार किया जावेगा ?

(2) केवल जीव विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण बाकी है जो जन सहयोग प्राप्त होने पर अथवा राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर करवाया जावेगा।

(3) जी हां। वांछित जन सहयोग प्राप्त होने पर इसे पूरा करवाया जा सकेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वांछित जन सहयोग के लिए मंत्री महोदय ने फरमाया। पहले भी आश्वासन शिक्षा मंत्री महोदय ने दिया था। वांछित जन सहयोग तो दे दिया गया है लेकिन राज्य सरकार से सहयोग मिला नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन सरकार की ओर से मिलेगा ?

शिक्षा-मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भवन निर्माण का प्रश्न है शिक्षा विभाग के पास बहुत कम धनराशि है। चूंकि हमारे पास बहुत कम धनराशि है। तीन चार हजार रुपया आप चाहें तो दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने मेहरबानी की। आपने अभी फरमाया था कि वांछित जनसहयोग प्राप्त होने पर गवर्नमेंट देगी। पहले जनसहयोग दे चुके हैं उस पर भी नहीं दिया। पूरा नहीं दिया वह देंगे क ?

श्री खेतसिंह : करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप ही इसको पूरा करवा दें तो अच्छा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूरल क्षेत्र है जहां पर धनी लोग तो हैं नहीं। ऐसी हालत में उनकी परिस्थितियों को देखते हुए आपको कोई योजना बनानी चाहिए कि रूरल क्षेत्र में बिल्डिंग के अभाव में शिक्षा का प्रसार न हो ऐसा नहीं होना चाहिए। चन्दा करके तो काफी लगा चुके हैं, राज्य सरकार का सहयोग अब अपेक्षित है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आपने दिया उसको दस हजार कर दीजिए तो मान सकते हैं।

श्री खेतसिंह : एक कमरे के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर जिप्सम लि. में हानि

46. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम लि. में श्री दत्ता के कार्यकाल में 31 मार्च, 73 में 35 लाख रुपये की लाइ-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
बिलिटीज पैदा हुई और मार्च, 74 तक उक्त स्थिति 75 लाख की हानि तक पहुंच गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी को उक्त हानि क्रूजिंग और ट्रान्सपोर्टेशन का पेमेन्ट प्राइवेट पार्टीज को करने के कारण हुई ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रासपोर्टेशन के लिये दस लाख रुपये युनिवर्सल माइनर्स और क्रूशर्स के नाम पर युनिवर्सल सप्लाई कारपोरेशन के श्री सोगानी को दिये गये ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशि की अदायगी का विरोध लक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट के श्री तिवारी एवं दुर्गा बस सर्विस के श्री शर्मा द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि दो डोगर्स नार्दर्न रेलवे से 3 लाख रुपयों में खरीदे गये जो अनुपयोगी और खराब थे ? यदि हां, तो क्या उनका उपयोग किया गया ?

(6) क्या यह सही है कि राक फास्फेट के 7 ट्रक हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर से स्मगल किये गये जिसमें बीकानेर जिप्सम लि. का हाथ होना भी प्रमाणित हुआ ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) इस कम्पनी का नाम अब राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. है। 31 मार्च, 1973 को विभिन्न मदों के अन्तर्गत कम्पनी की करेन्ट लाइबिलिटीज की राशि 54,07,975 रु. थी। उस वर्ष कम्पनी को डवलपमेन्ट रिबेट रिजर्व के लिये 10,61,699 रु. के प्रावधान को सम्मिलित करते हुए 11,41,101 रु. का लाभ हुआ। अगले वर्ष यानि 1973-74 में जहां कम्पनी की करेन्ट लाइबिलिटीज की राशि 47,92,682 रु. थी कम्पनी को कुल 12,42,665 रु. का लाभ हुआ।

(2) जी नहीं। समस्त लाइबिलिटीज व खर्चों के प्रावधान के बाद कम्पनी को उपरोक्त प्रकार लाभ हुआ है।

(3) युनिवर्सल माइन्स और क्रूशर्स प्रा. लि. को 1972-73 व 1973-74 में ट्रान्सपोर्टेशन के लिये 8,34,104.65 रु. एवं क्रशिंग के लिये 1,14,202.13 रु. का भुगतान उनके साथ हुए अनुबन्ध के आधार पर निम्न तारीखों को किया गया–

ट्रान्सपोर्टेशन :

दिनांक 27-8-73	4,105.90 रु.
दिनांक 18-9-73	75,000.00 रु.
दिनांक 1-10-73	2,52,838.45 रु.
दिनांक 16-2-74	50,000.00 रु.
दिनांक 11-6-74	4,52,160.30 रु.
	8,34,104.65 रु.

क्रशिंग :

दिनांक 1-10-73	38,642.72 रु.
दिनांक 11-6-74	75,559.41 रु.
	1,14,202.13 रु.

(4) जी हां। कम्पनी का इन व्यक्तियों से कोई एग्रीमेन्ट नहीं था। कम्पनी

Page No 5

(5)

(श्री जुझारसिंह)
ने इनके प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कानूनी सलाह ली जिसके अनुसार कम्पनी का इन प्रतिवेदकों के प्रति कोई दायित्व नहीं था। अतः उनके प्रतिवेदनों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(5) दक्षिण पूर्वी रेलवे से 3 बुलडोजर कुछ स्पेयर पार्ट्स सहित 2,10,000 रु. में खरीदे गये। इनकी अभी मरम्मत जारी है और अभी तक उपयोग में नहीं लाये जा सके हैं।

(6) जी नहीं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कम्पनी से बुलडोजर्स पर आ जायें पहले। कब खरीदे गये थे और कब से कब तक इनकी रिपेयर्स आरम्भ है?

श्री जुझारसिंह: करीब दो वर्ष पहले खरीदे गये थे। जैसा कि निवेदन किया उस वक्त में कम्पनी के पास में फाइनेन्शियल स्कीम नहीं थी इसलिये अब रिपेयर के लिये दिये। 2 लाख 10 हजार रुपये में ये बुलडोजर्स खरीदे गये थे। मरम्मत कराके उपयोग में लिया जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको दबाइये मत, मंजूर कर लीजिये। ये बुलडोजर्स रेलवे से खरीदे गये। उनको उपयोग में लिया गया तो उसकी तारीख बता दें। उसके बाद में कब तक उपयोग में आते रहे और कब तक दो तीन लाख रुपया इन पर खर्च किया तो उसके आधार पर यह आइटम तो आपकी निगाह में आ सकता है जिसको आप स्वीकार करेंगे Was it right to oblige the Railways?

श्री जुझारसिंह : केस को दबाने की बात नहीं है। नार्मली 18 लाख रुपये में एक बुलडोजर मिलता है। इससे कम में नहीं मिलता है। रेलवे से इनको लिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपयोग में नहीं लिया। आइडल पड़े हुए हैं। समयावधि बतला दीजिये। इतने अर्से तक इनकी रिपेयर्स क्यों नहीं हुई? क्यों उपयोग में नहीं लिये गये हैं। किन सरकम्सटान्सेज में यह प्रेरणा हुई इनके लिये यह बतला दीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह जो बुलडोजर्स हैं...

श्री दलपतसिंह (खारची) : क्या यह बुलडोजर्स रिपेयर होकर काम में आयेंगे?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप कहते हैं कि काम में नहीं आ रहे, तो क्या इनको श्रृंगार के लिये खरीदा था?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रिपेयर्स पर अनुमानतः कितना खर्चा आयेगा, यह भी बता दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : और रिपेयर्स पर कितना समय लगेगा यह भी बता दें?

श्री जुझारसिंह : यह बुलडोजर्स रिपेयर करवाकर ही काम में लेने के लिये

Page No 6

(6)

(श्री जुझारसिंह)

खरीदे गये थे। वोल्टाज को स्पेयर पार्ट्स के लिये आर्डर्स दिये हुए हैं। तीनों की रिपेयर पर लाख रुपये लग जाने का अन्दाजा है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि रिपेयर्स के बाद यह बुलडोजर्स काम में लिये जायेंगे।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि खरीदने के बाद यह बुलडोजर्स काम में आए ही नहीं और सीधे रिपेयर्स में गए?

श्री जुझार सिंह : यह तो हम भी जानते थे कि रिपेयर हो कर ही बुलडोजर्स काम में आ सकेंगे। इसलिये स्पेयर पार्ट्स लेकर काम में लिये जायेंगे, यह मैं आप को आश्वासन दे रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कब तक काम में लिये जायेंगे, यह पूछ रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 18 लाख के बुलडोजर्स पर 22 लाख खर्चा हो गया, क्या यह सही है?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य को गलतफहमी है। मार्केट में अगर बुलडोजर्स खरीदे जायें तो 18 लाख से कम में नहीं मिलें, हमने पुराने लिये हैं और रेल्वेज से लिये हैं 2.10 लाख रुपये में। किसी प्राईवेट कम्पनी से नहीं लिये हैं। एक लाख रिपेयर्स पर खर्चा होगा, ऐसा एस्टीमेट है। जो कम्पनी इतने लाख टन अर्थ मूव करती है उसे अपने पास कुछ स्पेयर मशीनरी भी रखनी ही होती है, इस लिहाज से अगर तीन लाख का इनवेस्टमेंट किया है, जिससे साल में 50 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो इसे आप फिजूलखर्ची नहीं कह सकते। इसके मुकाबले में राजस्थान केनाल पर कुल मिला कर 150 करोड़ के खर्चे की बात है, उसमें कई करोड़ रुपये की स्पेयर मशीनरी आपको मिलेगी।

एक माननीय सदस्य : वह काम नहीं देती है।

श्री हरिदेव जोशी : देती है या नहीं देती है, आपको रखनी पड़ेगी। कभी एक छोटी सी मशीनरी भी रिपेयर न हो पाने से सारी मशीनरी रुक जाती है और प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इतने बड़े काम के लिए कुछ मशीनरी स्पेयर भी रखनी पड़ती हैं। अगर किसी प्राइवेट पार्टी से डील हुआ होता तब तो आप कुछ भी कह सकते थे, लेकिन रेलवेज से खरीदे हैं। यह आप कह सकते हैं कि नई मशीनरी के मुकाबले में कम समय चलेंगे, लेकिन फिर लागत भी तो कम हुई है और आज भी अगर इस मशीनरी को बेचें तो चार लाख तो मिल ही जायेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां आप जन शक्ति का क्यों नहीं उपयोग करते?

श्री हरिदेव जोशी : वहां पर अगर आप देखेंगे····

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: राजस्थान केनाल पर बीस करोड़ की मशीनरी खरीदी गई और वहां पर ऊंट ही काम कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो टेक्निकल एडवाइज हमें मिली उसमें हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की आवश्यकता बताई गई।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बुल डोजर्स खरीदने से पहले प्रोपोजल एग्जामिन हुआ होगा, उन पर कितना खर्च होगा और वह क्या काम देंगे, ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास है ?

दूसरी बात, बीकानेर जिप्सम जब आपने अपने हाथ में ली, उसके पहले उसकी क्या लायबिलिटीज थीं, इसका ब्योरा दिया जाये।

और तीसरी बात, यह जो आठ ट्रक जिंक स्मेल्टर चोरी गई हैं, और आप उसका इन्कार कर रहे हैं, क्या यह सही है कि रॉक फास्फेट को 8 ट्रक्स उदयपुर से स्मगल की गईं उसमें बीकानेर जिप्सम का हाथ था ? था या नहीं, यह बता दें ? और यह बता दें कि चोरी हुई कि नहीं ? और अगर चोरी गई तो मैं आपके सामने दास्तान रखूं ?

श्री जुझारसिंह : जहां तक मुझे जानकारी है हिन्दुस्तान जिंक से भी मैंने पूछा है और मिस्टर बैनर्जी, जो डायरेक्टर ऑफ माइन्स एण्ड जाओलॉजी हैं उनसे भी पूछा है, उसके बाद जो मेरे पास सूचना है, उसके आधार पर चोरी जाने की कोई इत्तला नहीं है। अगर आपके पास कोई डिटेल्स हों, कोई जानकारी हो, तो आप मुझे दे दें, मैं जांच करवा सकता हूं। हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है कि ट्रक्स चोरी गईं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि रॉक फास्फेट की चोरी हो गई है। उदयपुर के थाने में जाकर देखें, वहां पर इसकी रिपोर्ट हो रखी है और आप कहते हैं कि कोई सामान चोरी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह तो बीकानेर जिप्सम का सवाल है। It does not relate to rock phosphate.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बीकानेर जिप्सम का मैनेजमेंट आपने अपने हाथ में लिया उससे पूर्व श्री दत्ता वहां थे, उस वक्त जो मैंने लायबिलीटीज का जिक्र किया उन लायबिलीटीज का जिक्र ठीक है या नहीं ? इन सारी समस्याओं और अनियमितताओं के सम्बन्ध में बीकानेर जिप्सम का यह प्रश्न उठा है। इसकी रिपोर्ट हुई है और यह गवर्नमेंट के पास गया है और आप चाहें तो मैं वह रिपोर्ट आपको दे दूं। तो क्या आप सारे मसले की जांच करवायेंगे ?

श्री जुझारसिंह : आपने जो प्रश्न पूछा है कि लायबिलिटीज 35 लाख की थीं, वह 35 लाख की नहीं, 54 लाख की थीं जिसमें 31 मार्च को जो पेमेंट्स ड्यू थे वह भी हैं। लेकिन वहां पर जो असेट्स थे वह लायबिलिटीज से ज्यादा थे और कुल मिलाकर कम्पनी को नुकसान नहीं, फायदा हुआ है। आपने जो फर्माया कि हानि हुई है वह हानि नहीं हुई है, लाभ हुआ है और उसकी फीगर्स मैं आपको दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि यह जो मसला मैंने उठाया है यह सारा का सारा जांच किया हुआ मसला

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
है, और वह जांच किया हुआ मसला, जिसके लिये एक्शन लेने के लिये गवर्नमेंट को कहा और गवर्नमेन्ट ने उसको दबा रखा है, आप चाहें तो मैं उसकी रिपोर्ट आपको दे दूं। तो फिर आप कोई कदम उठायेंगे ?

श्री जुझारसिंह : आप कापी दे दें मैं उसे वैलकम करूंगा, लेकिन जो मसला उठाया गया है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : याने मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूं तो भी आप डिगने वाले नहीं हैं ?

श्री जुझारसिंह : जांच करवा देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि आपके पास एक पक्ष तो आया है लेकिन उसकी जांच होकर फाइल हो चुका है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : मेरे पास जो मसला है वह आपका ही मसला है और जांच किया हुआ मसला है।

श्री हरिदेव जोशी : वह दे दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर वह अपने अडिग निर्णय से डिग सकें तो बहुत अच्छा।

श्री जुझारसिंह : आप दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चूरू के जिला कृषि अधिकारी के दौरे

47. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1972–73 में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत चूरू जिले में चरागाह सुधार के जो काम जिला कृषि अधिकारी की देख रेख में हुए उस सिलसिले में उन्होंने कहां कहां का दौरा किया ? उक्त अधिकारी के दौरे की डायरी सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त जिला कृषि अधिकारी द्वारा इस मद्दे का कितना टी. ए. एवं डी.ए. वसूल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री अकाल सहायता (श्री गुलाब सिंह शक्तावत): (1) चरागाह कार्य सिर्फ ग्राम अमृतवासी तहसील डूंगरगढ में ही किया गया था। इस कार्य के सिलसिले में जिला कृषि अधिकारी श्री वी. एम. जोशी ने दिनांक 3–5–73 को सरकारी जीप द्वारा दौरा किया था। इसके सिलसिले में किये गये दौरे से सम्बन्धित यात्रा डायरी का जो उद्धरण जिला कृषि अधिकारी ने भेजा है वह निम्न प्रकार है :

"Started from Churu to Sri Dungargarh at 11.00 A.M. for the selection of soil conservation site. The Agriculture Extension Officer, Sri Dungargarh and M.L.A. Shri Lunaramji were accompanied for the selection of kana bunding and pasture development site. The villagers of village Bigga, Ramsar, Mitasar etc. were also contacted and explained them the Scheme for taking up soil conservation works and the benefits to the

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

"cultivators. Night halt at Sri Dungargarh."

(2) यात्रा राजकीय वाहन द्वारा की गई थी। अतः टी.ए. देय नहीं बनता। डी. ए. रुपये ग्यारह एक दिन का उन्होंने उठाया।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने चरागाह के काम के लिए उल्लेख किया है। ऐसी बात नहीं है कई जगह पर चरागाह का कार्य हुआ है और खास तौर से जो काम हुआ है उसके बारे में यह प्रश्न था और उसमें कई दौरे हुए हैं। मैं चाहता था कि मैंने जो पूछा है उसका उत्तर सही दिया जाता और जो जवाब दिया है उससे जो मन्शा प्रश्न करने की थी वह पूरी नहीं होती। मेरी मन्शा साफ है कि जो कार्य हुआ उसमें जो घोटाले हुए या मजदूरों को जो मजदूरी से वंचित होना पड़ा उसका उल्लेख होता टूर प्रोग्राम में, जिसका भुगतान अभी तक मजदूरों को नहीं हुआ है। इस बारे में मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल तो पूछें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई पर्टीकूलर सवाल पूछें तो उत्तर दे सकता हूं।

श्री लूणाराम : मैंने जैतसर के बारे में निवेदन किया है आपने तो अमृतवासी के लिए ही कह कर फरमा दिया। जैतसर के अन्दर भी कार्य हुआ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने केवल चरागाह के बारे में पूछा था और चरागाह का काम जहां हुआ था वह जवाब मैंने दे दिया।

श्री लूणाराम : चरागाह का काम अमृतवासी में नहीं हुआ आप जांच करवा लीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप स्पेसिफिक बात कहेंगे तो में उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केशरीमल।

ब्यावर में पेय जल की योजना

48. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अजमेर जिले के कई शहरों को एक साथ पेयजल देने की योजना बनाई है जिसमें ब्यावर भी शामिल है?

(2) इस योजना को अमल में लाने की क्या कार्यवाही अभी तक की गई?

(3) क्या यह सही है कि ब्यावर में इस वर्ष भी पेयजल का भारी संकट सामने आने वाला है जो ग्रीष्म ऋतु में आता रहा है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है?

(4) ब्यावर को राजमहल से पानी सप्लाई का कार्य कब शुरू कर दिया जावेगा?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

Page No 10

(10)

(श्री चन्दनमल बैद)

(2) योजना टेक्नीकल जांच के लिए भेजी गयी है।

(3) जी हां, पेयजल में कमी आने की सम्भावना है। इसकी पूर्ति करने के लिए टैंकरों से जल प्राप्त करने का तखमीना जिलाधीश अजमेर के पास विचाराधीन है।

(4) उक्त योजना का कार्य 1975–76 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

श्री केशरीमल : अभी कुछ पैसा दे देंगे और अभी कुछ शुरू करा देंगे तो ठीक होगा। वरना अप्रेल, मई में शुरू करायेंगे तो पानी की मुश्किल हो जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : कौनसी योजना ?

श्री केशरीमल : एक तो स्थाई हल के लिए बड़ी योजना की बात कह रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा कि 1975–76 में शुरू कराना प्रस्तावित है।

श्री केशरीमल : यह स्थाई योजना के लिए कह रहे हैं और मैंने साथ ही साथ कहा है कि इस समय पानी का संकट है तो ऐसा अस्थाई कार्य भी कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : अस्थाई व्यवस्था के लिए अर्ज किया कि इसका तखमीना जिलाधीश अजमेर के पास पड़ा हुआ है। अकाल सहायता विभाग से बात करके इस कार्य को शुरू करा दिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस दिशा में जयपुर जिले को भी आगे बढ़ाने की योजना है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी और सरवाड़ इन 6 शहरों को बीसलपुर में बांध बनाकर और वहां से पानी लाकर जलप्रदाय योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस योजना से जयपुर को भी पानी देने का प्रस्ताव था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसी बांध से जयपुर को पानी देने की बात कही थी और 7॥ लाख के करीब रुपया सर्वे के ऊपर खर्च हुआ था और वित्त मंत्री जी का भी खुद का कहना था कि आज जयपुर में पानी का लेवल 15 फुट नीचे जा चुका है इसलिए वह खुद चाहते थे कि यह योजना कार्यान्वित हो इसलिए मैं जानना चाहता था कि वित्त मंत्री जी इस बारे में अब क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वह अलग प्रश्न है और इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। यह योजना जिसके बारे में पूछा गया और जिन 6 शहरों का नाम लिया उनके लिए प्रस्तावित है। अलग से दूसरी योजना जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं जानकारी प्राप्त करके जवाब दे दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था कि माननीय मंत्री जी के दिल में जयपुर के लिए कोई दर्द है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जब कभी शहर की नई योजना बनती है तो एग्जिस्टिंग पानी के सोर्सेस हैं उसको अबन्डन कर देते हैं और दूसरी जगह से पानी को लाते हैं और उस जगह को भी उजाड़ देते हैं। मतलब यह होता है कि अबन्डन जितने भी श्रोत हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और एक जगह से पानी को ज्यादा खींचते हैं तो दोनों ही जगहें उजड़ जाती हैं। इसलिए जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस हैं उनको ध्यान में रखकर एडीशनल पानी दूसरी जगह से लाया जाये ऐसे पचासों इन्सटान्सेस दे सकता हूं जहां ऐसा हुआ है।

श्री केशरीमल : अभी अस्थाई कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट करायें जिस से पानी मिलता है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जिलाधीश को जोर दें।

श्री गोपाल जोशी : यह साफ्ट कार्नर जयपुर के लिए ही है या दूसरी जगहों के लिए भी है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर के लिए होता तो बनास योजना लागू हो जाती।

श्री चन्दनमल बैद : यह बनास योजना ही है।

प्रश्न संख्या 49

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, आपने सलाह दी उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : It is not a question, it is a piece of suggestion.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Important piece of suggestion.

श्री अध्यक्ष : I know it is a very important piece of suggestion.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस मामले को मजाक में टालने की आवश्यकता नहीं है। एग्जिस्टिंग सोर्सेस जो कि करोड़ों रुपयों की लागत के हैं उनको तो आप अबन्डन करते हैं। जोधपुर का बालसमन्द, शहर में बना हुआ तालाब, नया बन्धा और आस पास के जितने भी जल श्रोत हैं उनका केचमेन्ट एरिया तोड़ दिया और नहरों में लोग मैला फैंकते हैं और आप नयी जगह चले जाते हैं। नयी जगह भी उजड़ जाती हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है जो कि बुनियादी योजनाओं से ताल्लुक रखता है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है और कई एरियाज उजड़ रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के संबंध में ब्यावर हो, पाली हो या जोधपुर हो कम से कम 1975–76 तो बहुत दूर की अवधि बता रहे हैं इस काम को वारफुटिंग पर करना चाहिए। ब्यावर को संकट आने वाला है जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं। जोधपुर के अन्दर घड़ों की लाइनें लग जाती हैं। ऐसी स्थिति को रोकी

Page No 12

(12)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जानी चाहिए तो कुछ आप इस पर अपनी फटकार दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद: 1975–76 तो 1।। महीने में शुरू हो जायेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह तो यह हुआ कि भैंस के सामने भागवत बांचने के समान है। महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है और खेती के इलाके उजड़ रहे हैं। आप इसको हंसी करके टाल रहे हैं। 'स्पेसिफिक रिप्लाई शुड बी गिवन'।

श्री चन्दनमल बैद : आपने सवाल पूछा और अपनी ओपीनियन जाहिर की जिसके लिए मैंने यही कहा कि आपने जो सलाह दी उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : It is a definite suggestion that while new schemes are being formulated, old water sources should not be abandoned. They have also cost the exchequer crores of rupees and you are now taking water from new sources.

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य से निवेदन यह है कि चाहे जो कुछ आपने कहा हो, जो उत्तर दिया है वह ठीक है, यह मेरा खयाल है। आपने कहा है कि सुझाव दिए हैं वह सही हैं और आपकी राय का उपयोग किया जाना चाहिए और उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष • • •

श्री अध्यक्ष : नो नो, श्री केदारनाथ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पेय जल का प्रश्न बहुत इम्पार्टेंट है इस पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए• • •

श्री अध्यक्ष : नो। श्री केदारनाथ।

राज्य में तस्करियों को मीसा के तहत गिरफ्तारियां

50. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) **:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—राज्य सरकार ने राज्य में कितने तस्करी मीसा के तहत गिरफ्तार किये गये ? उनसे कितने रुपये का माल बरामद हुआ ? कृपया उनकी सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : राज्य में मीसा के तहत 4 व्यक्तियों को तस्करी के आरोपों पर गिरफ्तार किया था। इनसे कोई माल बरामद नहीं हुआ। इनमें से एक व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के अनुसार रिहा कर दिया व शेष तीन व्यक्तियों को दिनांक 19-12-74 के उपरान्त कन्जरवेशन आफ फारेन एक्सचेंज एण्ड प्रवेन्शन आफ स्मगलिंग एक्टीविटीज एक्ट, 1974 के तहत नजरबन्द रखे गये हैं। इन चार व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये चार के नाम तो सुना दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: सुना देता हूं। एक श्री जगन्नाथ शर्मा निवासी, जयपुर। श्री शमशेरसिंह निवासी जयपुर। श्री वेदपाल निवासी श्री गंगानगर · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और यह हनुमानसहाय चौधरी और वेंकटलाल कहां बैकुण्ठ चले गए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : श्री मिलकियत सिंह निवासी श्रीगंगानगर।

श्री केदारनाथ : जो जगन्नाथ निवासी जयपुर छोड़ा गया वह किस आधार पर गिरफ्तार किया और किस आधार पर छोड़ा गया। किस बात पर उसको छोड़ा ? ऐसे कौन से कारण थे जिनके आधार पर उसको पहले तो पकड़ा और फिर छोड़ दिया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : श्री जगन्नाथ शर्मा जयपुर को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने जो वजूहात दिए थे प्रतिवेदन में उनको बोर्ड ने सही माना और इसलिए बोर्ड की सलाह पर उसको रिहा कर दिया गया है। उसको बोर्ड की सलाह से रिहा कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप तो कारण पूछ रहे हैं। कारण क्या थे रिहा करने के ? इसकी सोने की तस्करी साबित नहीं हो सकी या यह सोना बेचता था या नहीं बेचता था, कुछ तो कारण दिए होंगे, आप कारण पूछ रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय· · · ·

श्री प्रद्युम्नसिंह : आखिर सलाहकार बोर्ड ने फाईंडिंग तो दी होगी कि किस चीज की वजह से छोड़ने जा रहे हैं। और सलाहकार बोर्ड के सदस्य कौन 2 हैं यह भी माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। उनकी जो फाईंडिंग हैं उसको भी कुछ बतावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक प्रश्न है····

श्री केदारनाथ : आपने जो चार्जेज लगाए क्या वे सब्स्टेंशियेट नहीं हो सके वही बता दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। राजस्थान के तस्करियों की सारे हिन्दुस्तान में धूम है और केवल चार तस्करी आपने मीसा में पकड़े हैं। कहीं पूंजाजी की और कहीं चोरड़ियाजी की गूंज हो रही है। कम से कम 1962–67 तक आपने अकेले गंगानगर में 200 तस्करी पकड़े हैं, वे सब के सब दूध के धुले हो गए और केवल चार ही तस्करी मीसा के अन्दर पकड़वाये। कपट द्वारा खुला पड़ा है आपसे दो सौ गज पर। अखण्ड भण्डार बरामद हो रहा है। कितना माल यूरोप में महाराजा मानसिंह और उनके परिवार के लोगों ने भेजा है। इतनी गम्भीर स्थिति है लेकिन केवल चार तस्करी उसमें पकड़े गए और उसमें से भी एक छोड़ दिया। तीन आपने पकड़ लिए, यह राज्य सरकार के लिए लज्जाजनक बात नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मीसा के तहत जो गिरफ्तारियां हुई हैं वे पूरे देश भर में गवर्नमेंट आफ

(श्री हरिदेव जोशी)

इंडिया के एक्साईज, कस्टम्स अथवा दूसरी इंटेलिजेंस है उस इंटलिजेंस के सहयोग से हुई है। उनकी एडवाइज पर हुई है और मोर ओर लैस मैटिरियल एक प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही प्रोवाइड किया है उनके अगेंस्ट। केस भी एक प्रकार से उन्होंने ही तैयार किया है उनके अगेंस्ट। इस प्रत्येक केस के अन्दर जो मीसा के अन्दर गिरफ्तारी हुई हैं उनके लिए हाई कोर्ट के जजेज रिटायर्ड और सर्विंग जजेज का एक पैनल होता है, एडवाईजरी बोर्ड। यहां पर्टीक्यूलर जयपुर में भी एडवाईजरी बोर्ड के अन्दर, जोधपुर के तीन जजेज हैं, उनके सामने ये चीजें रखी जाती हैं। क्योंकि मीसा में उनको अमुक प्रकार की अदालती सुविधा प्राप्त नहीं है किन्तु एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी अपने अधिकारों से अधिक उपयोग उनका न करे यह प्रिकौशन है। उसके अन्दर सा में कि उस ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी बात को जिसके ऊपर एलीगेशन हैं रख सकता है तो इन एलीगेशन के साथ में रखे। यह केस जो थे उनको भी प्लीड करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आफिसर्स बराबर उसमें एसोशियेट रहते हैं जैसे कि राज्य सरकार के होते हैं और इस पर्टीक्यूलर केस के अन्दर भी जिस रूप में इसको पेश किया गया या उसको यही समझा गया कि वह साबित नहीं हुआ इसलिए उनकी सलाह पर ही उसको छोड़ा गया है।

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है कि बम्बई, कलकत्ता और दूसरी जगह राजस्थान के लोग पकड़े गए। क्या भारत सरकार ने आप से यह जानकारी मांगी थी कि उनमें से किस किस व्यक्ति की प्रापर्टी राजस्थान में है और कौन 2 सी प्रापर्टी राजस्थान में जब्त करने के आदेश थे।

श्री हरिदेव जोशी : जो कुछ भारत सरकार ने पूछा उसका सारे का जवाब दे दिया गया है। और एक बात समझना चाहिए माननीय सदस्यों को कि जानकारी बाद में मांगी गई उससे अधिक जानकारी भारत सरकार के पास में थीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं यह जानना चाहता हूं कि·····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने खुद अपने यहां के तस्करियों की सूची कितनी भारत सरकार को भेजी और आपने खुद अपने लेवल पर कितनी गिरफ्तारियां कीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें सारा जवाब आ जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने अपनी तरफ से तस्करियों की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारी इन्फार्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी और राज्य सरकार आर्म टू आर्म बराबर साथ चली है और बराबर काम किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने खुद ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री महोदय को लिखा है कि एक तस्कर जो कि पांच साल हुए भारत वर्ष में आया है और भारत का नागरिक भी नहीं है वह तस्करी सदस्य नगरपालिका बना बैठा है और अब तो उपाध्यक्ष

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
बन गया है। यह तीन महीने हो गये पत्र को लिखे हुए लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वह उपाध्यक्ष नगरपालिका बन कर तस्करी कर रहा है। और मैंने पत्र भी लिखा है तो कोई असर नहीं हो रहा है।

श्री केदारनाथ : मिस्टर चोरडिया जो गिरफ्तार हुए बम्बई में और राजस्थान के दूसरे हैं नैनमल शाह उनकी कितनी प्रापर्टी राजस्थान में है और कितने कागजात स्मगलिंग के तहत आपने जब्त किये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मिस्टर नैनमल और उनके परिवार की प्रोपर्टी जो भी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई कार्यवाही की शुरूआत नहीं की। उनके ऊपर बम्बई में स्मगलिंग के अथवा राजस्थान से कम से कम बाहर स्मगलिंग करने के एलीगेशन रहे होंगे। एक बात बहुत स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि यू. पी. से यहां माल आवे, गुजरात से यहां माल आवे या और कहीं से माल आवे तो यह उस प्रकार की तस्करी नहीं है। राजस्थान एक इनलैंड एरिया है जो कि चारों तरफ से दूसरे प्रान्तों से घिरा हुआ है इसलिए राजस्थान वासी कहीं बेंगलोर में अथवा बम्बई में अथवा मद्रास के अन्दर अथवा कलकत्ता के अन्दर बैठ कर स्मगलिंग करते हैं तो यह जिम्मेदारी एक प्रकार से वहां की गवर्नमेंट की है और मूल रूप में कस्टम डिपार्टमेंट की है जो कि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर चारों तरफ से कस्टम की चौकीदारी का काम करते हैं।

प्रश्न संख्या 51

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोरधनसिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लोकचन्द सिन्धी जो पाक नागरिक है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसके खिलाफ कलेक्टर ने रिपोर्ट की है कि एक पाक नागरिक उपाध्यक्ष के रूप में बैठा है....

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह स्मगलिंग कर रहा है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से उत्तर चाहता हूं। यह बड़ी लज्जा की बात है कि एक पाक नागरिक नगरपालिका का उपाध्यक्ष बना बैठा है और उसके घर में स्मगलिंग का अड्डा है कलेक्टर ने कान्क्रीटली रिपोर्ट करदी है कि वह भारतवर्ष का नागरिक नहीं है फिर भी राजस्थान सरकार उसको रिमूव क्यों नहीं करती है या उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

Page No 16

(16)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : I cannot force him to reply.

श्री हरिदेव जोशी I am giving the reply. अध्यक्ष जी, किसी भी केस के अन्दर अधूरे एलिगेशन्स और इन्फर्मेशन के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. मैं स्पष्ट रूप से इस राय का हूं। जब तक हम सबस्टेन्शियेट नहीं कर सकते हैं किसी एलिगेशन को और गिरफ्तार करते हैं और वह छूट जाय तो उलटी फिजां बाहर होती है। इसलिए चाहे कोई भी एलिगेशन किसी के भी खिलाफ लगा देना वह एक बात है और उसको सबस्टेन्शियेट कर देना दूसरी बात है। गवर्नमेंट किसी भी केस में किसी के साथ रियायत नहीं बरतती है, और बराबर जहां कहीं भी इन्फर्मेशन है उसको परस्यू करेगी और एक्शन लेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष, क्या इस मामले में····

श्री हरिदेव जोशी : मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मैं कई दफा खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दो दफा छोड़ चार दफा पूछें लेकिन क्लोजर के पहले पहले पूछें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं दो प्रश्नों पर 10 बार खड़ा हुआ हूं मुझे मौका ही नहीं मिला है। यह राजस्थान के लिए एक अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कहा कि मैं क्वेश्चन का क्लोजर करूं उससे पहले पूछ लें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह राजस्थान के लिए एक अहम प्रश्न है। मैं एक मिनिट में ही पूछ लेता हूं। इतना भी समय नहीं देंगे तो हमारे सदन में आने से क्या फायदा ?

राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है और वह पाकिस्तान से लगा हुआ है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री हाण्डा साहब ने पूछा और उसका जो उत्तर सदन के नेता महोदय ने दिया है उनके जवाब से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। राजस्थान में कम स्मगलर्स को क्यों पकड़ा है और उसमें राजस्थान सरकार का क्या योगदान रहा ? सैन्ट्रल गवर्नमेंट की प्रक्रिया तो आपने फर्मा दी लेकिन इस समय कितने कंसेज है वह सदन के सम्मुख पूर्ण रूप से आने चाहिए और इसकी जानकारी मिलना चाहिए ताकि हम सेटिस्फाई हो सकें।

श्री हरिदेव जोशी : जितने कैसेज थे वह मैंने सदन के समक्ष रख दिये। जो केस नहीं हैं उनको बनाकर तो नहीं रख सकता हूं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं एप्रिहेन्ड कैसेज की बात कर रहा हूं। आपने एप्रिहेण्ड कितने किये यह तो राज्य सरकार बताए स्मगलिंग के।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

थाना पुलिस पदमपुर में दर्ज मामला

52. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करनपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(1) क्या यह सही है कि थाना पुलिस पदमपुर द्वारा गुरचरणसिंह पुत्र सदालाल को ता. 6-5-74 से 11-5-74 तक अपनी हिरासत में रखा गया, उसकी मार पिटाई की गई और जब उसकी जान खतरे में हो गई तो उसे दूर स्थान पर छोड़ आये?

(2) क्या यह भी सही है कि उसे करीब सात-आठ दिन बाद आई. जी. पी. के समक्ष पेश किया गया जिनके द्वारा उसका डाक्टरी मुआयना एस. एम. एस. हास्पिटल, जयपुर में करवाया गया और मामला गुप्तचर विभाग को छानबीन हेतु सौंपा गया ?

(3) क्या यह सही है कि शिकायत पुलिस के विरुद्ध थी इसलिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा करवाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या इस मामले की जांच कर रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : डी. आई. जी. लेवल पर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी जांच सी. आई. डी. के डी.वाई.एस.पी. कर रहे हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : आज तक इस मामले में किसी ने जांच नहीं की। मेरे पास यह सर्टिफिकेट है कि 22 चोटें आई हैं। पदमपुर में 12 तारीख से आज तक जांच नहीं करने पर भी यह कह दिया जाय कि कोई वाकया नहीं हुआ तो जांच की बात कैसे कह सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आप यह तो बता दें कि जांच कब प्रारम्भ की ? आपने कहा डी. वाई. एस. पी., सी. आई. डी. जांच कर रहे हैं तो यह घटना 6-5-74 की है और उनको गिरफ्तार किया गया है। आप कहते हैं कि जांच हो रही है तो अभी तक हो रही है। यदि कोई घटना नहीं घटी है तो जांच किसकी करवा रहे हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इन्होंने एक शिकायत आई.जी.पी. साहब को की थी कि उसके साथ में मारपीट की गई थी तो आई.जी.पी. साहब द्वारा डाक्टरी मुआयना यहां एस.एम.एस. हास्पिटल में करवाया गया था और उसकी जांच एडिशनल एस. पी. कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जांच वे एडिशनल एस.पी. से नहीं चाहते हैं तो आई.जी.पी. साहब ने इसकी जांच सी. आई. डी. को ट्रान्सफर कर दी, और अब इसकी जांच सी. आई. डी. के डी. वाई. एस. पी. कर रहे हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : आपने कहा कि जांच हो रही है और जवाब में आपने

Page No 18

(18)

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
कहा है कि वहां वैसा कोई वाकया नहीं हुआ तो सरकार ने कैसे यह निर्णय ले लिया कि वहां पर कोई वाकया नहीं हुआ है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, शायद राज्य मंत्री को याद होगा कि इस व्यक्ति को मैंने उनके सम्मुख प्रस्तुत किया था और उन्होंने एक स्ट्रांग आदेश दिया था कि इसकी तुरन्त जांच करके 7 दिन में रिपोर्ट करें। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि मंत्री महोदय के इतने स्ट्रांग आदेश के बाद भी आज माननीय सदस्य को यह शिकायत करने का मौका मिल रहा है।

श्री केदारनाथ : मेडिकल रिपोर्ट में कहीं कुछ है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मंत्री महोदय, मेडिकल रिपोर्ट तो जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा था कि जो नहीं बने हैं उनको बनाया नहीं जा सकता इसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे पास है यह बनाई नहीं जा सकती है। तथ्य तो यह है कि मेडिकल रिपोर्ट है, तथ्य यह है कि जांच के आदेश दिये गये थे और तथ्य यह है कि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है और जवाब आपको किसने बतला दिया सभी मामले में गड़बड़ है आपने बता दिया है कि कोई हिरासत में नहीं लिया गया और कोई मारपीट नहीं की गई तो इसका आने वाली रिपोर्ट पर असर पड़ेगा। आपने पुलिसवालों को बता दिया है कि जो कुछ कर रहे है वह ठीक है और मेरे जबाब के मुताबिक रिपोर्ट करें, क्या यह बात ठीक है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने पहले प्रश्न के जवाब में कहा था नहीं तो उसका मतलब यही है कि हिरासत में रखकर मारपीट करने की बात नहीं थी और दूर स्थान पर छोड़ देने की बात भी आज तक के तथ्यों से साबित नहीं होती है और जो जांच चल रही है उस जांच के आधार पर और यदि गवाहों के आधार पर यह साबित होता है तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायगी।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह जांच अधूरी है इसलिए गवर्नमेंट की ओर से कोई फाइनल रिप्लाई नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो जो जवाब दिया गया है उसको निरस्त किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : I withdraw the reply. मैं इस रिप्लाई को विथड्रा करता हूं जब तक जांच कम्पलीट नहीं हो गवर्नमेंट की ओर से फाइनल यह नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

राज्य में सिंचाई असंतुलन को समाप्त करने की योजना

53. **श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पन्न सिंचाई असंतुलन को समाप्त करने के प्रश्न पर प्रदेश के सिंचाई विशेषज्ञ व सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो

(श्री मीठालाल मीणा)
उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त असंतुलन में राज्य के जयपुर व चूरू जिले अधिकाधिक रूप से प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो भविष्य में उक्त जिलों के लिए विशेष रूप से क्या योजना तैयार की जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई सुविधा, जल की उपलब्धता तथा उपयुक्त भूमि व धरातल की अनुकूलता पर संभव होती है और विभिन्न जिलों में भौगोलिक विषमता के कारण सिंचाई के समान साधन सम्भव नहीं हैं तथापि राज्य सरकार जल-स्रोत की कमी वाले जिलों में भी सिंचाई सुविधा राज्य के बाहरी जल–स्रोतों से उपलब्ध कराने हेतु पड़ौसी राज्यों से प्रयास कर रही है।

(2) जयपुर जिले में साबी व ढूंढ नदी के क्षेत्र के अलावा अन्य कोई जल–स्रोत बाकी नहीं है जिसकी सिंचाई सुविधाओं में उपयोग न किया गया हो। साबी व ढूंढ नदी के क्षेत्र की भी सिंचाई सम्भावनाओं पर प्रयास जारी है। चूरू जिले में तो सिंचाई क्षमता योग्य प्राकृतिक जल–स्रोत उपलब्ध ही नहीं है तो भी इस क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान कैनाल से लिफ्ट योजना द्वारा पानी लाने की सम्भावनाओं की खोज की जा रही है तथा रावी, ब्यास के जल से प्रस्तावित सिद्धमुख नहर द्वारा सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के लिए पंजाब व हरियाणा सरकार से प्रयास जारी है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपुतली) : क्या यह सही है कि जयपुर जिले में जो साधन स्रोत उपलब्ध हैं उनका उपयोग कर लिया गया है ? क्या यह भी सही है कि जहां आपके विभाग ने सर्वे कर लिया है, योजना बना ली है लेकिन पैसे की वजह से उसको रख लिया है ? आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पैसा ज्यादा देते रहे हैं और अब भी उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं मिला है। यह आपने फरमाया है कि कई जगह जल–स्रोत नहीं है और आपने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि साबी नदी का उपयोग नहीं किया गया है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उसके उपयोग को आप प्रायोरिटी दें। यदि आप यह आश्वासन देते हैं कि जहां पर उपयोग नहीं हुआ है और जिन जिलों में असमानता है उन जिलों की उपयोगिता में प्रायोरिटी है जबकि वहां पर स्रोत मौजूद हों। मेरी कान्स्टीटुएन्सी में आपने दो योजनाएं बना रखी हैं, एक तो बनाड़ा की बना रखी है और आप बारबार यह कह रहे हैं कि अगले साल दे देंगे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने स्वीकार किया है उन जिलों का ज्यादा पैसा दिया है और आपने अब स्रोत को स्वीकार कर लिया है कि साबी का उपयोग करना है तो क्या आप इसके उपयोग करने के बारे में प्रायोरिटी देकर अधिक पैसा डाइवर्ट करेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा है कि इस दृष्टि से असमानता है। असंतुलन की बात कही है कि सभी जिलों में समान रूप से योजनाएं बनाई जा सकती हैं और न ली जा सकती है। जहां तक जयपुर

(श्री हीरालाल देवपुरा)
जिले का सवाल है साबी और ढूंढ नदी दोनों को एक्स्प्लोर करना बाकी है बाकी दूसरी नदियों को एक्स्प्लोर किया गया है। कई योजनाएं यहां पर पूरी हो चुकी हैं और जिनसे सिंचाई हो रही है। कई योजनाएं इस वक्त भी चल रही हैं। इनके अलावा साबी और ढूंढ नदी के ऊपर जो पासिब्ल योजना हो सकती है उनका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। दौलपुर और कानोता की योजना गये साल ली गई है। ऐसा सवाल आया है कि अगले टाइम लेना है ऐसा मैंने कहा था लेकिन माननीय सदस्यों को स्पष्ट मालूम है कि इस वर्ष फण्ड्स की कमी है और अगले वर्ष भी क्या स्थिति रहती है यह मैं नहीं कह सकता। फण्ड्स एवेलेबल होने पर इन योजनाओं को प्रायोरिटी के आधार पर लेने में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखा जायगा कि यह जयपुर जिले की है या दूसरे जिले की है। प्रायोरिटी के आधार पर योजना ली जायगी। जिस योजना से लाभ कम्पेरिटिवली ज्यादा मिलता है। उसे लिया जायेगा।

(व्यवधान, अध्यक्ष)

श्री पी. के. चौधरी : 2,900 एकड़ भूमि सिंचित हुई है, जयपुर जिले में 13,016 एकड़ भूमि सिंचित होने से वंचित क्यों की गई है? जमवा रामगढ़ में...

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जमवा रामगढ़ में..

श्री पी. के. चौधरी : इसका मतलब प्रश्न से नहीं है। Not an inch of additional land has been irrigated.

श्री हीरालाल देवपुरा : आप मेरी सुनिये। अध्यक्ष महोदय, जमवा रामगढ़ बन्धे से पहले सिंचाई होती थी। मैं इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन इसको सिंचाई योजना से निकाल कर पेयजल योजना में लाया गया है। यह माननीय सदस्य को मालूम है। जमवा रामगढ़ से 200 क्यूसेक पानी लेकर सिंचाई के काम में लाया गया। जो जमीन निकल गई है, उसके लिए एडीशनल मान लें। जो अतिरिक्त होगी वह दूसरे कारणों से निकली है। इस जगह दूसरी नदियों का पानी लाया नहीं जा सकता है। आप यह 3 हजार ले लें। दो हजार यह जो घाटा हो गया है, यह साथ में नहीं जोड़ा जा सकता है। मैंने यह साफ कहा है। साबी नदी पर जो हो सकता है, जैसे कानोता का मोरैल बांध है। यह मोरैल का पानी रोक लें..

श्री पी. के. चौधरी : मोरैल का पानी जयपुर जिले में नहीं आता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके अतिरिक्त जयपुर जिले में कुओं को बिजली देने का सवाल है। वह भी सिंचाई के काम में आते हैं। जयपुर जिले में जो साधन हैं, कम्पेरिटिवली वह साधन है। वन फिफ्थ जयपुर जिले के हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं..

श्री पी. के. चौधरी : यह बात बिल्कुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था । माननीय मन्त्री जी इस बात को मानेंगे । जयपुर जिले में असन्तुलन नहीं है । जयपुर जिले में चारों ओर साधन हैं । और आप प्रयत्न करें तो साधन बढ़ा सकते हैं । मोरेल सागर से 10% सिंचाई हो सकती है । अगर आप उसे 10 फुट ऊंचा उठा देंगे तो सिंचाई अधिक हो सकती है । दक्षिण सागर है, उत्तर सागर है, उनकी उपयोग योजना कर सकते हैं । श्यामपुरा बान्ध के बारे में कुछ नहीं है । जयपुर जिले में आप कोई ध्यान नहीं देते हैं । अन्य स्थानों पर जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए, वह नहीं मिल सकता है । लेकिन जयपुर जिले में आपको मिल सकता है । जहां सम्भावना हो सकती है, उनके बारे में आपको पैसा देना चाहिए ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जयपुर या चूरू जिले की बात है, कोई भी जिला हो, जहां यह सुविधा हो सकती है, वहां दी जा सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय !

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से, जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज को डेवलेप नहीं करते हैं । करना चाहते हैं लेकिन कभी क्या करते हैं । चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो । माननीय सदस्य श्री विश्नोई जी ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । आप कोई पुल डेवलप-मेंट कर लें और वह फेल हो जाए तो वह अलग बात है । लेकिन आप आधा भी डेवलप नहीं करते हैं । भ्रष्टाचार के पनपाने से आपके सभी कर्मचारी इधर से उधर होते फिरते हैं । आपके जो रिसोर्सेज हैं, एग्जि-स्टिंग रिसोर्सेज हैं, उनको एक्स्प्लोइट कीजिये । वह भी है, उनको डेवलप करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं । मैं चूरू जिले के बारे में..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : चीफ मिनिस्टर महोदय ने जो घोषणा की थी, वह वचन भंग किया है । उस पानी को जयपुर में आने दे दिया है वह कुछ कर नहीं सकते हैं । इनके ऊपर राजनैतिक दबाब नहीं है । इसलिए जयपुर जिले की उपेक्षा की जा रही है । यह दूसरे दबाव से है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिला जो कि रेगिस्तानी जिला है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, दूसरों को भी समय मिलना चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके बारे में आपकी क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर दो डेफीनेट जान-कारी चाहता हूं । कब से कार्य शुरू किया जायेगा । एक तो यह है कि मुझे ऐसी याद-दाश्त पड़ रही है, एक पहले सर्वेक्षण हुआ

Page No 22

(22)

(श्री मोहरसिंह)
था, जिसकी रिपोर्ट में काफी पानी बताया है। अब दूसरी रिपोर्ट आई है तो उसमें यह बताया गया है कि अगर ट्यूबवेल कर दिये गये तो पीने का पानी कम पड़ जायेगा। क्या ऐसी अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न..

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: सिंचाई के अलावा और भी कई साधन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार जयपुर जिले में पानी की बहुतायत है और मुख्य मंत्री ने कहा था कि अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड से बात करके इस दिशा में विकास करने की कार्यवाही की जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं 26 वर्षों में क्या काम किया है, जब कि यहां पर 70 प्रतिशत कृषि सिंचाई से होती है। ऐसे इलाके में आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। जबकि यहां पर उपेक्षा की गई है और वह हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जयपुर जिले का प्रश्न है यहां किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की गई है। यह कहना कि राजनैतिक दृष्टि से उपेक्षा की जाती है, यह गलत है, बेबुनियाद है, आधारहीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भयंकर उपेक्षा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिल्कुल असत्य है, गलत है, आधारहीन है। जहां तक योजनाओं का सवाल है ....

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दिलवाइयेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : There is no subject of point of Order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Pardon Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no subject of point of Order,

श्री निरंजननाथ आचार्य : नम्बर 54 के सवाल के बारे में मुख्य मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष: That I have closed,

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं आपका रूलिंग होना चाहिए।

श्री केदार नाथ : आपका रूलिंग होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर माननीय सदन के नेता ने यहां से विथड्रा किया है, क्या सदन की आज्ञा है विथड्रा की आज्ञा दी जाय।

कई माननीय सदस्य : हां दी जाय।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति दी जाती है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नतियां

44. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किस वर्ग, श्रेणी एवं सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत किये कार्यरत अनुसूचित जाति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

चिकित्सा एवं परिवार नियोजन विभाग में कर्मचारियों की एडहाक आधार पर नियुक्तियां

49. श्री राम किशन (भरतपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में लगभग 6000 कर्मचारियों को अनियमित तौर पर एड-हाक आधार पर नियुक्त कर रखा है जबकि विभागाध्यक्ष केवल चार माह तक तथा राज्य सरकार केवल एक वर्ष तक एडहाक नियुक्ति के अधिकारी हैं? यदि हां, तो सन 1966-67 से अब तक हजारों कर्मचारी अनियमित रूप से कैसे कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में लगभग बाईस सौ अराजपत्रित कर्मचारी अस्थायी रूप से स्थायी पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अस्थायी नियुक्ति देने का अधिकार विभागाध्यक्ष को है। पदोन्नति के मामलों में नियम 24 में प्रावधित समिति के समक्ष शीघ्र ही रखने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त अस्थायी पदों के विरुद्ध लगभग 3400 व्यक्ति अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

ग्राम बिडोला (सीकर) में नलकूप समूह योजना

51. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बीडोली, पंचायत समिति धोद, जिला सीकर की भूमि काफी उपजाऊ है तथा पानी गहरा है? यदि हां, तो यहां के किसानों के लिये सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप समूह योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। जी नहीं।

Page No 24

(24)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के आशुलिपिकों का स्थायीकरण

12. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के आशुलिपिकों को दिसम्बर, 1974 में कोई सबस्टेन्टिव एपाइन्टमेंट हेतु नोटिफिकेशन जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या क्या छूट दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे आशुलिपिकों को अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक की परीक्षा बगैर उत्तीर्ण किये हुये ही वेतन-वृद्धियां तथा स्थायीकरण किये जावेंगे ? यदि हां, तो किन आदेशों के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह सही है कि वेतन-वृद्धियां स्वीकृति हेतु वित्त विभाग से आदेश जारी होने आवश्यक हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जारी कर दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे समस्त कार्यरत आशुलिपिक जिन्होंने 15-9-72 को विभिन्न विभागों में कुल मिलाकर 2 वर्ष की आशुलिपिक के पद पर सेवायें पूरी कर ली हों तथा जिन्होंने हायर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा आशुलिपिक व टंकण विषय में 1965 में उत्तीर्ण की हो और जिनका आशुलिपिक पद का कार्य संतोषजनक पाया जाय उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक परीक्षा से मुक्त कर उपलब्ध पदों पर स्थायी करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ?

(स्थगित किया गया)

थाना असनावर (झालावाड़) में दर्ज चोरी के मामले

13. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना असनावर जिला झालावाड़ में 1 जनवरी 74 से 31 दिसम्बर 74 तक कितने केस चोरी व सरका मवेशी आदि के दर्ज किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कितने कितने केसों में कौन कौन सी चोरियां बरामद हो गई और दीगर केसों में क्या कार्यवाही की गई? कृपया इसकी भी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सब इन्सपेक्टर इंचार्ज की भारी शिकायतें इन केसों के लिये हुई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) थाना पुलिस असनावर मण्डल झालावाड़ में 1 जनवरी 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक 11 अभियोग चोरी व 5 अभियोग सरका मवेशी के पंजीबद्ध हुये हैं जिसकी तालिका संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) उपरोक्त अवधि में जो 11 अभियोग चोरी के पंजीबद्ध हुये हैं जिनमें से 5 का चालान किया गया, 4 अदमपता रहे। झूंठा पाया गया। गैर तफतीश है व सरका मवेशी के 5 अभियोग पंजीवद्ध हुये जिन में से 4 का चालान किया गया व 1 गैर तफतीश है। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बीकानेर के पुलिस थानों में विदेशों से अवैध व्यापार से सम्बन्धित दर्ज मामले

14. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष 1973–1974 एवं 1974–1975 में बीकानेर जिले के पुलिस थानों में विदेशों से अवैध व्यापार से संबन्धित कुल कितने मामले पकड़े गये व रजिस्टर किये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले के पुलिस थानों में वर्ष 1973–74 में अवैध व्यापार के सम्बन्ध में केवल एक मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 115 दिनांक 10–6–73 सरकार बनाम मनोशेर व गणपतसिंह के विरुद्ध धारा 8/14 डी.डी. एक्ट पुलिस थाना सदर बीकानेर पर दर्ज किया गया था। वर्ष 1974–75 में अवैध व्यापार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

लूणकरणसर डिस्पेन्सरी का बजट

15. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लूणकरणसर डिस्पेन्सरी में वार्षिक औषधियों का बजट और प्रशासनिक खर्च कितना है? गत पांच वर्षों में वर्षवार औषधी तथा प्रशासनिक खर्च कितना कितना किया गया? सूची सदन को मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त डिस्पेन्सरी में बजट के अनुरूप स्टाफ है? यदि नहीं, तो क्यों? कौन 2 से पद कब से रिक्त हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1974–75 में औषधियों का स्वीकृत बजट रु. 7,000) एवं प्रशासनिक व अन्य खर्चा रु. 25,968) है।

गत पांच वर्ष का ब्योरा निम्न प्रकार है:–

वर्ष	भेषज एवं औषधियों का खर्चा	प्रशासनिक एवं अन्य खर्चा
1970–71	2,100	6,905
1971–72	2,100	18,674
1972–73	5,500	23,155
1973–74	5,500	24,075
1974–75	7,000	25,968

Page No 26

(२०)

(स्वास्थ्य मंत्री)

(2) उक्त डिस्पेन्सरी में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

पद	स्वीकृत	कार्यरत
चि. अधिकारी	1	1
औषधि संयोजक श्रेणी ।	1	1 (औषधि संयोजक प्रथम श्रेणी के अभाव में सीमित श्रेणी कार्यरत हैं)
" " " II	1	1 (नियुक्ति दिनांक 25–1–75 द्वारा की गई)
ए.एन.एम.	1	1 (दाई कार्यरत)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4

जोधपुर नगर की जल प्रदाय परियोजना

16. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार पुरा, जोधपुर)–क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जोधपुर नगर के जलप्रदाय की वर्तमान पुनर्गठन की परियोजना प्रारम्भ में कितनी धनराशि के लागत की थी ?

(2) वस्तुओं के भाव बढ़ने से उपरोक्त परियोजना को पूरा लागू करने में कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

(3) उपरोक्त परियोजना पर कितनी धनराशि 31–3–75 तक व्यय हो जायेगी और वित्तीय वर्ष 1975–76 में कितनी राशि का व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ?

(4) उपरोक्त परियोजना कब तक पूर्ण लागू हो जाएगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर के जल प्रदाय की वर्तमान पुनर्गठन की परियोजना की स्वीकृति 127.33 लाख रुपये की की गई थी।

(2) संशोधित योजना तैयार की जा रही है। संशोधित योजना तैयार किये जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) उपरोक्त परियोजना पर 31-3-75 तक लगभग रुपये 98 लाख व्यय किये जाने की सम्भावना है। और वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिये रुपये 15 लाख का आवन्टन प्रस्तावित हैं।

(4) पूर्ण धनराशि उपलब्ध हो जाने पर यह योजना वर्ष 1976–77 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

भू. पू. प्राचार्य टोंक का स्थायीकरण

17. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि श्री आर. एस. त्रिपाठी भू. पू. प्राचार्य इन्टर कालेज टोंक का प्रमोशन जुलाई 1958 में किया जाकर कल्याण डिग्री कालेज, सीकर में प्राचार्य पद पर उन्हें नियुक्त किया गया।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रमोशन किए जाने के पश्चात् राजस्थान एज्यूकेशन सर्विस रूल्स, 1959 में नियम 29 के

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
अन्तर्गत प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने पर उन्हें कन्फर्म किया गया ? यदि हां, तो कब ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि श्री त्रिपाठी की डिग्री कालेज प्रिंसीपल पद पर नियुक्ति सर्वथा अस्थाई रूप से थी। और नियमों के अन्तर्गत उनका चयन इस पद पर विभागीय पदोन्नति समिति अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं हुआ था।

पदमपुर, करणपुर, गजसिंहपुर की सड़कों का कार्य

18. **श्री गुरबख्शसिंह संधु (करणपुर)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पदमपुर बुडा जोहड व करनपुर गजसिंहपुर सड़कों की लम्बाई कितनी कितनी है ? इनका कार्य कब कब शुरू हुआ और इन पर आज तक क्या क्या खर्चा हुआ तथा कितनी कितनी सड़कें बन चुकी हैं ?

(2) इनको पूरी होने की कब तक आशा है ? आज तक कोई भी काम पूरा न होने और इतना लम्बा समय लगने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न सूची (अ) में प्रस्तुत है।

(2) पदमपुर बुडा जोहड़ सड़क :—

पदमपुर बुडा जोहड़ सड़क निर्माण के लिए 11 लाख रुपये की स्वीकृति है। किलोमीटर 0|0 से 5|0 तक झामा कुटाई कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 1974–75 में उक्त 5 किलोमीटर में डामर कार्य पूरा होने की आशा है। किलोमीटर 5|0 से 10|0 तक का कार्य प्रगति पर है, और वर्ष 1975–76 तक पूर्ण होने की आशा है।

ठेकेदार के अपूर्ण कार्य छोड़ने के कारण विलम्ब हुई है, और यह कार्य अब विभागीय स्तर पर कराया जा रहा है।

करनपुर गजसिंहपुर सड़क:—

करनपुर गजसिंहपुर सड़क के 5 किलोमीटर में सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था, जो पूरा हो चुका है। आगे कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

रतनगढ़ सर्किल में खम्भों एवं तांबे के तारों की चोरी

19. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोहा)**: क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ सर्किल में खम्भों एवं तांबे के तारों की चोरी सन् 1970 से 1974 तक के अर्से में हुई ? यदि हां, तो कब कब और कहां-कहां पर कितनी-कितनी ? सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(2) उपरोक्त अर्से में पुलिस में चोरियों की कोई घटना की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन वस्तुओं की ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा बरामदशुदा माल के बारे में भी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या बीकानेर डिविजन में उपरोक्त अर्से में कोई सामान की कमी के बारे में डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हुई है ? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस को दोषी पाया गया ? क्या ऐसे कोई मामले प्रशासन के विचाराधीन भी हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां। चोरी का पूरा विवरण देते हुए सूची संलग्न है।

(2) जी हां। वांच्छित जानकारी उपरोक्त सूची में अंकित कर दी गई है।

(3) जी हां। सामान की कमी का एक मामला बीकानेर वृत्त के रतनगढ़ भण्डार में दिनांक 11-4-71 को पाया गया जिसमें 7 आर.एस. जोइन्ट्स कम पाये गये थे, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने श्री एस. एन. भूतड़ा, कनिष्ट अभियन्ता (भण्डार अधीक्षक) को दिनांक 11-4-71 को गिरफ्तार कर लिया था।

प्राथमिक जांच के पश्चात् दोषी अधिकारी श्री भूतड़ा को दिनांक 16-4-71 को निलम्बित कर दिया गया। श्री भूतड़ा के विरुद्ध मुकदमा अदालत में गैर तबदील है व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग से की जा रही है। माल बरामद किया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री गंगानगर की सीमावर्ती सड़कों की मरम्मत

20. श्री **गुरबयाल सिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1974-75 में राजस्थान में जिलेवार कितनी-कितनी लम्बी व किस किस किस्म की सड़कों का और कहां कहां निर्माण किया गया ?

(2) क्या श्रीगंगानगर में, जो कि सीमावर्ती जिला है और सेना का निरन्तर आवागमन रहता है वहां, कोई सड़क वर्ष 1974-75 में नहीं बनायी गई है जबकि सड़कें जर्जरित अवस्था में हैं ? क्या सुरक्षा की दृष्टि से उन सड़कों की मरम्मत करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1974-75 में निर्माण हुई सड़कों के आंकड़े 31 मार्च, 1974 के बाद ज्ञात होते हैं। वर्ष 1974-75 में सड़क निर्माण हेतु आवंटित जिलेवार धनराशि के आंकड़ों की सूची (अ) संलग्न है।

(2) गंगानगर जिले में वर्ष 1974-75 में चालू कार्यों की सूची (ब) संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

कोटपूतली तहसील में सड़कों के लिए स्वीकृत राशि

21. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी 1972 से अब तक कोटपूतली तहसील में विभागीय अकाल राहत व क्रेश योजना में किन-किन सड़कों के लिये कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा इसमें कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में सहायता कार्यों एवम् क्रेश योजना में स्वीकृत सड़कों की सूची (अ) संलग्न है।

(2) क्रेश योजना में स्वीकृत कार्य पूरा हो चुका है। सहायता कार्यों में स्वीकृत धनराशि का उपयोग सहायता कार्यों के बन्द होने के कारण नहीं हो पाया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बीकानेर क्षेत्र में अकालराहत कार्य पर लगे मजदूरों को दिया गया सामान

22. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968 से 1973 तक के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिला बीकानेर क्षेत्र में मजदूरी हेतु दिया गया सामान, गेंती, कसियें, तगारियें, टीन आदि बड़ी-बड़ी मात्रा में आज तक भी लोगों में बकाया हैं ? यदि हां, तो बकाया सामान वाले व्यक्तियों के नामों की सूची मय सामान के सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि बकाया सामान वाले लोग राजनैतिक प्रभावशाली लोगों के कृपा पात्र हैं जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखों रुपयों का सामान जमा कराने में असफल रहा है ?

(3) उक्त सामान अब कब तक वसूल कर लिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में खनिज पदार्थ

23. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले में चालू खानों में किन स्थानों पर क्या क्या खनिज पदार्थ कितने-कितने मात्रा में निकलते हैं ? सन् 1973-74 में निकले कुल खनिज का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

बीकानेर जिले में स्थानवार खनिज निकलने की मात्रा व 1973-74 में कुल निकले खनिज की सूची सदन की मेज पर

(खनिज मंत्री)

रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जयपुर जिले में गत फसल में हुआ नुकसान

24. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में राजस्व विभाग द्वारा गत फसल में किन-किन गांवों में कितना कितना खराबा बताया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों में आधा या इससे अधिक फसल का नुकसान बताया गया है उन सभी ग्रामों को सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के कुल 2929 ग्रामों में से जिलाधीश ने फसल खरीफ में खराबा होने के कारण 2776 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इन ग्रामों में फसल खरीफ में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की क्षति होना बताया गया था। इन ग्रामों में से 2223 ग्रामों को दिनांक 30-12-74 को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है।

जिन 553 ग्रामों में अभावग्रस्तता की घोषणा नहीं की गई, उनको सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें फसल खरीफ में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा था एवं इसके साथ-साथ उन ग्रामों में खरीफ की फसल का महत्व रबी की फसल की तुलना में ज्यादा था। रबी की फसल का महत्व सामान्य वर्ष में जिन क्षेत्रों में रबी का रकबा खरीफ की तुलना में ज्यादा था उन्हें खरीफ में खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। ऐसे ग्रामों की संख्या 505 है। जो 553 ग्रामों की संलग्न सूची में शामिल है। 41 ग्रामों को जो इस सूची में शामिल है, इस कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया क्योंकि उनमें निर्धारित सीमा तक खराबा नहीं था। ग्राम गैर-आबाद होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किए गये एवं 2 ग्रामों के आंकड़ों में त्रुटि प्रतीत होने से उन्हें अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। तहसीलवार विवरण संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान को ड्राई पोर्ट बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की योजना में राज्य सरकार की रुचि न होने के विषय में,

2. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर), सदस्य विधान सभा की ओर से अकालग्रस्त लोगों के लिये राहत कार्य खोलने की मांग

(श्री अध्यक्ष)

को लेकर बाड़मेर में श्री द्वारिकेश जैन की भूख हड़ताल के विषय में,

3. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति झोटवाड़ा के ग्राम पंचायत नांगल जैसावोरा के सरपंच और उप-सरपंच द्वारा हरिजनों के 450 घरों से प्रधान मंत्री के स्वागत के नाम पर 100/–100/– रुपये प्रति घर के हिसाब से इकट्ठा किये जाने के विषय में,

4. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा आबू पर्वत पर से पुलिस अकादमी को हटा लिये जाने के सम्बन्ध में,

5. श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से टौंक व उनियारा में गत 15 दिनों से चल रही हरिजनों की हड़ताल के विषय में,

6. श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 2 जनवरी को कैथून जिला कोटा के एक स्कूल में पुलिस की गोली से कुछ छात्रों के घायल हो जाने के विषय में,

7. श्री भोमाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से डोडवाना जिला नागौर के किसानों को गत 12 जनवरी से कुओं पर बिजली न दिये जाने के विषय में,

8. इन सब प्रश्नों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

9. श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर जिले में अकाल से उत्पन्न हुई स्थिति के विषय में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है,

10. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा नगरपालिका द्वारा दौसा में गृहकर लगाने के विषय में। यह प्रश्न नगरपालिका के प्रशासन से सम्बन्धित नीति का प्रश्न है,

11. श्री वेगाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर क्षेत्र में हरिजनों को दी गई भूमि बी.डब्लू. एस.एम. और पी.टी.डी. में गत 5 वर्षों में पानी नहीं पहुंचने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य यदि चाहें तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैथून का पुलिस अधिकारी है, वहां का जो थानेदार है, उसके लड़के से स्कूल के कुछ लड़कों का झगड़ा हो गया। उन लड़कों को थाने पर बुलाया गया और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनकी पिटाई की गई। उसके बाद उनका ट्रान्सफर हो गया और फिर भी वे वहां पर गये तो लड़कों ने उनका घेराव किया। अध्यक्ष महोदय, लड़कों ने यह मांग की कि यहां पर कि या तो थानेदार का लड़का पढ़ेगा या पब्लिक के ही लड़के पढ़ेंगे। थानेदार का घेराव किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने 6 राउन्ड फायरिंग वहां पर की। एक गोली जमील नाम के लड़के को लगी जो अभी हॉस्पिटल में है

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और उसकी हालत गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनाएं बार-बार घटती जा रही हैं। जहां एक ओर बेरहमी से पिटाई की जाती है, तो पब्लिक में बहुत उत्तेजना फैलती है, उत्तेजना पैदा होती है। छोटी से छोटी घटना पर ऐसी सख्ती होती है। मुझे यह जानकारी हासिल हुई है कि वहां पर एक सौ गिरफ्तारियां गरीब लोगों की कर ली गई हैं। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय, अभी नहीं हैं, गृह मन्त्रीजी मन्जूर करें कि इस घटना की जांच की जाय। उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। थानेदार को तो गिरफ्तार नहीं किया गया और न दफा 307 में ही उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। इतना बड़ा आतंक उन लोगों में फैला हुआ है, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक थानेदार का घेराव किया था जिसमें यदि किसी मन्त्री का घेराव कर लिया होता तो पूरे गांव को ही गिरफ्तार कर लेते। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं अर्ज करता हूं, कि मेरी मांग है, मेरा अर्ज करना यह है कि मुतमयीन यह सिलसिला जो सदन में तारीख 18 से बराबर जारी है और यह घटना नोटिस में है, और जानकारी है तो राज्य सरकार उसके बारे में क्या कदम उठाना चाहती है? किस प्रकार से वह पुलिस का रवैया बदलवाना चाहती है? एक बार नहीं अनेक बार इस सदन के प्रांगण में इस प्रकार की घटनाएं आ चुकी हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे माफ करना इस सदन में ऐसे कई लोग हैं जो साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं और बड़ी उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं।

जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उन सर्विसेज के अन्दर ऐसे लोगों की वजह से बड़ी उत्तेजना पैदा होती है, हालत खराब होती है और प्रतिगामी शक्तियों को इन सवालों को लेकर शोषण करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस मामले में संजीदगी के साथ मुख्य मंत्री जी से, कि उन सर्विसेज में, जो असेंसियल सर्विसेज को तारीफ में आती हैं, वह फौज के लोग हों, पुलिस के लोग हों····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अब दो मिनिट में अर्ज कर देता हूं।

ऐसी सर्विसेज में ऐसे लोगों का वजूद पाया जाता है, मैं गुजारिश करूंगा, उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करनी चाहिये और उनको हटाना चाहिए जो शांति को खत्म करना चाहते हैं, जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ऐसी हालत पैदा करना चाहते हैं, जिससे उत्तेजना पैदा हो, फिरकायी झगड़ा पैदा हो। हमारे देश में झगड़ा नहीं होना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं अर्ज करूंगा, आप इस मामले में, जो कैथून में हुआ है, फौरन इत्तला हासिल करके सदन को अवगत करायें, वहां कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। मुझे मालुम हुआ है, बहुत बड़ा तबका पुलिस द्वारा भगाया जा रहा है वहां से दो सौ आदमी रवाना होकर यहां आये हैं। यह ऐसा मामला है जिसके बारे में गौर से सोचना चाहिये। और पूरी मालुमात करके एक स्टेटमेंट यहां देना चाहिये इतनी ही मैं अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही गंभीर है। जयपुर से केवल चार मील, पांच मील की दूरी पर घटना घटी है। पंचायत समिति झोटवाड़ा की एक ग्राम पंचायत नागल जैसा बोहरा के सरपंच श्री नारायण और उप-सरपंच नन्दकिशोर शर्मा ने आठ सौ हरिजन घरों के लोगों को, जिनमें बलाई, गूजर, मीणे, बुनकर हैं, और जिनकी लिस्ट मैं साथ में लाया हूं, यह कहा, आप सौ सौ रुपये दीजिये। मनोहरपुर में 5 फरवरी को इन्दिरा गांधी तशरीफ लायेंगी। तब उनके हाथ से पट्टे वितरित करवाये जायेंगे। इस प्रकार से 45 हजार रुपया 450 घरों से इन सरपंचों ने वसूल किया और बाकी के घर, चार सौ घर थे वह चूंकि अपने जेवर, अपने बरतन, अपने कपड़े नहीं बेच सके इसलिए सौ रुपये एकत्रित नहीं करा सके। 5 तारीख को जब सरपंच के कथन के अनुसार उस गांव के अन्दर बस नहीं पहुंची तो गांव वाले परेशान हो गये। उन्होंने कहा कि मनोहरपुर में इन्दिरा गांधी पहुंच चुकी हैं, हमें पट्टे कैसे मिलेंगे। उनके द्वारा 8 तारीख को सरपंच का घेराव किया गया तो सरपंच के लठैतों ने बुरी तरह से उन लोगों को पीटा। वह लोग कलेक्टर के पास हाजिर हुए, पंचायत के पास हाजिर हुए। पंचायत और कलेक्टर ने यह जानकारी प्राप्त करना मुनासिब नहीं समझा कि जयपुर से केवल पांच मील की दूरी के ऊपर आठ सौ घर बिना आवास के अलाटमेन्ट के कैसे रह गये। उन्होंने उनको अपने दफ्तर से बाहर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं सदन को, यह सरपंच महाशय कौन हैं, क्योंकि कल जनसंघ के नेता यह कह रहे थे, हम जखीरेबाजों के चौकीदार नहीं हैं, यह सरपंच महोदय झोटवाड़ा पंचायत समिति के जनसंघ ब्लाक के अध्यक्ष हैं और यह उप-सरपंच उपाध्यक्ष हैं, और वह लोग, जिन्होंने गरीब हरिजन बुनकरों को घेर कर बुरी तरह मारा, और कोई नहीं आर. एस. एस. के वर्कर थे जिन्होंने जनसंघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रक्षा की। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे गम्भीर बात और नहीं हो सकती। आज जब एक और राज्य के मुख्य मंत्री यह कहें कि हमने पांच लाख पट्टे दे दिये हैं, दूसरी ओर पट्टे दिये जाने की बात है वह दूर है, उनके नाम दर्ज करने की दूर की बात है, आज उनके साथ जालसाजी की जाय···

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में कह दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन्दिरा गांधी के नाम पर उनके साथ फरेब किया जाय, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय से आप मेरी तरफ से कहेंगे कि वह इस सम्बन्ध में गम्भीर एक्शन लें, जांच करें और इस सदन के अन्दर अपना स्टेटमेन्ट दें।

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक शब्द मैं भी निवेदन करना चाह रहा हूं···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो लिस्ट है वह मैं देने को तैयार हूं।

श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : दीपंकर जी इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।

श्री दीपंकर : मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं वहां जाकर आया हूं। मैं नई इन्फार्मेशन दे रहा हूं मैं वहां जाकर आया हूं।

श्री मीठालाल : स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में बोलिये।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट आप भी फर्माइये।

श्री दीपंकर : जनसंघ के खिलाफ कोई बात आती है इस सदन के सामने और वह प्रस्तावक के समर्थन में आती है तो आने दीजिये। जो बात सही है वह मैं कहूंगा, मैं वहां जाकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या फर्माना चाहते हैं ?

श्री दीपंकर : मैं कहना चाहता हूं, मैं वहां पर गया था और हरिजनों से मिला था, कार्यकर्ताओं से मिला था, जो जनसंघ के हैं। उनसे कहा, पैसा क्यों दिया ? उन्होंने कहा, कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे थे। हमने कहा, इनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनी या नहीं बनी और इन्दिरा गांधी, जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, उनके नाम का उपयोग कैसे किया। यह जानकारी चाही इस पर कहा, इन्दिरा गांधी का नाम नहीं लेते तो कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं बनती। लेकिन न तो कोआपरेटिव सोसाइटी बनी और न वापिस वह पैसा लौटाया गया। वहां जनसंघ के माननीय सदस्य कांग्रेस पर बड़े बड़े चार्जेज लगाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए इससे बढ़ कर भंयकर बात नहीं हो सकती कि उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इन्दिरा गांधी के नाम पर पैसा इकट्ठा किया।

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव के खड़े होने पर) No counter reply

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर से सम्बन्धित प्रश्न है जनसंघ पर आरोप लगाया है। मेरा निवेदन है कि जनसंघ के सरपंच या उप-सरपंच नहीं है और दीपंकर जी ने जो कुछ कहा है, वह असत्य है और बिल्कुल झूंठ है।

श्री दीपंकर : बिल्कुल सत्य है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिल्कुल सत्य है।

श्री दीपंकर : मैं मिला हूं, सरपंच और उप सरपंच से मिला हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनसंघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरपंच हैं। मैं चैलेंज करता हूं और जनसंघ के सदस्यों को, आर.एस.एस. के वर्कर को यूज किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : Please sit down.

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय..

श्री मीठालाल : यह झोटवाड़ा, दीपंकर जी, जयपुर से किधर है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला टोंक में दो नगरपालिकाओं के अन्दर हड़ताल चल रही है। हरिजन अपनी मांगों को लेकर...

श्री दीपंकर : आप मेरे साथ चलिये। मैं बताऊंगा कि किधर से जाते हैं। मैं बिना आधार के नहीं कह रहा हूं। मैं जाकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आपको मौका दे दिया। आप बार बार नहीं बोलें।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : जिला टोंक की दो नगरपालिकाओं के अन्दर हड़ताल चल रही है, नगरपालिका टोंक और उनियारा, हरिजन वहां पर अपनी मजदूरी की मांग को लेकर, वेतन वृद्धि और दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर गये हुए हैं। हमारी टोंक के नगरपरिषद के प्रशासक जिलाधीश महोदय हैं, लेकिन उनके द्वारा हरिजनों को संतोष आज नहीं हो पाया है। राज्य सरकार उदासीन है और कार्यवाही नहीं कर रही हैं। इस कारण स्थिति भयंकर हो रही है। हड़ताल पर हरिजन बन्धु बैठे हैं और पुलिस उनको उठा उठा कर थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट कर रही है। वहां स्थिति भयंकर होने से लोग परेशान हैं। यह महत्व का प्रश्न है। मैं चाहूंगा, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त वक्तव्य दे और जो दिक्कत खड़ी हो गई है दो शहरों के अन्दर, उसका मुख्य मंत्री जी बीच बचाव करके फैसला करायें ताकि नागरिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, दौसा कस्बे की नगरपालिका प्रशासक महोदय ने इस अकाल के समय पर गृह कर लगाया है, उसके सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। दरअसल इस फ़ेस कर से पूर्व, कुछ समय पूर्व नगरपालिका दौसा ने वहां की जो चुंगी की दर थी, उसमें असाधारण वृद्धि की, जबकि आस पास अकाल की स्थिति है। उस दौरान में जनता ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के समय हमारे यहां के प्रमुख नेताओं के द्वारा लोगों को आश्वासन देने पर कि चार पांच माह में इसको विथड्रा करवा देंगे, उस समय लोग शांत हो गये। लेकिन बड़े दुःख की बात है, वह विथड्रा नहीं हुआ। हो सकता है कि वहां के नेताजी ने कहा होगा और उनकी यहां नहीं चलती होगी। उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं मानता हूं। लेकिन उसके बाद प्रशासक द्वारा दूसरा प्रहार किया गया, दौसा जिले में 193 गांवों में अकाल की स्थिति घोषित की गई है, लोग अनाज के लिए परेशान हैं, दौसा कस्बा एक तरह से सेमी एग्रीकल्चरिस्ट्स और सेमी लेबर से बसा हुआ है, गांवों में ऐसे लोग हैं जो ठीक ढंग से नहीं रह सकते हैं, ऐसे कस्बे में, जहां पर एक टाइम लोग खाना खाते हैं, अस्सी प्रतिशत लोगों पर प्रशासक द्वारा गृह कर लगा देने के कारण लोगों में असंतोष है : वह इस लाइट में सोचते हैं, नगरपालिका की चुंगी में असाधारण वृद्धि की गई और जो आन्दोलन हुआ वह किसी के आश्वासन पर रुका। उसका नतीजा है कि उनकी शराफत का नगरपालिका के प्रशासक द्वारा नाजायज तरीके से शोषण किया जाय। वहां पर लोगों को परेशान करने के तरह तरह के तरीके अपनाये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, कम से कम पूर्व की बढ़ाई हुई चुंगी दर को मद्दे नजर रखते हुए इस समय दिक्कत की स्थिति में जब कि सरकार लोगों को जिन्दा रखने की कोशिश करती है, किसी हद तक लोगों को रोजगार दिये जायं, राहत कार्य खोले जायं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों के लिए जो अपंग है, उनके लिए सहायता दी जाय ताकि वह जिन्दा रह सकें, और इस कहतशाली के टाइम को पास कर सकें। उसके बाद जो लेन-देन होगा, वह लेते-देते रहेंगे। ऐसे

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मौके पर गृह कर लगाया है, वह एक तरह से उत्तेजना बढ़ाने वाला है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि ऐसे नाजुक समय में जब लोगों को जिन्दा रहने की परेशानी है, आप मेहरबानी करके कम से कम इसको कैंसिल नहीं करें तो कम से कम स्थगित करें जब तक कि अकाल रहे।

श्री मीठालाल : बड़ी अकल के साथ कहा है।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, बाड़मेर में साथी द्वारिकेश जैन ने राहत कार्य खोलने के लिए व पीने के पानी की व्यवस्था के लिए और किसान संघर्ष समिति की ओर भी 12 मांगों के लिए कई दिनों से आन्दोलन चला रखा था, उनकी हड़ताल का आज 13 वां दिन है, उसके मुतल्लिक मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि वास्तव में वहां पर राहत कार्य न खोलने का उनके पास कोई औचित्य है। वह जिला अकाल से बुरी तरह से पीड़ित है, राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। खाने को दो ढाई किलो माइलो देते हैं, वह भी समय पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी हालत में 13वां दिन हो गया, भूख हड़ताल किए हुए। उसके लिए मैं मंत्री महोदय से इस बात की जानकारी चाहूंगा कि वह क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्या वह उनके जीवन की रक्षा करने जा रहे हैं और जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या करने की सोची है ?

श्री केसरी मल (ब्यावर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे जिले में थोड़े से इलाके को छोड़कर बाकी क्षेत्र में हर साल अकाल पड़ता है। मिट्टी डालने का कुछ कार्य किया गया है लेकिन इस बार बहुत भयंकर स्थिति है। 1974 में शीत लहर से खेती नष्ट हुई और कम पानी आने से रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल भी नष्ट हो गई। ऐसे सारे इलाके में जहां 3—4 साल से बराबर फसल नहीं हो रही है और पहाड़ी इलाका है जिसमें सिवाय पहाड़ी पत्थरों के कुछ न हों, वहां के लोगों के लिए कार्य न खोलेंगे तो यह गैर जिम्मेदाराना कार्य होगा और इस कारण वहां के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं जिनको कराया जा सकता है। मैं सरकार के सामने बराबर कह रहा हूं कि जैसे बांध का काम अधूरा था उसको फीडर में डालने की व्यवस्था थी, जो अधूरे काम पड़े हैं जिनमें लाखों रुपये लग चुके हैं, फिर भी वे काम अधूरे पड़े हैं अगर उनको पूरा किया जाय तो पानी जमा हो सकता है राहत मिल सकती है लेकिन हमारी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

जिन इलाकों में हर साल अकाल पड़ता हो उस इलाके को छोड़ने की बात गलत होगी। इसलिए चम्बल के पानी को लिफ्ट करके अजमेर के इलाके को इन तालावों के अन्दर छोड़ा जाय और तालाबों को भर दिया जाय तो इससे सिंचाई और पानी के साधन भी हो जायं। आप कहेंगे कि बहुत पैसा खर्च होगा। अगर सारे देश में पैसा खर्च करने के बाद किसी जगह और कोई फायदा न भी हो और लोगों को जीवित रखा जाय तो भी ठीक है।

(श्री केसरीमल)

चाहे सरकार इस ओर ध्यान न दे लेकिन लोग ध्यान दिला रहे हैं और यह कहने आए थे कि हम न गाड़ी निकलने देंगे न लोगों को जाने देंगे। हमने उनसे कहा है कि सरकार के सामने मामले को रखेंगे। दो तीन महीने से एक किलो अनाज भी राशन की दुकानों पर नहीं दिया गया है। जब काम नहीं दे रहे हैं और राशन पर अनाज नहीं दे रहे हैं तो वहां के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप इस समस्या के महत्व को समझें। अगर काम नहीं खोलेंगे तो लोग भूखे मरेंगे लेकिन मरने से पहले लड़ेंगे। तो मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों को जीवित रखने के लिए कुछ काम दिया जा सकता है, नहीं तो इसके परिणाम खराब निकलेंगे।

श्री खेताराम (रायसिंहनगर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि राजस्थान नहर में हरिजनों को वी. डब्ल्यू. एस. एम. व पी. टी. डी. में भूमि दी गई है उसमें 5 साल हो गये लेकिन पानी नहीं पहुंचा, पीने के लिए पानी नहीं है वहां हरिजनों की बुरी हालत है। उन लोगों को जमीन पक्की एलॉट हो रही है और पानी नहीं पहुंचा है, वहां हरिजनों ने भूख हड़ताल की है। कम से कम एक हजार आदमी वहां बैठे हैं उनको पानी पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आबू पर्वत पर 1948 में स्थापित हुई थी, उस कारण से व आबू पर्यटन केन्द्र के नाते उसकी गरिमा थी और वहां पर लगातार हर वर्ष बहुत बड़ी संख्या में आई. पी. एस. कैडर के लोग आते थे और उनके साथ में बहुत बड़ा स्टाफ और एक्टिविटी रहती थी, उसका पिछले माह में इस कारण से वहां से हटाने का निर्णय लिया गया जैसा कि कमांडेंट ने प्रेस वालों को बताया कि राज्य सरकार ने भूमि, भवन व चिकित्सा सुविधायें देने में हमारी बार बार मांग करने के पश्चात् भी असमर्थता बताई है। मुझे इस बात का खेद है कि राजस्थान में एक ही सुन्दर स्थान है आबू पहाड़ के रूप में और यह तो खुशी की बात है कि उसका उपयोग गुजरात के लोग ज्यादा करते हैं और राजस्थान की ओर से विकास पर जितना ध्यान देना चाहिए वह नहीं दिया जाता। उसके स्थान पर जो वहां पर वर्तमान इन्स्टीट्यूशन्स हैं वह भी चली गई हैं। 3 फरवरी, 1975 को मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने आश्वासन दिया। अखबार में आया जिसमें है कि श्री हरिदेव जोशी आबू गए, शिष्ट मण्डल को उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, माउंट आबू से नहीं हटाई जाएगी। दूसरी ओर अकादमी के अधिकारी ने हमारे संवाददाता को बताया कि अकादमी का सामान स्पेशल ट्रेन लेकर हैदराबाद रवाना हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि अकादमी हटाए जाने से जनता में भारी रोष है।

यह तो खुशी की बात है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का निर्णय लिया है या लेने की संभावना है कि हमारी विधान सभा का अधिवेशन आगामी सत्र के बाद में आबू पहाड़ पर कुछ समय के लिए हर वर्ष होगा, इसके लिए योजना बनाकर अगले वर्ष से इम्पलीमेंट की जा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सके इसके लिए कार्यवाही की जाएगी। इस कारण आबू का चहुंमुखी विकास होगा, उसका महत्व भी बढ़ेगा लेकिन इसके साथ में जो वर्तमान संस्थायें वहां पर हैं खास तौर से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उसको न जाने दिया जाए इसके लिए भूमि, भवन व चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जायं। मुख्य मंत्रीजी स्वयं विराजमान हैं वह इस संबंध में सक्रिय रूप से कार्यवाही करें, इसके लिए न वक्तव्य की न जानकारी की आवश्यकता है। हम तो केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।

श्री भोमाराम (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि डीडवाना जिला नागौर में बिजली की बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। तारीख 19 से लेकर कल तक हमारे यहां पर बिजली दिन को आती ही नहीं बल्कि रात को कभी कभी दो ढाई घन्टे के लिये आती है जिससे वहां पर काश्त पर बड़ा भारी असर पड़ रहा है। यह पिछले वैसे तो नवम्बर, दिसम्बर से ही है पर जनवरी की 19 तारीख से तो काफी गड़बड़ है बिजली बिलकुल ही काश्तकारों को नहीं मिलती है इसलिये में आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके उसके लिये इस गड़बड़ी के लिये इन्क्वायरी कराना चाहता हूं। वैसे भी पिछले तीन चार सालों में 10 आना 12 आना बिजली की कमी की वजह से और अकाल की वजह से फसल नष्ट हो रही है। आज वहां पर अकाल की समस्या बनी हुई है और बिजली समय पर नहीं मिलने से वहां और भी ज्यादा समस्या बन रही है। अभी की स्थिति ऐसी है कि 80 प्रतिशत बिजली तो नष्ट हो गयी है। अब चूंकि तारीख 19 जनवरी से ही बिजली नहीं आ रही है तो फसल तो बरबाद होगी ही इससे काश्तकारों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर एक काश्तकार का बिजली वालों से झगड़ा हो गया था तो बिजली वालों ने उसकी तो बिजली काट दी पर साथ में गांव के दूसरे खेतों को बिजली देना बन्द कर दिया। अगर वहां पर किसी खास काश्तकार ने कोई बदमाशी की तो आप उसे दण्ड दें। एक काश्तकार के पास 50 बीघा जमीन हो उसका आप कनेक्शन काटें पर उसके साथ आप 20 का कनेक्शन क्यों काटें? अध्यक्ष महोदय, आज 20 फरवरी हो गई है एक महीना हो गया, हमने इसकी शिकायत बड़े आफिसरों के पास की वहां से तारीख 23 जनवरी को एडीशनल चीफ इन्जीनियर साहब आये और उन्होंने आदेश दिया वहां ऐसिस्टेंट इन्जीनियर श्री जैन को कि लोगों को कनेक्शन दे दिया जाय। फिर बाद में एस.ई.साहब आये उन्होंने भी यही कहा मैं खुद जब वहां पर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर साहब आये तब मिला तो उन्होंने आदेश दिया कि बिजली दे दी जावे पर वहां के जो लोकल आफिसर हैं वह अधिकारियों के आदेशों की पालना ही नहीं कर रहे हैं। इससे वहां के काश्तकार बहुत ही परेशान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भोमाराम : हुक्म एक मिनट में ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मेरा निवे-

(श्री भोमाराम)

दन यह है कि काश्तकारों को बहुत ही नुकसान हो रहा है गरीब लोग बरबाद हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल डीडवाना तहसील में ही 850 घर हैं और 9 हजार बीघा जमीन है। सारी फसल नष्ट हो रही है। यह बिजली के अधिकारी जो वहां पर हैं सारी फसल सत्यानाश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप इसके लिए एक स्पेशियल कमेटी एपोइन्ट करावें। डीडवाना तहसील में जो काश्तकारों को बिजली के लिए जो परेशानी हो रही है और उससे जो काश्त नष्ट हो रही है उसकी इन्क्वायरी करें और उसमें दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाय। इसके अलावा वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी व अधिकारी लोगों का बरताव बहुत ही खराब है कुओं के लिए नये कनैक्शन के लिए उन्होंने लोगों से 16, 16 हजार रुपये एडवान्स तो जमा करा लिये हैं लेकिन उनको बिजली कुओं पर नहीं दी जा रही है और मैं आपको बतादूं, अध्यक्ष महोदय, यह जब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वहां के अफसरों के रिश्वत के पैसे नहीं दिये जायेंगे। क्योंकि आज काफी दिन हो गये हैं एल फार्म दिये पर बिजली का कनेक्शन कुओं पर नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भोमाराम : अभी एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय इसके लिए हमने एडीशनल चीफ इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर, एस. ई. साहब सबको ही शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ। अभी 12 तारीख को एक्स.ईन.साहब आये थे हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि यह बात तो मेरे बस की तो नहीं है क्योंकि डीडवाना का जो बिजली का स्टाफ है वह मुझे तो घेर कर बैठा है। उन्होंने कहा कि ये लोग मान नहीं रहे हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक्स.ईन. के तो वहां के स्टाफ के लोग काबू में आते नहीं इसलिए आपके माध्यम से मैं यह चाहूंगा कि आप इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव डालकर वहां के लोगों को बिजली मिले ऐसा आश्वासन सदन में मन्त्री महोदय से दिलावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष : फरमायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है उसको भारत सरकार की जो ड्राईपोर्ट बनाने की योजना है उसके बारे में है। अध्यक्ष महोदय इस बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री जी उदासीनता बरत रहे हैं उसको दूर करने के लिए मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खनिज की बहुतायत है जिससे कि यहां की अर्थव्यवस्था काफी सुधर सकती है अगर इसका विकास किया जाय तो। आज भौगोलिक दृष्टि से भी राजस्थान का काफी विस्तार हुआ है। संचार व्यवस्था भी यहां की अच्छी है, यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं। मीटर गेज और ब्रोडगेज की रेलवे लाइन के साधन उपलब्ध हैं। अगर आप जयपुर को ड्राईपोर्ट

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बनवाने की जो योजना है उसकी ओर ध्यान दें तो यहां की इम्पोर्टेन्स तो बढ़ेगी उसके साथ ही लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। जयपुर का एरोड्राम वैसे भी इन्टरनेशनल एरोड्रोम है यहां पर इन्टरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको इससे काफी सहूलियतें मिलेंगी। वैसे मुख्य मन्त्रीजी यह तो कोई पार्टी का सवाल नहीं है। आप भी राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं यहीं पर विराजते हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है अगर आप इसको ड्राई पोर्ट बनाने की योजना को जल्दी से क्रियान्वित करादें तो लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। जहां पर राज्य सरकार के लाखों रुपये खर्च और कामों में होते अगर जयपुर को ड्राईपोर्ट बनवा दें तो ठीक रहेगा। वैसे यहां पर वेअरहाउसिंग की भी व्यवस्था है खनिज बहुतायत होने से·····

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री इस बारे में सदन में कुछ फरमावें। वैसे जब कभी भी लाठी, गोली की बात चलती है तो मुख्य मन्त्री जी बीच में उठ कर बोलते हैं पर इस प्रश्न पर मुख्य मन्त्रीजी मौन हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार इनके मौन रहने के कारण आबू में जो राष्ट्रीय पुलिस एकेडेमी थी वह चली उसी प्रकार जयपुर को ड्राईपोर्ट बनाने की बात थी वह समाप्त नहीं हो जाय। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस प्रश्न पर मुख्य मन्त्रीजी सदन में कुछ बोलें। मैं इनसे सदन में बुलवाना चाहता हूं।

वैसे तो इन्हें उदासीनता नहीं बरतनी चाहिये क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण मसला है। यहां से, अध्यक्ष महोदय, खनिज की बहुतायत होने से ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा भारी उद्योग है हर साल करोड़ों रुपयों की ज्वेलरी विदेशों में जाती है और मैं समझता हूं कि जितना ज्वेलरी का व्यौपार जयपुर से होता है उतना शायद हिन्दुस्तान के किसी भी शहर से नहीं होती है इसलिए यहां पर जो खनिज हैं उसके उद्योग भी खोले जायं··

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वैसे मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि हमारे यहां पर जो रॉक फास्फेट है उसको जापान लेने को तैयार है। इसलिए इन उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पावर का सवाल है वह भी काफी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। काफी हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं पर मुख्यमंत्रीजी इस पर बोल ही नहीं रहे हैं यह तो नीति का प्रश्न नहीं है। राजस्थान के लिये गर्व की बात है क्योंकि यहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही उद्योग हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर को ड्राईपोर्ट बनाया जाय। इससे न केवल जयपुर का ही महत्व बढ़ेगा अपितु राज्य की जनता को काफी सुविधा मिलेगी। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यातायात की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, अन्य सारे प्रांतों से आगे हैं। राजस्थान सरकार आखिरकार इस ओर उदासीन क्यों है? मुख्य मंत्रीजी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

अपने पक्ष को वजन के साथ में दिल्ली में क्यों नहीं रखते हैं ? क्या वहां पर राजस्थान की लोबी कमजोर है ? क्या आपने राजस्थान के विधायकों को कमजोर समझ रखा है ? हम सब आपके पीछे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरे पीछे हैं इसमें कहीं कोई शक नहीं।

श्री अध्यक्ष : We are not having a debate on this subject. This is an adjournment motion. Why don't you follow your Leader ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं। अहमियत का प्रश्न है। इस पर भी मुख्य मंत्रीजी न बोलें यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है।

श्री अध्यक्ष : आखिर मर्यादा तो है। Take it seriously.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के अन्य प्रान्त हर तरह से कोशिश कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार ही क्यों नहीं इस प्रश्न को गम्भीरता से ले रही है ? मेरा यह निवेदन है।

...अभी पार्लियामेन्ट में मि. प्रणव मुकर्जी, मिनिस्टर आफ स्टेट, ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है :

"A decision to set up a proposed dry port in Rajasthan preferably at Bharatpur or Alwar or Jaipur was under consideration of the Government in reply to Saraswati Pradhan's question No. 68"

सरस्वती प्रधान के प्रश्न नं. 68 के सम्बन्ध में यह घोषणा की गई है। इस प्रकार जब प्रेशर डाला जा रहा है तब आप क्यों नहीं इस ओर कुछ करना चाहते हैं ?

बहुत सी लम्बी चौड़ी बातें कही जा सकती हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान को आगे होना चाहिए इसमें। आपने इसको गम्भीरता से क्यों नहीं लिया है ? देश की प्रधान मंत्री आयीं यहां राजस्थान में। आपने मेमोरेन्डम दिये।

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

राजस्थान ड्राइ पोर्ट घोषित हो जाय आपने इसकी वकालत नहीं की। इसलिए मैं आप पर इस सम्बन्धी विनम्र शब्दों में आरोप लगाना चाहता हूं। महरबानी करके, आप इसको गम्भीरता से लें। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई पोर्ट बनाने की योजना बना ली है। आपको सदन को इस मामले में विश्वास में लेना चाहिए। पूरा राजस्थान आपके साथ है। आप राजस्थान को ड्राई पोर्ट घोषित करवायेंगे। दिल्ली में लोबी मौजूद है। आपको तुरन्त खड़े होकर आज ही अभी एक वक्तव्य इस सम्बन्ध में देना चाहिए वरना मेरा आप पर यह आरोप है कि राजस्थान की सरकार, मुख्य मंत्री राजस्थान के विकास में रुचि नहीं रखते हैं केवल थोथी घोषणायें करते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): कांग्रेस के प्रधान के शब्दों में हमारे मुख्य मंत्री भी वजीरे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

आजम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को बजाय मुख्य मंत्री के वजीरे आजम कहना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्हें मजबूर आप ही कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहना चाहते हैं या नहीं माननीय मुख्य मंत्रीजी, बड़ी अहमियत का प्रश्न है। आपको बोलना चाहिए। जिन प्रश्नों पर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाती उन पर तो आप बोलने के लिए खड़े हो जायं और ऐसे मामलों पर आप कुछ कहना ही नहीं चाहते यह अच्छी बात नहीं है। आपने इस ओर क्या प्रयास किया है ? आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं ?

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। आप ना करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : न मैं ना करा सकता हूं और न ही मैं हां करा सकता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट देना चाहें तो इसकी व्यवस्था आप ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : We have taken another business.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंटरी प्रोसिजर से आप वाकिफ हैं।

माननीय गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य : चूरू में छात्र नेताओं तथा पत्रकारों की गिरफ्तारी

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : दिनांक 8 फरवरी, 1975 को चूरू में मुख्य मंत्री महोदय के कार्यक्रम के विरोध में स्थानीय छात्र संघर्ष समिति ने चूरू में हड़ताल रखने का आव्हान किया। वहां गोपीराम गोयनका हायर सैकेण्डरी स्कूल के उद्घाटन के सिलसिले में आयोजित सभा की कार्यवाही में कुछ लोगों ने बाधा पहुंचाने की कोशिश की और जब मुख्य मंत्री एवं अन्य अधिकारीगण कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तो उनकी गाडियों पर पथराव किया गया। पथराव के फलस्वरूप जिलाधीश की कार के शीशे को क्षति पहुंची तथा ड्राईवर के चोटें आई। एक पुलिस की गाड़ी के ड्राईवर को भी चोटें आई।

इस पथराव के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया एवं 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक हिरासत में रखा गया। इन व्यक्तियों के नाम हैं–सर्व श्री बालमुकन्द ओझा, विमलकुमार, सुभाष भाकर, रनवीर भाकर, शिवपूजन गुप्ता, मूलचन्द एवं मंगलचन्द।

न्यायिक हिरासत में जो व्यक्ति रखे गये उनमें सर्व श्री बाल मुकन्द ओझा, विमल सारस्वत तथा शिवपूजन ने पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट करने की शिकायत की। इस शिकायत पर पुलिस प्रबोधक, चूरू ने इनकी डाक्टरी जांच कराई। डाक्टरी जाच में श्री शिवपूजन एवं श्री विमल सारस्वत के मामूली चोटें होना बताया गया। श्री

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
बालमुकन्द ने डाक्टरी जाँच कराने से इन्कार कर दिया।

दिनांक 11 फरवरी को मुलजिमान की ओर से न्यायिक दण्डनायक के पास प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें उन्हें पुलिस द्वारा पीटने की शिकायत की गई। इस पर न्यायिक दण्डनायक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ को डाक्टरी मुआयने के आदेश दिये। इस पर 3 डाक्टरों के एक बोर्ड ने मेडीकल जांच की और सर्व श्री शिव पूजन, बालमुकन्द तथा विमल कुमार के चोटें होने की पुष्टि की।

पुलिस अधीक्षक ने जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं, जांच आरम्भ कर दी है तथा सांवर मल, हैड कान्स्टेबल, जसराज, हैड कांस्टेबल तथा रामलाल एल. सी. जो इस मामले की तफतीश कर रहे थे, को निलम्बित कर दिया है।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू काण्ड के बारे में जो माननीय गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है मैं इसको पूर्णतया असन्तोषजनक समझता हूं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो छिपाये गये हैं जिससे इस सारे मामले की अहमियत और महत्ता को सदन में प्रकाशित न किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी चूरू में 8 तारीख को जाने वाले थे। यह सारे तथ्य जो मैं निवेदन कर रहा हूं मैं यह बता दूं कि मैं मेडीकल रिपोर्ट की सर्टिफाइड कापी बयान आदि लेकर आया हूं, कल मैं तीन बजे चूरू गया था और इस मामले की पूरी जांच करके आया हूं और उसके आधार पर सारे तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया गया है कि 8 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी चूरू जाने वाले थे उसके पहले दिन की रात्रि को डाक बंगले के अन्दर एस. डी. एम. के सामने जहां कांग्रेस के उस क्षेत्र के विधायक बैठे हुए थे, उनके सामने यह बात कही कि कल गोयनका स्कूल में माननीय मुख्य मंत्री जी उद्घाटन करने आयेंगे तो वहां पर अशान्ति हो जावेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी 8 तारीख को गोयनका स्कूल में गये और वहां पर मुख्य मन्त्री जी अपना भाषण नहीं दे सके। भाषण के समय के अन्दर वहां पर मुख्य मंत्रीजी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वह शोभनीय नहीं है। उसे अशोभनीय, खेदजनक ही समझा जावेगा ऐसा व्यवहार किसी भी दल के व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिये।

इसके साथ साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस तथ्य को हमारे दल के सचेतक महोदय श्री भानुकुमारजी शास्त्री ने यहां सदन में रखा था कि डाक बंगले में यह बात बता दी गई थी, कांग्रेस के विधायक वहां पर उपस्थित थे, किसी व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह व्यक्ति मुख्य मंत्रीजी के उस समारोह में से गायब रहे। जहां पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। कांग्रेस के विधायक गायब रहे और मुख्य मंत्री को वहां क्यों छोड़ दिया गया? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

थी ? कांग्रेस के विधायक को पहली रात को बता दिया गया था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुख्य मंत्री को सूचित करते कि मेरे पास सूचना आ गई है वहां मत जावो । अब जब यह हो गया तो छात्रों पर रोष प्रकट करना, पत्रकारों पर रोष प्रकट करना, इस कारण प्रतिशोध के रूप में, बदले के रूप में मुख्य मंत्री के साथ जो कुछ हुआ गोयनका स्कूल में उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा क्या गोयनका स्कूल में जो अभद्र व्यवहार मुख्य मंत्री के साथ हुआ स्टेज के आस पास तो ऐसी स्थिति आ गई वहां से उठाकर कार में बैठाना पड़ा, क्या उसके बारे में एफ. आई. आर. दर्ज की गई, क्या कोई शिकायत की गई ? क्या कोई अपराधी पाया गया ? न शिकायत है, न शिकवा है और न एफ. आई. आर. है । एफ. आई. आर. दो दिन बाद दर्ज की गई है । मुख्य मंत्री के जाने के बाद गोयनका स्कूल की कार्यवाही में कोई शिकायत शिकवा नहीं है । बाद में आपसी द्वन्द्व के कारण, राजनैतिक वैमनस्य के कारण कोई ऐसा व्यक्ति आता था एफ. आई. आर दर्ज कराना मुख्य मंत्री ने उचित नहीं समझा । अब प्रश्न आ जाता है पत्रकार बाल मुकुन्द ओझा, राजस्थान पत्रिका के संवाददाता–उसको कवि सम्मेलन में से रात्रि को 12 बजे एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. ने पकड़ा । यह मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से यह तथ्य उभर कर आया है । वहां से जाने के बाद रतनगढ़ में षड़यन्त्र बनाया गया । छात्रों को, पत्रकारों को, जन नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सबक दिया जाय और इस कारण वहां से आकर रात्री को साढ़े 8 बजे यह षड़यन्त्र बनाया और एफ. आई. आर. लॉज की गई दूसरे दिन और, अध्यक्ष महोदय, कलक्टर के ड्राइवर से एफ. आई. आर. दर्ज करवाई जाती है और उसने बताया जब मैं लेकर जा रहा था तो पत्थर फेंके गये जिसमें बाल मुकुन्द, शिव पूजन और विमल सारस्वत तथा दूसरे व्यक्ति भी शामिल थे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पुलिस के सीनियर आफिसर्स उपस्थित थे, एस. पी. उपस्थित थे, डी. वाई. एस. पी. उपस्थित थे, एस. डी. एम. उपस्थित थे, अन्य व्यक्ति उपस्थित थे सब-इन्सपेक्टर उपस्थित थे तो फिर दूसरे दिन कलक्टर के ड्राइवर को एफ. आई. आर. दर्ज करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? यदि यह षड़यन्त्र नहीं था, उनको फंसाने की भावना नहीं थी तो क्या था ? केवल राजनैतिक प्रतिशोध की भावना थी । इन्सीडेन्ट जब हो गया था तो उसी समय क्यों नहीं एफ. आई. आर. लॉज की गई ? मेरे पास एफ. आई. आर. की कापी है, कापी नं. 21 वक्तन फवक्तन बताते हैं 1 बजे और 3 बजे के बीच में

श्री अध्यक्ष : कोई आथोराइज्ड कापी है क्या ?

श्री गुमानमल लोढा : मेरे पास में यह कापी है–

श्री अध्यक्ष : कन्टेन्ट्स दे दीजिये ।

श्री गुमानमल लोढा : कन्टेन्ट्स ही दे रहा हूं टाइम नहीं, 8–2–75 को सात बजे के करीब वहां से वापिस आकर यह लॉज की गई है । इन्सीडेन्ट यह हुआ राजस्थान के मुख्य मंत्री के साथ, कलक्टर के साथ तो उसी समय एफ. आई. आर.

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

क्यों नहीं लाज की गई। एक से साढ़े 6 बजे बीच वहां के एस. पी, डी. वाई. एस. पी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य व्यक्ति जो दर्शक थे उन्होंने एफ.आइ. आर. लाज क्यों नहीं की ? नं. 1 और नं. दो ये व्यक्ति रात को गिरफ्तार किये गये विमल सारस्वत, छात्रा परिषद् के संयोजक शिव पूजन जो सेक्रेटरी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा बालमुकुन्द राजस्थान पत्रिका के कारसपोंडेन्ट और पत्रकार और इसके अलावा दूसरे छात्र समिति के कार्यकर्ता इनको रात्रि को 12 बजे गिरफ्तार करके अध्यक्ष महोदय लाया गया और यहीं से मामला शुरू होता है। रात्रि को ले जाकर उनको बन्द कर दिया गया चुरू की कोतवाली में। विमल सारस्वत, बाल मुकन्द श्रोझा तथा शिव पूजन की बुरी तरह से पिटाई की गई। अध्यक्ष महोदय, एक एक व्यक्ति पर तीन तीन सिपाही खड़े हो गये और अध्यक्ष महोदय, यह तो हम सुनते आये हैं कि गिरफ्तार करते समय डण्डे लगाये, गालियां दीं, पुलिस वालों को गाली के अलावा कोई भाषा आती ही नहीं है और एक दर्दनाक बात अध्यक्ष महोदय स्वयं डी वाई. एस. पी. ने शिव पूजन के साथ की उसके सिर और मूंछ के बाल पकड़ कर खींच लिये और कहा तू बहुत गुण्डा है तुझे सबक सिखाना चाहता हूं। जब दूसरे, तीसरे दिन बयान दिये तब बताया। इसके अलावा शिव पूजन को अज्ञात स्थान पर ले गये। रतनगढ़, एक छोटा सा स्थान है वहां पुलिस की चौकी है वहां ले जाया गया पुलिस चौकी पर और एस.पी.व डी.वाई एस. पी. उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस वालों को संकेत किया रतनगड की चौकी पर सावरमल थानेदार और उसके साथियों ने दिन भर दारू की बोतलें खोल कर रख दीं और दारू का दौर बराबर चलता रहा। इस दारू के दौर के साथ साथ, अध्यक्ष महोदय पांच राउन्ड मार पिटाई के किये गये और तीन तीन लोग खड़े हो जाते हैं, कोई उसके जिस्म पर बैठ जाता है कोई हाथ पर बैठ जाता है और डण्डे से मारते जाते हैं और यह कहा गया अब लिखो पुलिस के खिलाफ। इतना ही नहीं, उनको बार-बार यह कहा गया विमल सारस्वत को कि अब बोलो जय प्रकाश जिन्दा बाद के नारे, इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद बोलो और जय प्रकाश मुर्दाबाद के नारे बोलो और जब तक नारे नहीं लगाते हैं तब तक मारपिटाई करते रहे हैं। इतना ही मामला नहीं, अध्यक्ष महोदय, मल-मूत्र, भिष्ठा मंगाया गया और उनके मुंह में दिया गया। यह कितनी अशोभनीय और दर्दनाक बात है। अध्यक्ष महोदय, राजा-महाराजाओं के समय में भी ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने तो उस जमाने को भी मात दे दी और, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मुझे कहने में शर्म आती है लेकिन मैंने कल जांच की है उन तीनों लोगों की शिव पूजन की, विमल सारस्वत और बाल मुकन्द ओझा उनकी मार पिटाई करते करते....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : (झुंझुनूं) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये वही बाल मुकन्द ओझा हैं जिनको सदन में पर्चा फेंकने पर सजा हुई थी ?

श्री गुमानमल लोढा : बाल मुकन्द ओझा वही हैं जिन्होंने सदन में पर्चे फेंके हैं और यह कहा है कि यह तो नकली तमंचा है और अब असली तमंचा होगा और उनको सजा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हुई थी। अध्यक्ष महोदय, बाल मुकन्द को सजा देने के बाद, सदन की अवहेलना के बाद जो सजा दी थी, उसकी पुलिस बदला लेने की भावना रखे यह कहां तक न्याय संगत है ? और, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मुझे कहने में भी शर्म आती है, जिह्वा से कहा नहीं जाता है लेकिन मल-मूत्र पिलाने के बाद, मिष्ठा खिलाने के बाद उनके गुर्दों में डण्डे लगाये गये और सबसे अधिक शर्म की बात यह कही गई कि उन तीनों के लिंग को आपस में मुंह में लेने को कहा गया इससे अधिक निकम्मी और कमीनी सरकार क्या हो सकती है ! क्या गांधी के देश में, क्या नेहरू के देश में और सुभाष के देश में, क्या भगत सिंह और चन्द्रशेखर के देश में ऐसी स्थिति आ जायेगी आजादी के 27 साल के बाद, कभी कल्पना कर सकते थे ? कभी सोच सकते थे ? मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि उनके ऊपर मुकदमा चले, उनको जेल हो, उनको फांसी हो लेकिन जो यह कुकृत्य किये गये हैं इससे जघन्य काण्ड हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, जब मैं चूरू गया और उनके माता-पिताओं से मिला तो सब ने कहा कि दिन दहाड़े इस प्रकार के कार्य होते हैं। जब वहां पर उनको लेकर गये तो डाक्टर लोगों ने जांच करने से इन्कार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ में इसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठता है और मेरे पास रिपोर्ट की सर्टीफाइड कापी है। माननीय मंत्री महोदय ने तो कह कर टाल दिया कि मेडिकल बोर्ड बैठाया गया तो उनके जिस्म के ऊपर चोटें आई। जो मेडिकल बोर्ड है उसमें डाक्टर पी.पी. गुप्ता डिप्टी सी.एम.ओ. रतनगढ़, डाक्टर एस. के. नरूला, एम. डी., डाक्टर के. एस. मेहता, रतनगढ़। यह चीफ मेडिकल आफिसर रतनगढ़ के फिजिशियन और सर्जन, तीनों का मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। जब बोर्ड ने जांच की तो यह पाया कि तीनों के जिस्म के ऊपर चोटें हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि शिवपूजन के जिस्म के ऊपर दो-तीन चोटें हैं, बालमुकद के जिस्म पर 5-7 चोटें हैं और विमल सारस्वत के जिस्म के ऊपर करीब 5-7 चोटें हैं और उन्होंने जो ड्यूरेशन दिया है उससे स्पष्ट है कि पुलिस की हिरासत में यह ब्लन्ट वेपन से मारा गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, जो कि स्वयं पत्रकार रह चुके हैं और राजनैतिक कार्यकर्ता रह चुके हैं . . .

कुछ माननीय सदस्य : हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आज तो कार्यकर्ता से बहुत अधिक ऊपर बढ़ गये हैं। यदि मुख्य मंत्री जी अपने को कार्यकर्ता समझें तो क्या किसी कार्यकर्ता के मुंह में मलमूत्र पिलाने का प्रयास किया जाये, गुदा में लकड़ी डाली जाये यह सुनकर उनका खून नहीं खौलता ? उनको चाहिये था कि घोषणा करते। मैं समझ सकता हूं कि आपकी मजबूरी हो सकती है कि बिना पूरी जांच किये हुए कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि जैसे आपने जे. सी. बोस काण्ड में उनको गिरफ्तार किया, हथकडियां डालकर घुमाया, क्यों ? इसलिए कि इस बात को एहसास हो जाये कि पुलिस के लोगों ने मारपीट की; सावरमल को सस्पेण्ड किया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
एस. पी. के बयान के ऊपर कि सावरमल ने जिस्म के ऊपर खड़े होकर चोटें पहुंचाई। लेकिन डी. एस. पी. ने मूछों के और सिर के बाल उखाड़े उसको आपने ट्रान्सफर तक नहीं किया। उसको लाइन दाखिल भी नहीं किया। इसलिए कि आप समझते हैं कि इस तरह से पुलिस डिमोरेलाइज होती है। तो एक तरफ तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन डीमोरेलाइज होता है और दूसरी तरफ जनतंत्र से आस्था उठती है। तो आपको दोनों में से एक की चोइस करनी है। आपको निर्णय करना है और मैं मेडिकल रिपोर्ट की सर्टीफाइड कापी रखता हूं और मैं जानना चाहूंगा और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यह सारा होने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? कम से कम सावरमल, 2 कान्सटेबल और 3 हैड कान्सटेबल जिनको सस्पेण्ड किया है प्राइमाफेसी केस बनाकर उनके खिलाफ आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? उनका प्रासीक्यूशन क्यों नहीं किया? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और डी. एस. पी. के ऊपर एलीगेशन है कि उसने मूछें उखाड़ी उसको आपने सस्पेण्ड क्यों नहीं किया? और यह बात यहीं तक नहीं रहती है। कलेक्टर के पास जब जनता गयी तो उसने कहा कि यह क्या हो रहा है? यह जनतंत्र है या अधिनायकवाद है या लोकतंत्र है? वह कहते हैं, माननीय सदस्य सुन लें, कि जो केस आज सारस्वत के साथ हो सकता है तो कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। वह कहते हैं कि जिस जनता ने कलेक्टर का कार का कांच तोड़ दिया है मैं उस जनता की कांच निकाल दूंगा। जनता की कांच निकालने का उद्घोष जिलाधीश द्वारा करना लज्जा की बात है। उनकी कार का कांच तोड़ा गया यह तो खेदजनक है लेकिन यह कहा जाये कि जनता की कांच निकाल दूंगा और कहा जाये कि यह जो बड़े बाल जटाधारी लेकर आते हैं और मंत्री बने हुए फिरते हैं उनके बाल खींचकर हटा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि उन्होंने उत्तर में कहा कि यदि बाल ही हटाने हैं तो अपनी पत्नी के हटाना यह तो कौटिल्य का सिर है और यदि कुछ किया तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे बढ़ कर जिलाधीश नहीं मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढा : संक्षेप में बात समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चूरू का काण्ड है। चूरू में हड़ताल है और वहां आज तक विद्यार्थी कालेज में नहीं गये। बीकानेर बन्द का आह्वान है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान बन्द भी हो सकता है। राजस्थान अब तक शांत रहा है और गुजरात और बिहार की सी स्थिति यहां नहीं बनी है इसका मतलब यह नहीं लिया जाना चाहिए कि यहां कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे देर हो गयी लेकिन कटु बातें कहना आवश्यक था।

मैं यह कहना चाहता हूं और आज इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह मेरी मांग नहीं है यह चूरू की जनता की मांग है, सारे विद्यार्थियों की मांग है जिसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब मेडिकल रिपोर्ट से दोष

Page No 48

(४८)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

साबित हो गया तो मैं तीन मांग करना चाहता हूं। एक तो यह है कि आपको एस. डी. एम. और डी एस. पी. को अविलम्ब सस्पेण्ड करना चाहिए। एस. पी. के पास जो एवीडेन्सेस आई हैं उसमें उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस बन चुका है और आप कहते हैं कि एस. पी. सस्पेन्शन की रिकमन्डेशन करेगा। ऐसा एस. पी. करने वाले नहीं हैं। कलेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं कहेगा कि वह दोषी है। वह तो बली का बकरा कान्सटेबल को बनायेंगे। लेकिन क्या उस कान्सटेबल की हिमाकत हो सकती है बिना उच्च अधिकारियों के कहने के जहां कि डी. एस. पी. और एस. डी. एम. भी हैं क्या कान्स्टेबल को हिमाकत हो सकती है मलमूत्र पिलाने की, गुदा में डंडे डालने की? इसमें निश्चित रूप से साजिश है और उच्चस्तरीय साजिश है और कम से कम जिला स्तर पर तो है ही। यदि मुख्य मंत्रीजी अपना दामन साफ करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है और मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए संकेत नहीं दिया तो यह उनके हित में है कि वह स्वयं घोषणा करें कि एस. डी. एम. और डी. एस. पी. को सस्पेन्ड किया जाता है और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से सारे काण्ड की जांच करवाई जानी चाहिए। और आपको एक बात और कह दूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दिन यहां पर यह बात चली और कहा गया कि इसके बारे में जांच होगी तो पुलिस वालों ने यह किया कि 7 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिये। उन्होंने हाउस के अन्दर मामला सीज होने के बाद चालान पेश कर दिया और 28 तारीख की डेट पड़ी हुई है और चार दिन पहले ही पेश करना यह बतलाता है कि अभी विधान सभा के ऊपर, राज्य के प्रशासन और मुख्य मंत्री महोदय सब के ऊपर वह पुलिस का डी. वाई. एस. पी. और एस.पी. जो वहां पर राज कर रहे हैं वह सबकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने के लिए कोई कसर उठाकर नहीं रख रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से इसकी जांच करवाई जावे। जो लोग जेलों को सींखचों में बन्द हैं, बालमुकुन्द ओझा, विमल सारस्वत और शिव पूजन इनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है उसी प्रकार से अविलम्ब इनको रिहा जाय और वहां के डी. वाई. एस. पी. और एस. डी. एम. को सस्पेंड किया जावे और उनके खिलाफ जिस प्रकार आपने जे. सी. बोस छात्रावास के मामले में तत्काल इनीशियेटिव लेकर उनको प्रोसीक्यूट किया है उसी प्रकार इस मामले में भी कार्यवाही करें। ये तीन मांगें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं और मैं समझता हूं कि जिस शालीनता से हमने निवेदन किया है उसी प्रकार आप भी विचार करेंगे और यहां अभी घोषणा करेंगे। आज चूरू बन्द है, हड़ताल चल रही है, विद्यार्थी आन्दोलित हैं। आप अभी इस बारे में घोषणा कर दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर्रसिंह।

श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष, चूरू काण्ड के बारे में गृह राज्य

(श्री मोहरसिंह)
मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत बड़े मसले को उन्होंने बहुत हल्के नजरिये से माना है। अध्यक्ष महोदय, इस काण्ड को सुन करके कितनी उत्तेजना सारे राजस्थान के भीतर फैली हुई है इसको कोई भी थोडा सा भी समझदार व्यक्ति महसूस कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, शर्म को भी शर्म रहती है जब इस प्रकार के शब्द सदन के अन्दर हमें सुनने पड़ते हैं।

(श्री गुमानमल लोढा द्वारा मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सचिव विधान सभा को देने पर)

श्री अध्यक्ष : Neither you have sought permission, nor I will allow. मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।

श्री गुमानमल लोढा : मैं यह सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा था कि मैं रखता हूं लेकिन मैंने परमीशन नहीं दी थी।

श्री गुमानमल लोढा : मैं इजाजत चाहूंगा कि मेडिकल की जो सर्टिफाइड रिपोर्ट है इस मेडिकल रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से निर्दयता पूर्वक पांच आदमियों को, पांच विशिष्ट व्यक्तियों को पीटा गया। दो साथियों को तो दो दिन के बाद में, चूंकि वह पुलिस के अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार थे, भाई के लड़के थे, उनको जमानत पर छोड़ दिया गया लेकिन अभी तक भी पांच व्यक्ति हिरासत में हैं। 15 तारीख को दो घण्टे तक उनके पास में बैठ कर, जेल में जाकर मैंने उनके पूरे बयानात लिखे। मैं बड़ा भारी असोपंज में, दुख में रहा कि इस प्रकार की घटना निजी मेरे जिले में घटी। किस प्रकार से वहां एस.पी. साहब और कलेक्टर साहब ने बहुत ही नादानी का और बहुत छोटा कार्य किया है। छोटा सा एक इस प्रकार से महसूस करता हूं कि यह उनके स्तर का बहुत नीचा काम है। साथ ही इसके साथ में हमारे मुख्य मंत्री साहब का दौरा भी जुड़ा हुआ है। उनके जाने के बाद, रतनगढ के अन्दर मीटिंग होने के बाद, रतनगढ के अन्दर उनका जिला प्रशासन के अधिकारियों को ताड़ना देना और इसके बाद में उन लोगों की तरफ से इस प्रकार की कार्यवाही करना, एक साजिश करके 11 बजे बालमुकन्द पत्रकार को जो राजस्थान पत्रिका का संवाददाता है, जो एम. ए. प्रीवियस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, विद्यार्थी है उनको 11 बजे कवि सम्मेलन से दो सिपाही उठा कर लाए और बाद में एस.डी.एम. और डी वाई. एस.पी. साहब ने कहलाया कि तुम इसको लाओ और यह कहलाओ भीतर से कि राजगढ के गुण्डों की गिरफ्तारी हुई है उनकी शनाख्त करवानी है। उन्होंने कहा कि हम किसी को जानते नहीं है। बाद में यह कहा कि आपको एस.डी.एम. साहब और डी वाई.एस.पी. साहब बुला रहे है।

श्री अध्यक्ष : बहुत सूक्ष्म में कहें, बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं।

श्री मोहरसिंह : बहुत सूक्ष्म में ही

(श्री मोहरसिंह)

निवेदन कर रहा हूं और खास कर जिस प्रकार की नजरे इनायत आपकी है उसमें तो और भी सूक्ष्म में निवेदन कर देना चाहता हूं। प्रश्न काल में भी जो जरिया आपका मेरे साथ में रहा है और मेरे दुर्भाग्य से मेरे और आपके बीच में यह जो टेबल लेम्प इस प्रकार का रखा है कि कोई अर्ज करना चाहता हूं तो उस वक्त मेरा चेहरा नहीं दिखता। खैर, मैं बहुत···

श्री अध्यक्ष : टेबल लेम्प से बहुत रोशनी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : टेबल लेम्प को हटा कर दिया रख दीजिए कृपा करके।

श्री मोहर सिंह : आप बीच बीच में बहुत बकवास करते है···

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके ध्यान कर दिया रखवा रहा हूं।

श्री मोहर सिंह: इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जारी रखें।

श्री मोहरसिंह: मैं कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के काण्ड को देख करके सन् 46 के अन्दर जिस प्रकार खेतसिंह काण्ड हुआ था उसकी याद आती है। जो बड़ा भारी एक बड़ा जालिम जागीरदार था जिसने जबरदस्त काण्ड किया था उस काण्ड की याद आज हमारी इस आजादी के युग में जहां कि आप आज शासन में बैठे हुए हैं, अहिंसावादियों की सरकार है वहां इस प्रकार से लोगों को पीटा जाय, बीस बीस, पच्चीस पच्चीस साल के छात्रों को, नवयुवकों को कोठरी में छः छः राउण्ड पिटाई हो और डी वाई.एस.पी. खुद खड़ा रह कर पिटाई कराये। उन्होंने मेरे से कहा कि डी वाई.एस.पी. ने खुद ने मारा, शराब पीकर मारा, थाने में, कोतवाली में पिटाई की, शराब पीकर एस.पी. और डी वाई.एस.पी.ने मारा और उसके बाद में रतनगढ़ थाने में ले जाकर दुबारा शराब की बोतलें खोली गई और बेरहमी से पीटा गया और अदालत में ले जाकर शाम को पेश किया गया उस समय तक छः बार पिटाई हो चुकी थी बालमुकुन्द की। इसके बाद में उनके पैरों की अंगुलियों पर इस प्रकार की लाठियों के निशान थे, बायें पैर के अंगूठे का नाखून बिल्कुल दूर हो चुका था, चार दिन के बाद मेडिकल का इन्तजाम किया गया। चार दिन तक लगातार खून बहता रहा। यह हालत है यहां अहिंसा की टेक लगाने वाली सरकार की ओर-सरकार के प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करें इससे ज्यादा हम और शर्म महसूस करते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस सारे किस्से को मैं दुबारा बयान नहीं करके जिस तरह से साथी बोहराजी ने कहा है मैं इतना ही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मसले को मामूली नहीं समझें। यह वास्तव में बड़ा जघन्य अपराध है, विद्यार्थियों ने हड़ताल कर रखी है, कालेज और स्कूल बन्द किए बैठे हैं, हड़ताल चूरू जिले में हो रही है और इसके आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण मामले को आप

(श्री मोहर सिंह)

गम्भीरता से लें और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस बाबत में जो जनसंघ पार्टी ने मांग रखी है उनकी मांग के साथ में मार्किसस्ट पार्टी भी अपने विचार जाहिर करती है और मैं यह कह रहा हूं कि आप यह तीन मांगें हैं, कि एस.डी.एम. और डी-वाई.एस.पी. को सस्पैंड करिये और उनको गिरफ्तार किया जाय और रैवेन्यू बोर्ड के मेम्बर वहां जाकर न्याय करें और जो वहां गिरफ्तार शुदा साथी हैं उनको फौरन रिहा किया जाय और जिस प्रकार से जल्दी में चालान करके अपने आपको बचाया गया है इससे मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हमारे मुख्य मंत्री महोदय के लिए भी इस बात से वह स्पष्ट कर दें कि हमारी इसमें कोई शह नहीं है जल्दी में चालान जो कर दिया गया है यह अपनी पोजीशन साफ करें और साथ ही साथ इन तीन मांगों को मन्जूर करें। इन तीन मांगों को हलका न समझ कर इनको वजन दें और चूरू में जो असन्तोष ज्यादा हो रहा है इसको रोकने में मदद करें।

श्री अध्यक्ष : (श्री लक्ष्मणसिंह और श्री निरञ्जननाथ आचार्य के खड़े होने पर) Any one of you.

एक माननीय सदस्य : अलफाबेटिकली करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मैं इस घटना के, अध्यक्ष महोदय, जहां तक वाकेआत का संबंध है उनको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें दो मुद्दे निकलते हैं। श्री एस. एन. मिश्रा की मृत्यु से राजनैतिक विकृति पैदा हुई और चूरू जिले की भूमिका है उद्विग्नता की और उस उद्विग्नता को ध्यान में रख कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वहां किसी समारोह में जाना स्वीकार किया। उससे दो प्रश्न उठते हैं। समारोह में जाना स्वीकार किया इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस का दायित्व बढ़ा इस प्रश्न पर। मुख्य मंत्रीजी एक स्कूल समारोह के बीच में जा रहे हैं जिसका अर्थ है पुलिस का दायित्व अधिक से अधिक सुरक्षा करना जनता की और मुख्य मंत्रीजी की। इस सारे जमाने को देखते हुए मुझे यह आश्चर्य होता है कि जब वहां के प्रशासन को यह पता था एक रोज पहले कि दूसरे रोज यह घटना संभावित है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर भी वहां के अधिकारियों द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को किसी व्यक्ति के यहां और एक तंग गली में भोजन के लिए ले जाया गया स्वयं में एक विशिष्ट सरकमस्टान्स है, अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्यों नहीं सतर्कता बरती? इनको भोजन के लिये ले जाने के कारण उत्तेजना पैदा होने का अवसर मिला। इसलिए इस एक ही प्रश्न की पृष्ठभूमि में चूरू जिले के इन अधिकारियों को, जो मुख्य मंत्री के समारोह में उपस्थित थे, ट्रान्सफर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस अवसर को उग्र बनाने का अगर किसी ने अवसर दिया है तो वहां के अधिकारियों ने दिया है जो मुख्य मंत्री समारोह का उचित प्रबन्ध नहीं कर सके। एक सरकमस्टान्स यह रहता है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का दायित्व अलग से और पुलिस का दायित्व जनता से है। यह दो विशिष्ट स्थितियां हैं जिन पर

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)
सोचना है।

पंडाल के प्रश्न पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंडाल पर आने के पहले कैसी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई यह भी प्रश्न एक बनता है। मुझे अधिक इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन सारे शहर में उद्विग्नता है और उद्विग्नता देने का अवसर और पंडाल पर उद्विग्नता देने का अवसर और अवसर पर नियन्त्रण नहीं करना मेरा विश्वास है कि यह सारी प्रशासन की अकर्मण्यता है।

दूसरा प्रश्न मुख्य मंत्रीजी का वहां पर जाना और जाने के साथ-साथ पथराव होना अलग प्रसंग है, लेकिन मैं जांच के लिए दो मुद्दे रखना चाहता हूं कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो इस समारोह के नियन्त्रण करने में अकर्मण्यता बरती उससे एक अलग मुद्दा बनता है जिसके लिए अलग से कार्यवाही करना चाहिए।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, जनता के साथ की गई मारपीट का प्रश्न है। मेरा विश्वास है कि जो ज्यादती, जो बर्बरता और निर्ममता से पिटाई की गई, जिसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया श्री ओझा के लिए कि उनको 7 दिन की सजा विधान सभा द्वारा दी गई। उससे एक तथ्य जरूर निकलता है कि वे पुलिस की आंख की किरकिरी बने रहे। जो अकर्मण्यता मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस की ओर से समारोह में नियन्त्रण नहीं करने में पाई एवं जो पुलिस की अकर्मण्यता रही उस अकर्मण्यता के कारण यह स्वाभाविक है कि पुलिस में और उद्विग्नता पैदा हुई। मुख्य मंत्रीजी वहां से पधार गये और उसके बाद वहां पर सिर्फ जनता और पुलिस रह गयी। मुझे विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्रीजी पर इस अकर्मण्यता का अवश्य प्रभाव पड़ा होगा और यदि अकर्मण्यता का प्रभाव पड़ा होगा तो वहां के अधिकारियों ने इसको महसूस भी किया होगा, इससे अधि॰ कारियों के दिमाग में दो तरीके से गुस्से का प्रादुर्भाव हुआ, पहला तो मुख्य मंत्रीजी के साथ किया गया व्यवहार और दूसरा उनकी अकर्मण्यता के सम्बन्ध में इनका इम्प्रेशन। इन दो प्रकार के गुस्से को लेकर जब मुख्य मंत्रीजी चले गये तो जनता और ये अधिकारी रहे मैदान में जिनसे निपटना बाकी रह गया उनका। मेरे ख्याल से यह स्थिति ऐसी थी कि पुलिस को अधिक, पूरा, संतुलन रखना चाहिए था। वह स्थिति ऐसी थी कि पुलिस को अपनी अकर्मण्यता के कारण क्षमा-याचना करनी थी। उस स्थिति में पुलिस को उद्विग्नता आ गई, कलेक्टर में उद्विग्नता आ गई, डी वाई. एस. पी. में उद्विग्नता आ गई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अधिकारियों की अकर्मण्यता और इस समारोह के पहले राजनैतिक स्थिति की उद्विग्नता को न समझने के प्रश्न इन दोनों के संदर्भ में उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रमाणित हो चुका है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि पिटाई हुई, निर्मम पिटाई हुई, उसके बाद पुलिस का कर्त्तव्य क्या हो जाता है? जहां एस. पी. काम कर रहे हों और डी वाई. एस. पी.

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जहां हो फिर हिरासत में पिटाई के प्रश्न का सेक्शन 332 के अन्तर्गत स्वयं ही उन्हें केस रजिस्टर करना था और फिर अपराधियों का सस्पेन्शन किया जाना था। क्या प्रबन्ध ठीक नहीं हुआ इसलिए सस्पेन्शन किया गया वहां के हैड कान्स्टेबल का और एक कान्स्टेबल का? यह प्रमाणित करता है कि यह पिटाई की गई। हैड कान्स्टेबल के द्वारा पिटाई की गई तो क्या केस रजिस्टर इसके खिलाफ हुआ कि नहीं। इसलिए यह ग्रेव सरकम्स्टान्सेज बनते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारी स्थिति को, मेरे खयाल से चूक की पृष्ठभूमि में समझते हुए इस संदर्भ में पुलिस का धारा 307 में इन अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश करना स्वयं का डिफेन्स है। एक फेब्रिकेटेड डिफेन्स है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पत्थर फैंके गए तो यह जमाना आन्दोलनों का है। जनचेतना की उग्रता के जमाने में अगर पत्थर फैंके गये तो क्या कोई कल्पना कर सकता है इस स्थिति में मुख्य मंत्री पर एटम्प्ट टू कमिट मर्डर के हिसाब से पत्थर फैंका गया है। पत्थर फैंकना भी उद्विग्नता का एक चिन्ह है जो कि जनता कभी कभी प्रकट करती है। मैं समझता हूं कि धारा 307 का यह अपराध लगाना सेल्फ डिफेन्स है, और डिफेन्स इसलिए है कि बर्बरता करने के बाद पुलिस यह और चाहती थी कि इन लोगों को जमानत न मिले इसलिए नान-बेलेबल ग्राफेन्स अधिक से अधिक धारा 307 का था। अगर विवेक उनका खत्म हो जाता तो धारा 302 में भी कर सकते थे, लेकिन वह नहीं किया। इसलिए धारा 307 का अपराध बनाया और नान-बेलेबल आफेन्स बना कर हिरासत में रख दिया ताकि जमानत का प्रार्थना-पत्र यदि किया जाय तो छूटने में अर्सा लगे। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस समस्या को समझते हुए कई घटनाएं हो चुकी हैं पुलिस को बर्बरता के सम्बन्ध में जनता के प्रति, पुलिस जनता की नहीं रही और पुलिस पुलिस की बन गई इस हिसाब से जिसके साथ में यह व्यवहार किया गया है इसकी पृष्ठभूमि में इन अधिकारियों का सस्पेन्शन हो या न हो लेकिन जो योगदान इन्होंने दिया है और ऐसे मामले में उनकी अकर्मण्यता और निष्क्रियता के प्रश्न पर कलेक्टर, एस. पी., एस. डी. एम. आदि का वहां से ट्रान्सफर होना चाहिए ताकि आगे सबक मिल सकेगा।

मैं इसके साथ यह निवेदन करना चाहता हूं पुलिस के लिए कि पुलिस की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिए, जांच करने के लिए, देखरेख करने के लिए एक और विभाग खोल दें अपने यहां, इन्हीं पर सारी जिम्मेदारी न छोड़ दें। यह जिम्मेदारी छोड़ी है जिसका फल है कि वास्तविकता का आपको ज्ञान नहीं कराया और प्रबन्ध और खराब करते चले गये। इसलिए कुप्रबन्ध के कारण, नियन्त्रण नहीं करने के कारण, अकर्मण्यता के कारण पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कदम न उठाया जाय उसके लिए यह डिफेन्स किया जा रहा है। पिटाई हुई है, यह तथ्य है कि पिटाई हुई है और पिटाई होने के बाद क्या कान्फिडेन्स पुलिस में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लिया ? जनता की पिटाई करके यह धारा 307 का अपराध आरोपित करना स्वयं में बहुत बड़ा अपराध है । इसलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस का जनता के साथ सम्पर्क रखने के लिए, उनकी प्रवृत्ति को बदलने के लिए, उनको जनतान्त्रिक पद्धति में ढालने के लिए आप कृपा करके न्यायिक जांच बैठाएं ताकि यह एक उदाहरण हो जायगा रिमोडल करने का पुलिस को। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इसको रिमोडल करना चाहिए । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जनसंघ के नेता ने जो मुद्दा सदन के समक्ष उठाया है वह मैं समझता हूं गम्भीर है । पुलिस के द्वारा जो थर्ड डिग्री मेथड काम में लाये गये फाउल ड्रिंकिंग वगैरह के वह भी एक सोचनीय समस्या है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री स्वयं अनुभवी व्यक्ति हैं । मैं उनको कोई सलाह नहीं देता । लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर एक प्रक्रिया के ऊपर दूसरी प्रतिक्रिया होती है और दमनचक्र चलता है तो वह रिप्रेशन के द्वारा आप कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते । देश में कई भागों में जो दुर्व्यवस्था, आक्रोश, असन्तोष हम पा रहे हैं उसके मुकाबले में इस प्रदेश का, राजस्थान का, सौभाग्य है कि हम ठीक हैं और प्रशासन को सजग रहना चाहिए कि आज जो स्थिति है, वह बिगड़ न पाये ।

मैं विशेष जो घटना हुई है चूरू के अन्दर उससे अनभिज्ञ हूं, किन्तु वहां आक्रोश है, असन्तोष है और प्रशासन को ऊपर उठना चाहिए और अपने आपको निष्पक्ष होने का परिचय देना चाहिए, और उत्तम रूप से आप निष्पक्ष रूप से परिचय दे सकते हैं। दोषी कर्मचारियों का तुरन्त तबादला करने के पश्चात् वहां पर कोई निष्पक्ष, मैं यह नहीं कहता कि कोई हाई कोर्ट के जज के द्वारा, या रैवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के द्वारा जांच कराई जाय । अगर ऐसा कोई आप रवैया अपनाते हैं तो व्यक्तिगत आपके लिए भी अत्यन्त आवश्यक है, आपके गुड नेम के लिए भी आवश्यक है। आप ऊपर उठकर कुछ न कुछ अपनी निष्पक्षता का परिचय दें । आप पोलिटिक्स के अन्दर हैं । उपद्रव भी होंगे । खरी खोटी बातें भी सुननी होंगी । यह तो पोलिटिक्स का गेम है । आपका भी उत्तरदायित्व प्रशासन के प्रति है । मुझे आशा है, आप इस बारे में ऐसा रास्ता अपनायेंगे जो शासन और जनता के हित में हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, चूरू में पुलिस द्वारा··

श्री अध्यक्ष : आपकी ओर से नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, केस का चालान हो गया है । वह सीमा से परे हो गया है। केस सब्-ज्युडिस है। हर आदमी अगर इस पर बोले तो जो केस सब-ज्युडिस है, उस पर असर पड़ता है ।

Page No 55

(55)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह आप अलग से बना रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : पुलिस वालों के खिलाफ कोई सब-ज्युडिस नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इस क्रूर दमन की जितनी निन्दा की जाये, वह कम है। यह पहली घटना नहीं है। एक के बाद दूसरी और तीसरी होती जा रही है। लेकिन इस बात की निन्दा की जानी चाहिए, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनसंघ हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनके जलसों को भंग करने का कार्य किया जाये। यह जो फासिस्ट मनोवृत्ति है, इसके बारे में दो राय नहीं। पुलिस दमन के विरोध में कठोर कदम उठाये जायें। एस. डी. ओ. के विरुद्ध कदम उठाये जायें। लेकिन मैं माननीय सदस्य विश्नोईजी से पूछना चाहता हूं। हम कानून को अपनाने के लिए जनता के हाथ में डण्डा कैसे दे सकते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री पर पत्थर बरसाये गये। सूरतगढ़ के अन्दर आये तो उनकी मीटिंग को भंग किया गया। इसके अलावा यह अफवाह फैलाई गई कि मिलटरी के अन्दर से कुछ हैण्डग्रेनेड चोरी हो गये हैं। छंगानीजी के हाथ से छीना झपटी की जाये। लाउड स्पीकर छीन लिया जाये। एन्टी रेग्युलीशनरीज को, रि-एक्शनरीज को इस प्रकार को बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, कांग्रेस कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ताओं के द्वारा जलसों की रक्षा की जाये। यह पुलिस आपकी नहीं है। यह ब्यूरोक्रेसी आपकी नहीं है। न ब्यूरोक्रेसी पर रिलाई किया जा सकता है। न पुलिस पर रिलाई किया जा सकता है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा रि-एक्शनरीज का साथ दिया है। यह पुलिस न आपकी है, न हमारी है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं अर्ज करूंगा, स्वयं आपको डेमोक्रेसी को सेफ करना है तो आपको कठोर कदम उठाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका के संवाददाता पर आक्रमण हुआ है। आपके खुद के इन्ट्रेस्ट में डेमोक्रेसी को बनाये रखने के लिए उचित पनिशमेन्ट दिया जाना चाहिए। Limit and curb the rights of bureaucrats limit and curb atrocities of the police.

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू में जो इन्सीडेण्ट हुआ, उसके दो पहलू हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारे राजस्थान में कांग्रेस के कैम्पों को अटेण्ड करने के लिए दौरे किये। मेरा खयाल है, सारे राजस्थान में कहीं कुछ हुआ नहीं। चूरू में जो हुआ है, वह बचाया जा सकता था अगर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन वहां प्रिकाशन लेता। वहां कलेक्टर, एस. पी. एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रिकाशन लेते तो इस प्रकार की घटना की नौबत नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने गाली गलोज की है, शीशे तोड़े हैं, मेरा खयाल है, जो बैठे हैं, प्रजातन्त्र की गलत दुहाई दे रहे हैं, मुझे हंसी आती है, मैं उसकी निन्दा करता हूं। यह तो आपस में ऐसा होना

(श्री केदारनाथ)

चाहिए। किसी पार्टी के या किसी मंत्री के बारे में कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए जो ऐसा करते हैं उनकी निन्दा की जाए उन पर एक्शन लिया जाये।

दूसरी घटना, यहां पर जहां लोगों को पकड़ा गया, शाम को चूरू पुलिस स्टेशन पर पीटा गया, अगर डी.एस.पी. शामिल नहीं होता तो वहां रतनगढ़ में क्यों ले जाते। यह सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नालेज में था। वह जानते थे कि अगर लोगों को सूचना मिल गई तो बहुत सारे लोग और सारी क्लास के लड़के तैयार थे। इसीलिए वे लोग वहां ले गये। नहीं तो वहां पर विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती। स्कूल और कालेज के लड़के तैयार थे। कहां ले गये आप? लेस आफ अकरेंस कहां और पिटाई कहां? वहां किसी हैड कान्स्टेबिल की हिम्मत नहीं हो सकती है। डी वाई.एस.पी. और एस.पी. की नालेज में यह था। मंगलदत्त सोनी बैंक में था। तीन बार वह बैंक बुक में हस्ताक्षर करता है। उसे भी आपने केस में लिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है और बैदजी बैठे हैं। पहले भी चूरू में सनातन धर्म के लोगों और तेरापन्थियों में झगड़ा हुआ था। चूरू की यह हिस्ट्री रही है। उसके बाद कलेक्टर का वकीलों ने बहिष्कार किया है। पत्रकारों के साथ में यही हुआ। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ पीटा गया, विष्टा खाने को दी, पेशाब पिलाने की बात हो। मुझे मालूम है, सन् 40 में हमें गिरफ्तार किया गया। सारा फ्यूडल रिजीम था। हम लोगों को ले गये 12 मील पर। तीन दिन तक पीटा गया। सारे शेखावाटी के जागीरदार इकट्ठे हो गये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीन दिन पीटा, रोटी पानी भी दी। मुझे भी जेल का अनुभव है, मगर इतनी बुरी तरह से पिटाई नहीं हुई। तीन दिन तक पिटाई हुई, बुरी तरह से पिटाई हुई। मगर रोटी भी देते थे, पानी की भी व्यवस्था थी, पिशाब और टट्टी करने की व्यवस्था थी। मगर उनको टट्टी, पिशाब भी नहीं करने दिया गया। 307 के भी केसेज मेरे साथ हुए हैं, मगर ऐसा नहीं किया गया। उस वक्त की बात जब हम याद करते हैं, बैदजी भी उस वक्त मौजूद थे। आपके हैड कांस्टेबल बहुत ही स्टुपिड तरीके से पिटाई करते हैं और आप कहते हैं कि हम तबादला नहीं करते। फौरन तबादला करके जांच करनी चाहिए। लेकिन मैं केवल तबादला कर देने से ही बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं। उस पर केस बनाया जाना चाहिए ताकि पुलिस आटोक्रेसी इस प्रकार से नहीं हो। मैंने कल भी रेवेन्यू बोर्ड के बारे में निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूं यह अच्छा होगा कि यदि भाई रामानन्दजी, आचार्यजी और दो कांग्रेसी भाई आप में से जाकर वहां देख लें कि उनको इस तरह से पीटा गया या नहीं पीटा गया। यह तो एक सेल्फ विल्ट केस है, प्रूव्ड केस है। आप पांच आदमी भेज दीजिये। हम लोग तो जानते हैं जिन्होंने 307 के केसेज भुगते हैं हम भी जानते हैं कि सब-जूडिस क्या है। मेरा खयाल है, अध्यक्ष महोदय कि यह असेम्बली और पार्लियामेन्टरी के स्कोप के अन्दर की चीज है। इसलिए निवेदन कर दूं कि दो दिन में ये लोग...

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में यह जानना चाहता हूं कि....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चूंकि यहां पर, परसों जनसंघ के माननीय सदस्य श्री भानुकुमार ने मेरा नाम लेकर, आज माननीय जनसंघ के नेता ने कुछ यहां पर इस प्रकार की बातें कही हैं कि सही तथ्यों के बारे में मैं चाहता हूं कि सदन को इस विषय की सही जानकारी करा दी जाय। क्योंकि जनसंघ के माननीय नेता जो कल भी कह कर गये थे कि मैं इसकी जानकारी करने जा रहा हूं, और जानकारी करके फिर सही हालात सदन के सामने रखूंगा। तो मेरा ख्याल था कि पूरी वास्तविकता के बारे में, जैसा कि उन्होंने कहा, वे उसको यहां पर रखते तो ठीक होता। अध्यक्ष महोदय, दरअसल भानुकुमार जी ने जो कहा कि डाक बंगलों के अन्दर वहां एक अध्यापक ने मुझे यह कहा कि यहां क्यों आये, यहां तो कल गड़बड़ होने वाली है। मैं सोचता हूं कि उसको जिस प्रकार से आज माननीय जनसंघ के नेता ने उसको कहने की कोशिश की है, इस तरह कि वाकई इस सारी घटना के बारे में उसकी असलियत को और कहीं ले जाना उचित नहीं होगा। यह बात सही है कि किसी अध्यापक ने कहा कि जब एस. डी. एम. और नगर परिषद के कमिश्नर और वाटर वर्क्स के जूनियर इन्जिनियर और कुछ पत्रकार लोग भी वहां बैठे थे तो उसने कहा था कि कि क्या प्रोग्राम है आपका ? उन्होंने कहा कि हम लोग तो कैम्प में आते रहते हैं और आम तौर पर, कैम्प में ही रहते हैं जब तक कोई विशेष बात नहीं हो हम वहां से नहीं आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके कैम्प इस प्रकार होते हैं या नहीं।

श्री गुमानमल लोढा : नाम उस अध्यापक का मकबूल था।

श्री फूलचन्द जैन : उसका कोई भी नाम हो इस बात से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई अध्यापक था। उसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके 24 घण्टे पहले यानी 7 तारीख को 11 बजे तक हमको कैम्प में पैम्पलेट मिल चुके थे जिसमें घोषणाएं की गई थीं कि कल चूरू बन्द रहेगा। इस पैम्फलेट के अन्दर कालेज के छात्रों के प्रेसीडेन्ट, युवा संघ और उसके आफिस बियरर्स और दूसरी हायर सेकेण्डरी स्कूलों आदि के प्रेसीडेन्ट आदि जो थे उन सबके दस्तखत थे और उसमें अपनी डिमान्ड्स को लेकर यह आव्हान किया गया था कि चूरू बन्द निश्चित है, चूरू बन्द रहेगा और उसमें यह भी था कि मुकम्मिल हड़ताल रहेगी। इसलिए अध्यापक के कहने से ऐसा हुआ हो, ऐसी बात नहीं है, यह मैं नहीं मानता हूं। खैर, उसके दूसरे दिन बाद में सुबह मुख्य मन्त्रीजी वहां पधारे, एक बजे के बाद में जब वहां हड़ताल हो चुकी थी। दूसरी बात माननीय जनसंघ के नेता ने कही कि कांग्रेस के विधायक वहां से गायब रहे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आपको पता नहीं, ट्रेनिंग कैम्प आपके लगते हैं या नहीं, हमको मालूम नहीं है। हम सब लोग

(श्री फूलचंद जैन)

कैम्प में मौजूद थे और जो जिले के मन्त्री जी हैं, वह भी वहां रिसीव करने गये है। खैर, मैं एक जरूरी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि चूरू जिले के अन्दर, जैसे कि इनको बड़ा दर्द है चूरू जिले के लिए, बड़ी भयावह स्थिति बना दी गई है इनके द्वारा कि चूरू बन्द हो रहा है और यह हो रहा है। इस तरह से दर असल में सही स्थिति, अध्यक्ष महोदय, यह है कि मेरा यह मानना है कि, मेरी भी इस बात से सहमति है कि अगर चूरू का जिला प्रशासन समझदारी और सतर्कता से काम लेता तो इस प्रकार की जो अशोभनीय घटना उस समय हुई, वह घटना वहां नहीं घटती। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, कि चूरू जिले में, चूरू में घटना हुई है, उसके लिये आपके कहने से या और किसी के कहने से कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। दर असल मैं यह महसूस करता हूं कि जिस तरह से चूरू जिला प्रशासन ने अकर्मण्यता दिखा कर, छात्रों की पिटाई की और गिरफ्तारियां की। मैं नहीं कह सकता पिटाई के बारे में तो, इस विषय में तो माननीय जनसंघ के नेता ही बता सकते हैं । मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रकार से जो पिटाई की गई वह आज के युग में नहीं की जानी चाहिए। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। इसके लिए राज्य सरकार ने तीन कान्सटेबलों को सस्पेन्ड भी कर दिया है, उसके बारे में क्या इन्वेस्टीगेशन्स होंगे, जांच होगी और एन्क्वायरीज होंगी इतना ही निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कार्यवाही चालू है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू जिले की स्थिति को जो कि तनावपूर्ण है, शान्त करने के लिए दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाय। जो भी घटना घटी है, इस प्रकार की घटना, मुझे ताया है जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा था, यह जो घटना घटी है, इससे अशोभनीय घटना नहीं घट सकती। दूसरी बात जो वहां की तनावपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार है वह यह है कि जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और शीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए इसमें किसी को भी दो राय नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में मैं प्रोफेसर केदार से पूरी तरह से सहमत हूं कि मेजर मंगलसिंह सोनी जो कि सुजानगढ़ का रहने वाला है, वही व्यक्ति है जो मेरी जानकारी में जहां तक है गत आम चुनाव में मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ा था। वह 6 तारीख को, 7 और 8 को तीनों दिन सुजानगढ़ में मौजूद था, चूरू में नहीं था, उसको गिरफ्तार करना कोई उचित बात नहीं है। इससे जनता में असन्तोष और आक्रोश फैलता है, उत्तेजना पैदा होती है माफ करना मैं यह भी कहूंगा कि बहुत से लोग इसका राजनैतिक लाभ भी उठाना चाहते हैं, और उठाते हैं। पर चूरू जिला, यहां आपने कहा, हो सकता है, हमारे आपस का मन मुटाव नहीं हो—उससे खुश नजर आते हैं, लेकिन उसका लाभ आप ले जायं यह संभव नहीं लगता। मैं कहना चाहता हूं, यह आक्रोश, जन असंतोष और यह स्टूडेन्ट्स में आज जो फिजा है, वह इस वजह से है कहीं एक तरफ पुलिस ने अच्छा कार्य नहीं किया, बहुत ही बुरा काम किया, दूसरी तरफ मैं सही जजमेंट प्रशासन को लेना

(श्री फूलचन्द जैन)

चाहिए और यह जो घटना घटी उसमें कौन दोषी थे, उन दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना वाजिब है। हमें पता नहीं, ठीक तरह से प्रशासन ने जजमेंट को काम में लिया है या नहीं, या क्या वजह है, लेकिन पूरी तरह से, ठीक तरह से प्रशासन को काम में लेकर राज्य सरकार सजग रह कर, सारी स्थिति का अध्ययन करके ऐसी व्यवस्था करे कि दोषी व्यक्तियों को सजा मिले, तो मुझे विश्वास है कि चूरू जिला जितना आपको आज उग्र लग रहा है उतना ही शांत दिखाई देगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैंने भी जिस दिन स्थगन प्रस्ताव रखा था उस वक्त स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उसमें कोई डिस्टेंक्ट नहीं करता, मैंने दूसरा शब्द नहीं कहा, मैंने कहा, एस. डी. एम. था, और भी लोग वहां थे, उनकी नालेज में था, वहां अव्यवस्था होने वाली है, एक अध्यापक ने माननीय सदस्य को कहा। इसके साथ-साथ आज आपको पता है कि वहां चूरू के अन्दर अकाल है, अन्न का अभाव है, दो महीने से वहां राशन का वितरण नहीं हुआ है। जब माननीय मुख्य मंत्री वहां जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक वहां का नागरिक इस बात के लिए विवश हो सकता है, माननीय मुख्य मंत्री को अपना निवेदन करे, व उन्हें कहे कि दो महीने से राशन नहीं मिला है। एक दिन पहले जो पेम्फ्लेट छपा, वो मेरे पास है, जिसमें लिखा है, भूखी जनता को राहत नहीं, इस प्रकार का, और उस पर हस्ताक्षर किये हैं। मुख्य मंत्रीजी आये थे तब प्रदर्शन किया था। कार रोकी थी और पेम्फ्लेट दिया। मैं समझता हूं, यह हीनिअस आफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मुख्य मंत्री को मारने का प्रश्न नहीं है। कार जरूर रोकी। रोकी इसलिए कि पेम्फलेट हाथ में देना था। उन्हें विश्वास नहीं था कि यहां के प्रशासक हैं वह सही रूप में देख सकते हैं। माननीय सदस्य ने एक व्यक्ति का नाम लिया, उसके अलावा एक व्यक्ति मूलचन्द जी सोनी रतनगढ़ में थे, वह वहां से जब मुख्य मंत्री जी पहुँचे··

श्री फूलचन्द जैन : मेरा ख्याल है, उन्होंने मुख्य मंत्री को रतनगढ़ जाते हुए काला झण्डा दिखाया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री: मुख्य मंत्री जब रतनगढ़ गये तब उसने काला झण्डा दिखाया, और काला झण्डा दुकान पर भी लगा रखा था। उसको इस केस में इसलिए जोड़ दिया गया कि उसके पहले अगस्त के महीने में आन्दोलन हुआ था, उसने किसी मंत्री महोदय का इस प्रकार का विरोध प्रकट किया था। इसलिए हमारी पुलिस उसका विक्टीमाइजेशन करे यह मेरी समझ में नहीं आता। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं वहां गया, उस समय वहां की एक स्थिति वर्णन करता हूं, जब मैं एस.पी. साहब से कहता हूँ, मुझे मिलना है, तो वह कहते हैं, बाद में बात कर लीजिये। यह जनता के प्रतिनिधियों के साथ सद्भावना का व्यवहार है कि बाद में बात कर लीजिये, काम में लगा हूं। कुछ समय के बाद कहने पर उनके अर्दली ने कहा कि घूमने निकल गये हैं, बाद में मिल लीजिये। मैं गया था मिलने के लिए, फर्स्ट हैंड जानकारी, पूरी जानकारी मिलेगी, वह अधिकारियों से

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

मिलेंगे इसलिए गया और अधिकारी मिलना पसन्द नहीं करते। उसके बाद मैं थाने पर गया। वहां पर अजीब परिस्थिति मैंने देखी। मेरे सामने थानेदार कहता है, खबरदार आगे आये तो। लोगों ने कहा, क्यों डांट पिलाता है, मना कर दो। मना कर दो, चले जायेंगे। मुख्य मंत्री जी, उनके पैर से खून निकल रहा था, पैर सूजे हुए थे विनय कुमार सारस्वत के। वह चल नहीं सकते थे। आपने देखा होता तो आपका दिल पिघल जाता, आंखों में से आंसू आ जाते। यह क्या तरीका है? ऐसा लगता है, जिन्होंने मेमोरेन्डम दिया, जिनके उसके पीछे हस्ताक्षर हैं, उनमें से एक आध को छोड़ कर बाकी सब को पुलिस ने अपना निशाना बनाया। और ऐसा क्या होनिअस आफेन्स था, मुख्य मंत्री जी यह ख्याल करें। किसी का मर्डर करने का प्रयास किया गया तो यह पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस मौजूद थी। उसी समय पकड़ लेती। क्या उनके पास ऐसा कानून नहीं है कि पकड़ सकती है? वह पकड़ सकती थी। लेकिन उनको पकड़ा नहीं, अपनी निष्क्रियता दिखायी और बाद में रात को आकर, योजना बना कर शहर में अशांति का वातावरण बनाया और केवल अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए इस प्रकार बर्बरता से अत्याचार किया, जो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था, राजाशाही के जमाने भी नहीं होता था। मैं समझता हूं कि जब प्रमाणित हो चुका है, मुख्य मंत्री जी, कि उन्होंने मारा है तो उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया? मेडिकल रिपोर्ट है, आपने मेडिकल बोर्ड बैठाया, उसने जांच की है, उस पीरियड के अन्दर जब पुलिस कस्टडी में थे, जुडिशियल लाक अप में बाद में गये, उस समय उनकी पिटाई हो चुकी थी तो क्या उनको हटाया नहीं जा सकता, क्या उनको सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता? उनको हटाया नहीं जा सका, इसलिए जल्दी विचार करके 307 का केस बनाया ताकि जमानत न मिले, पड़े रहें, लटकते रहें। यह परेशान करने की प्रवृत्ति पुलिस को शोभा नहीं देती। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं वह स्वयं इन्ट्रेस्ट लें, जनता और सरकार के बीच अच्छा वातावरण बनाने के लिए, सही कल्प्रिट सामने आयें, सही अपराधियों को पकड़ा जाय। वास्तव में जिन्होंने मुख्य मंत्री के ऊपर पथराव किया, उनको गिरफ्तार किया जाय ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम भी चाहते हैं। उसके बजाय निरपराध व्यक्तियों और पत्रकारों को अन्दर बन्द करके पिटाई करना चाहते हैं यह अच्छा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री से, आज इस प्रकार की इस सदन में घोषणा ग्रेसफुली करेंगे। आखिर आग कैसे लगती है? गलत काम से ही। वरना आग नहीं लगती। कई डाकुओं को पकड़ कर पुलिस ठोकती है। कौन बोलता है। कई चोरों को पीटती है। लेकिन जब गलत कार्यवाही होती है तो आग फैलती है। आज वहां पर दुकानें बन्द हैं, हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप जांच करें स्वयं। आप आगे आकर एस. डी. एम. और डी. एस. पी. को सस्पेन्ड करें। मैं चाहता हूं कि विधान सभा के जिस भी मान-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

नीय सदस्य को आप उचित समझें, फूलचन्द जी को बैठा लीजिये, औरों को बैठा लीजिये, और बैठा कर जांच कर लें। तमाम बैठ जायं और जांच करके रिपोर्ट दें। उस पर आप विचार करें और फिर उस पर एक्शन ले लीजिये। मुझे एतराज नहीं है। लेकिन आपको यह करना चाहिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ न कुछ इम्मीजियेटली करना चाहिए, नहीं तो आम गड़बड़ी चली जायगी। इस प्रकार इस पर वक्तव्य देने से लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी!

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं दो मिनिट निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : न स्थगन प्रस्ताव है आपका, न ढंग की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं सजेशन देना चाहता हूं। आप मंजूर फर्मायें तो फर्मा दीजिये।

असल सवाल यह है कि कुछ पहलू इधर से, कुछ कांग्रेस बैंचेज की तरफ से उभर कर आये हैं। यह हकीकत प्रदर्शित हो रही है कि प्रतिगामी शक्तियां इस दौर में लगी हैं कि अराजकता पैदा करें, राजनैतिक दलों में फूट डालें या और इस किस्म की हरकत करें। उनकी तरफ से, मुख्य मन्त्री जी जानते हैं, प्रयत्न यह रहता है कि राजनैतिक दलों . . .

श्री अध्यक्ष : दोनों की इन्क्वायरी की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अर्ज करूं, एक पहलू उभर कर आया है, कानूनी पहलू आया है, इस सिलसिले में आया है कि 307 के कव मामलात होते हैं, सब-जुडिस मामलात, इसमें मुद्दा रहता है कि इसमें तो चालान उन लोगों का हुआ है, जिनको मुजरिम करार दिया है . . .

श्री अध्यक्ष : बात हो गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लेकिन दोषी वह लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है।

दूसरा सवाल यह उभर कर आया है, कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। तीसरा पहलू यह आया है, पुलिस ने ज्यादतियां की हैं। यह हो सकता है कि मुगालते से काम लिया हो। जनसंघ के नेता ने जो बात कही है, उससे मैं सहमत हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूंगा, यह जो तीन पहलू उभर कर आये हैं इनका, कैसे निराकरण हो सकता है। हम यह मंजूर करें कि डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है, तो इस प्रकार जो मीटिंग होती हैं, चाहे वह मुख्य मंत्री की मीटिंग हो या किसी और विधायक की मीटिंग हो, तो उसमें इस प्रकार पथराव या इन्ट्रप्शन नहीं हो। इस प्रकार यदि इन्ट्रप्शन होते हैं तो डेमोक्रेसी को खतरा पैदा होता है। अगर आप नाम बता दें तो वे वहां जाकर आन दी स्पाट एन्क्वायरी करें, उसकी फाइंडिंग्स वाईडिंग हों, अगर वह रिपोर्ट दें कि वाकई किसी दल ने हरकत की है तो उसे अफसोस जाहिर करना चाहिए और आइंदा के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है, जैसे बिहार में बम्ब फेंका गया,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अमी)

एक आदमी को मारने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी लेकिन हम सीमाओं में रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक कमेटी जो आप खुद ठीक समझें, नामजद फरमाएं जो स्पाट पर जाकर मसले का हल ढूंढे और तीन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दे: एक तो पुलिस की ज्यादतियों को कैसे रोका जाए, शासन की बेवकूफी को कैसे दूर करें और जो लोग अराजकता फैलाते हैं उनकी गतिविधियों को कैसे रोका जा सकता है। यह मसला हल हो जाए तो आगे की कठिनाई दूर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : औरों को आप मौका देते हैं मुझे अपनी बात कहने नहीं देते····

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैं आपकी बात को समझ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सभी भाषणों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैंने इसमें से उन सारी चीजों को समझने की कोशिश की है जो उन्होंने कही हैं और जो उनके मन में भी हैं। प्रश्न यह नहीं है कि किन्हीं लोगों ने किन को पीटा, किसने पत्थर फेंके। कुछ मुद्दे ऐसे इन्वाल्वड हैं जिनमें एक तरफ तो मैं आपकी घड़ी की तरफ देख रहा हूं, दूसरी तरफ जो बात मेरे मन में है उसको साफ करूं····

श्री गुमान मल लोढ़ा : साफ करें।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि उसके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए, इसके लिए सभी जिलों में कार्यक्रम बनाए गए और मैंने यह फैसला किया कि सभी जिलों में मैं जाऊंगा और सभी प्रशिक्षार्थियों के समक्ष बैठूंगा और बात करूंगा। जिस स्थान पर मैं हूं उसके लिए लाजमी हो जाता है कि जहां कहीं भी जाऊं वहां का कार्यक्रम पहले से ही बन जाए और वे स्थितियां कुछ परिपाटी ऐसी है कि पब्लीसाइज हो जाती हैं। तो इस दौरान मुझे एक चीज निश्चित रूप से अनुभव हुई है कि जहां कहीं मैं गया हूं, वहां पर एक प्रकार की व्यवस्था मुझे मिली है वह व्यवस्था है, वह व्यवस्थित रूप से, अव्यवस्थित रूप से नहीं, अव्यवस्था पैदा करना। इस चीज को मैं किसी अमुक पार्टी के लिए नहीं कहता। मेरी पार्टी भी पोलिटिकल पार्टी है, जनसंघ, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट भी एक पोलिटिकल पार्टी हैं, और हर पोलिटिकल पार्टी का एम्बीशन होता है कि रूलिंग पार्टी को डिसलाज किया जाय और उसकी जगह वह शासन के अन्दर आ जाय। पता नहीं क्यों, जब कहीं पोलिटिकल चैलेंज आता है, तो मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करूं। इसलिए मैंने मरोरा में भी कहा था कि जय प्रकाश का आंदोलन बिहार के अन्दर सर्वोदयी आंदोलन नहीं है, यह पोलिटिकल आंदोलन है, इसलिए उसको पोलिटिकल लेविल पर मीट किया जाना चाहिये। मेरी ही पार्टी के दोस्तों ने मेरी उस बात को डिसटार्ट किया था, अखबारों में पब्लीसाइज किया था, यह तो मेरा भी दुर्भाग्य है लेकिन जो मेरे साथी बैठे हैं, वे कई कैम्पस में सुन चुके हैं, मैंने रिपीटेडली कहा है कि आज कांग्रेस के समक्ष एक कैल्क्यूलेटेड वे में चैलेंज है, उस चैलेंज को यूनाइटेडली और इफेक्टिवली

(श्री हरिदेव जोशी)

मोट करेंगे तो मैं समझता हूं यह हमारे लिए भी ठीक होगा और देश के स्वस्थ प्रजातंत्र के विकास के लिए भी ठीक होगा। हम पापूलर हों अथवा अनपापूलर हों मगर, अध्यक्ष महोदय, यह एक तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है और यह तथ्य है कि उसके पास में सबसे बड़ा मैन पावर है, और मुझे क्षमा करेंगे अगर यह कहूं कि मैन पावर और रैसोर्सिज के रूप में अगर कांग्रेस दूसरी पार्टीज के पोलिटिकल एक्टिविटीज को डिसरप्ट करना चाहें तो अधिक इफेक्टिवली कर सकती है, इसको यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, वे स्वीकार करेंगे। मैं कभी कहता नहीं, मगर जयपुर में कांग्रेस की रैली निकली। उस रैली को मुट्ठी भर लोगों ने डिस्टर्ब करना चाहा, कोई 1½ लाख कहता है कोई 2 लाख कहता है, कितना भी हो, वह मानव समूह का मेला था, उसमें 25 आदमी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनमें से कुछ लोगों ने एक एक लोटा पानी का डाल दिया होता तो डिस्टर्ब करने वाले लोग बह जाते। मगर उनको हीरो बनाकर हम अपने साथ बिठाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, अखबारों में वही पब्लिसिटी मिलती है, इसलिए ऐसे लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है। मैं किसी दूसरे से नहीं पूछना चाहता हूं, मैं महारावल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या डूंगरपुर में आपकी पब्लिक मीटिंग हो रही हो और मैं डिस्टर्ब करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं?

श्री लक्ष्मण सिंह : क्यों नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह सकता हूं स्क्रुपुलसली कि हमने किसी भी पोलिटिकल पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, न करना चाहते हैं न करेंगे। बल्कि इस देश में मूर्ति पूजक भी रहते हैं और मूर्ति को मत पूजो, इसमें क्या है, यह पत्थर की बनी हुई है, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। हमारे पुरखों ने केवल भारतवासियों की बुद्धि पर छोड़ दिया कि मूर्ति पूजें अथवा नहीं। इसलिए क्यों लोग परेशान हो रहे हैं इस बात से कि कांग्रेस की मीटिंग नहीं होनी चाहिये, कांग्रेस का वर्कर नहीं घूमना चाहिये, कांग्रेस की रैली नहीं होनी चाहिए। इस चीज के लिए लोग परेशान क्यों हैं?

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इसके लिये छान ली जाय कि कहां कहां पर कौन कौन और किस किसने क्या किया, वह नहीं कहता, मैंने तो सिर्फ आधार बताया है? मैं यह नहीं कहता कि यह क्यों होता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने हमेशा से ही कनफ्रंटेशन को रोकने की कोशिश की है। इस पिछले साल सवा साल के अन्दर इस सदन में जो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने हमेशा सदन में पुलिस और प्रशासन की निन्दा की है। लेकिन मैंने उनसे हमेशा से ही सदन के अन्दर और बाहर आन्तरिक दृष्टिकोण उनके साथ रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बैठने की जगह सेक्रेटेरियट को नहीं समझ कर अपनी बैठने की जगह यहां समझता हूं। चाहे मैं इधर बैठूं या उधर बैठूं लेकिन मेरी जगह यहां है। जितनी शोभा मैं चीफ सेक्रेट्री या आई.जी.पी. के पास बैठने से नहीं पा सकता उतनी मैं यहां बैठने में शोभा पा सकता हूं। आप लोगों के बीच में बैठकर मैं अधिक

(श्री हरिदेव जोशी)

शोभा पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय मेरा यह फर्म कनविक्शन है कि चाहे कोई व्यक्ति मेरा कितना ही विरोधी क्यों नहीं हो, चाहे जैसी विचारधारा का हो; अगर कोई मेरे से मिलने आता है तो मैं उससे जरूर मिलता हूं, उससे जरूर बात करता हूं और अगर कोई समाधान निकल सकता है तो कोशिश करता हूं कि इसका समाधान निकले। इन पिछले 15 महीनों के अन्दर मेरे पास लोग सवेरे चार बजे से लेकर रात को 11 तक मिलने के लिये आये हैं। चाहे मैं किसी का काम कर सका हूं या नहीं लेकिन उनसे मिला जरूर हूं। उनमें ऐसे लोग भी मिलने आये जो आंखें निकालते हुए आये, कुछ मुक्के तानते हुए आये, कुछ हंसते हुए आये, कुछ रोते हुए आये, मैं उनसे मिला जरूर हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पत्थर फेंकने की क्या आवश्यकता है? अपनी अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। लेकिन किसी मीटिंग को डिसटर्ब करने से क्या फायदा, मीटिंग को डिसटर्ब करने की क्या आवश्यकता है?

अध्यक्ष महोदय, जिन कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उनके बारे में मैं अभी तो चर्चा करना नहीं चाहता लेकिन जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलूंगा तब अपनी मानसिक स्थिति आप लोगों के सामने खोल कर रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हर जगह जाता हूं। मैं बाड़मेर भी गया जहां पर रिलीफ नहीं खोले गये हैं, मैं कोटा भी गया जहां पर कि अनाज नहीं भेजा गया है। यह समझते हुए कि डूंगरपुर में भयंकर भुखमरी है, मैं वहां पर भी गया। मैंने जनता के पास जाने में कभी भी किनारा कसी नहीं की। और अध्यक्ष महोदय, मेरी यह पक्की धारणा है कि जिस दिन भी मैं जनता के सामने जाने से किनाराकसी करूंगा उस दिन मैं समझता हूं कि मेरी राजनैतिक मृत्यु हो जायेगी। जनता के सामने जाने से किनाराकसी करने को मैं जीवन नहीं समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जब यहां पर निवेदन कर रहा हूं तब आपकी घड़ी की तरफ देख रहा हूं, मैं सारी बातचीत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर जा रहा था और वहां से आगे मुझे झुंझुनू भी जाना था। अध्यक्ष महोदय, सीकर से झुंझुनू जाते हुए रास्ते में सीकर की कालेज और हायर सैकेन्डरी स्कूल के पास से गुजरना पड़ता है। वहां पर मैंने सुना कि सड़क के दोनों तरफ करीब हजार डेढ़ हजार छात्र खड़े हुए हैं। कलेक्टर, एस. पी. और डी. आई. जी. मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की वहां पर बड़ी ही तनाव की स्थिति है और विद्यार्थी आपकी कार रोकेंगे। इसलिये आगे जाना ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं वह लोग कार को रोकें, इसके पहले ही मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। तो, अध्यक्ष महोदय, सीकर से थोड़ा आगे एक गांव है, गांव का नाम तो शायद मुझे याद नहीं.....

एक माननीय सदस्य : फलसाना।

श्री हरिदेव जोशी : हां फलसाना गांव होगा। मैंने वहां पर विद्यार्थियों को बुलाकर बात की। अध्यक्ष महोदय, उन विद्यार्थियों की बात में काफी अपनत्व था मैंने उन्हें कहा कि अभी तो मुझे आगे जल्दी पहुंचना है, आप मुझसे बाद में मिलें।

(श्री हरिदेव जोशी)

उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आज तो अपन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पायेंगे इसलिये आप लोग मुझसे बाद में आकर मिल लें और अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली वह लोग चार दिन बाद जयपुर में आये। मैंने उनसे बातचीत की। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनकी कठिनाइयों को सुना और साथ में जो अधिकारी थे उनको भी साथ में लिया और उनकी कठिनाइयों को सुना और उनका समाधान कराया। अध्यक्ष महोदय वह लोग मेरे नाम के नारे लगाते हुए वापिस गये। अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर से झुंझुनू पहुंचा वहां पर विद्यार्थी लोग सैकड़ों की तादाद में दो कतारों में इधर उधर खड़े थे और उनके आगे आर. ए. सी. खड़ी थी मैंने आगे बढकर आर.ए.सी. वालों से कहा कि आप लोग दूर हट जाइये विद्यार्थियों को मेरे पास आने दो। उन्हें अपनी बात कहने दो। उनके प्रतिनिधि मेरे पास आये मैंने उनसे भी कहा कि आज तो अपन लोग किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकेंगे आप लोग मेरे से पांच दिन बाद जयपुर में आकर मिलें मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा और समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, वह लोग मेरी बात को मान गये और पांच दिन बाद जयपुर में आकर मेरे से मिले और मेरे से जो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता था मैंने किया। तो कहने का तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय, कि मैं हर जगह जाता हूं लोगों से मिलता हूं यहां पर भी जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय जहां पर कि सबसे अधिक छात्र हैं मैं बिना एसकोर्ट के कभी किसी होस्टल में, कभी किसी होस्टल में अकेला छात्रों से मिलने जाता हूं जहां पर सिर्फ कांग्रेसी हो नहीं, वहां पर आपको सभी तरह के छात्र मिलेंगे। ऐसा भी नहीं कि यहां पर लोग हड़ताल नहीं करते या आन्दोलन नहीं करते हैं। सभी तरह के छात्र हैं और आते हैं, मिलते हैं अपना काम भी करवा कर के जाते हैं। इसमें सी. पी. आई. के लोग भी हैं, जनसंघ के लोग भी हैं, सी. पी. एम. के लोग भी हैं कांग्रेस के लोग भी हैं सभी आते हैं अपना काम करवाते हैं। प्रश्न यह नहीं है अध्यक्ष महोदय कि वे लोग क्यों आते हैं? प्रश्न यह है कि आज-मंशा यह राजनैतिक पार्टी वाले लोग काम छेड़ तो देते हैं लेकिन बाद में स्थिति को सम्भाल नहीं पाते हैं और बाद में इल्जाम किसी दूसरे पर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमता नहीं हो तो काम नहीं छेड़ना चाहिये क्योंकि वह काम बाद में सम्भाल नहीं पाने से स्थिति गम्भीर हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, चूरू की घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं चूरू जा रहा था तब चूरू से करीब 6-10 मील पहले कलेक्टर और एस.पी. मेरे पास आये और उन्होंने मुझे यह जानकारी दी कि चूरू में स्थिति तनाव पूर्ण है लोग स्ट्राइक किये हुए हैं कालेज बन्द है, शहर बन्द है और स्कूल भी बन्द करके छुट्टी कर दी गयी है। और जिस स्कूल के बिल्डिंग का इनआगरेशन करने मुझे जाना था मैं वहां क्या करता मैं वहां से शहर में गया और वहां पर जो डाक बंगला था वहां पर गया वहां मैंने देखा कि करीब 700-800 छा

(श्री हरिदेव जोशी)

1000 के करीब लोग खड़े थे, मैंने उनसे नमस्कार किया। उस वक्त मैं था मेरे साथ वित्त मन्त्री थे, वहां के विधायक श्री मोहर सिंहजी थे, कलेक्टर थे, एस. पी. थे और अधिकारी थे। मैं डाक बंगले के अन्दर चला गया बाद में मैंने सुना कि बाहर नारे लग रहे थे। मैंने वहां पर जो हड़ताल चल रही थी, वहां पर दुर्घटना का कोई अन्देशा था नहीं इसलिये मैंने उस बात को वहां के लोकल नेताओं पर छोड़ दी क्योंकि वहां की ज्योग्राफी के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था और लोगों का कैसा टेम्परामेन्ट है इसलिये मैंने वहां के लोकल नेताओं पर हड़ताल के बारे में छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि आप लोग फैसला करें। उसके बाद में हम खाना खाने के लिये चले गये जहां कि हमें खाना खाने जाना था उस वक्त मेरे साथ काफी लोग थे। करीब 10-15 लोग थे। जब हम खाना खाने बैठे तो थोड़ी देर बाद मेरा सिक्योरिटी आफिसर आया और उसने मुझे कहा कि बाहर काफी लोग खड़े हो गये हैं और नारे लग रहे हैं उसमें विद्यार्थी भी हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप जाकर विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को लेकर आ जाईये मैं उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा मैंने उन से बात की। अध्यक्ष महोदय They were such nice boys कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने मुझ से बहुत अच्छी तरह से बात की। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे हंसी हंसी में कहा क्यों भाई आप लोग जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के समर्थक हो, उन्होंने कहा नहीं साहब तो फिर क्या बात है? आपकी कोई खास मांग है। उन्होंने कहा कि हमारी तो विद्यार्थियों की मांग है मैंने कहा कि विद्यार्थियों की बात है तो क्या मैं उनको मन्जूर कर सकता हूं तो उन्होंने कहा कि हां साहब आप हमारी मांगों को पूरी कर सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि क्या आप लोग मुझे झगड़ा करके मांगे मन्जूर करा सकते हो या प्रेम से अपनी मांगें मन्जूर करा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रेम से मांगें मन्जूर करवाना चाहते हैं। फिर प्रेम से बात करना सारी बातों पर। उन्होंने स्वीकार कर लिया मेरे से बात करने का। ठीक है, मैं जाऊं, डाक बंगले में आओ। बात कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। भीड़ भाड़ हट गयी। कलेक्टर, एस. पी. मोहर सिंहजी दूसरे लोग भी गये। विद्यार्थी भी गये और भीड़ भाड़ खतम हो गयी। कोई वहां पर अनटूवर्ड कोई ऐसी चीज नहीं हुई। काफी कदम आगे बढ़ा कर कार में बैठा। उन लोगों के बीच में से निकल कर वहां गया। मैंने सुना था कि भारतीय जनसंघ की ओर से क्लाक टावर पर मिटिंग होने वाली है। कहीं किसी ने नहीं कहा कि गड़बड़ होने वाली बात है। मुझे उस रास्ते से लेकर गये जहां पर कि मिटिंग होने वाली थी। वहां लोग डिस्पर्स हो गये। एक प्रिन्टेड पैंपलेट मुझे दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। मैंने कहा कि रास्ते में खड़े खड़े क्या बात करें। बाद में इस पर बात कर लेंगे। मैं उद्घाटन के लिये चला गया। यह स्वाभाविक है, मकान बनाने वाले आदमी के मन में यह स्वाभाविक होता है कि इसको फिर के देखा जाय और कोई उसको एप्रिशियेट करे। उद्घाटन के बाद मैं उसमें घूमा। अच्छी बिल्डिंग बनायी थी। मुझे कन्डक्ट करके डायस पर ले आये। काफी टाइम उस समय हो चुका था और गांव में जहां पर हमारा

(श्री हरिदेव जोशी)

कैम्प था हमको पहुंचना था। तो मैंने कहा कि बहुत लम्बे 2 भाषण न हो एक बोले और दूसरा उत्तर दे इसमें काफी समय लगेगा। कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही के बीच में केलकुलेटेड व्हे में, मैं उन लोगों को नहीं जानता, एक ओर से नारे लगाये जा रहे थे और दूसरी ओर से नारे लगाये जा रहे हैं। एक ओर से एक नारा लगा रहे थे और दूसरी ओर से दूसरे। और डिस्टर्ब कर रहे थे मिटिंग को। इमारत बनाने वालों ने उनका लम्बा भाषण था वह पढा। एक आध बीच में कोई बोला और फिर मैं बोला। जो विद्यार्थी मिले थे मुझ से उनकी भी चर्चा की, दूसरी भी की। जितना भी कह सकता था संक्षेप में, मैंने पूरी बात कही बीच–बीच में नारे लग रहे थे। राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अनुभव होता है कि कभी उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिये सांप छोड़े जाते हैं, गाय छोड़ी जाती है, नारे लगाये जाते हैं। इसका अन्दाज हमको है और इसको भुगतने की हिम्मत भी हम लोगों में है। जयपुर की रैली में मैंने नारे इसलिये लगाये थे कि नारे लगाने वालों की आवाज को दबा दूं। मैंने इसलिए नहीं लगाये कि मैं कुछ करना चाहता था। मैं उस पोलिटिक्स मूव को अपनी आवाज उठाकर दबाऊं इसलिए मैंने नारे लगाये थे। पब्लिक मीटिंग को मैंने अपनी आवाज से कन्ट्रोल किया और मैं वहां से चला। जब मैं चला तब एक साथ पत्थर बाजी शुरू हुई और जगहों से हुई। सौभाग्य है, मुझे नहीं लगा पत्थर। मैं इस स्थिति में रहता हूं कि मेरी कार को सबसे पहले रखा जाता है। मैं कार में बैठ कर चला गया। न धक्का मुक्की की, न मुझे पत्थर लगा। जब डाक बंगलों से होकर मैं वहां जा रहा था, लखाऊ ग्राम में तो रेलवे क्रासिंग बन्द था। वहां पर एस. पी., कलेक्टर थे। मैंने वहां देखा कि कलेक्टर की कार के शीशे स्मेश्ड थे। उस पर पत्थर लगे थे। उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं सीधा कैम्प में चला गया। कैम्प में शायद दो घन्टे तक मैं बोला। दो घन्टे तक काफी संतुलित रूप से लोगों को एड्रेस किया। वहां से उठकर आये तो फिर वापिस बन्द था रेलवे क्रासिंग। एस. पी, कलेक्टर मेरे पास खड़े थे मैंने उनसे कहा आपकी व्यवस्था समझ में नहीं आयी। केवल एक सेन्टेन्स कहा। उन्होंने कहा: सोरी, वी आर वेरी सोरी। इसके सिवाय उनसे मेरी कुछ बात नहीं हुई। फिर वहां से चल कर, मुझे आगे जाना था, बीकानेर पहुंचना था लेकिन पोजीशन यह थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को एप्रूव करके भेजना था। मैंने कहा बीकानेर पहुंच जाते हैं तो कार्यकर्त्ता घेर लेंगे और राज्यपाल महोदय के भाषण को देख नहीं सकूंगा। मैं रतनगढ़ के अन्दर विद्आउट शिड्यूल रुक गया। वहां रह कर काम करना पड़ा। उस रेलवे क्रासिंग के सिवाय न मुझे कलेक्टर मिले, न एस. पी. सिवाय गनमेन के और मेरे प्राईवेट सेक्रेटरी श्री त्रिपाठी जी के।

अब प्रश्न यह होता है कि इसमें क्या स्थितियां आती हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या जनता की कोई डिमाण्ड थी, क्या जिसको जनता देना चाहती थी और अपनी ग्रिवान्सेज को रिड्रेस करना चाहती थी। मेरे पास में प्रिन्टिंग लीफलेट के सिवाय कोई आदमी मेरे सामने नहीं आया। मैं चूंक

(श्री हरिदेव जोशी)

कस्बे के अन्दर एक बजे से लेकर, कोई दो घन्टे के लिए बाहर गया और वापिस आया, चार पांच घन्टे रहा। मैं यह कहना भूल गया कि जो विद्यार्थी मेरे पास मिलने के लिए आये थे उनमें से दो विद्यार्थी जब उन्होंने देखा कि गड़बड़ हो रही है मिटिंग में, जो मुझ से मिले थे, नाम तो मैं नहीं जानता, वे यूनियन की एक्जीक्यूटिव के होंगे वे मुझे एस्कार्ट कर रहे थे but they did not like the action of any body who had done it. वे भी मेरे साथ थे। एक इधर और दूसरा उधर चल रहा था। जिस तरह से सिक्योरिटी के आदमी चल रहे थे उसी तरह से वे भी मेरे साथ भीड़ को हटाते हुए मैं कार में बैठा तब तक मेरे साथ थे। हर आदमी खराब है मैं यह नहीं कहता। मेरा किसी पोलीटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी चार्ज नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से भी नहीं जानता। कांग्रेस के लोग मेरे साथ थे सिवाय उनको कि जिनको मैं जानता हूं। अन्य को जानता नहीं। कांग्रेस को छोड़ चुके हैं उन लोगों को जानता हूं जो एक जमाने में हमारे साथ आये थे और काम करते थे। अन्य को जानता नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि जो गिरफ्तार हुए थे वे ही लोग थे या नहीं। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया यह भी मैं नहीं जानता। प्रश्न यह है कि इतने वर्षों से अनाज नहीं मिल रहा था। इसलिए यह चीज हुई यह मुझे प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत इसलिए नहीं होता है कि कोई सीनियर आदमी मेज्योरिटी पार्टी का मेरे पास नहीं आया। मैं वहां गया इस दरमियान भारतीय जनसंघ के लोग आये, सी. पी. आई. के लोग आये, सी. पी. एम. के लोग आये। सारी पोलिटिकल पार्टीज के लोग अपनी अपनी बातें लेकर आये। जय प्रकाश जी का आन्दोलन शुरू होने के बाद भी आये। यह मांग लेकर आये कि विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर रखा है उनको छोड़ दिया जाय। शुरू में प्रिन्टेड लीफलेट को जिसको कि मेरी कार में ठूंस दिया गया था, मेरे पास कोई आदमी बात करने के लिए नहीं आया। हजार आठ सौ आदमी पहले खड़े थे उनमें से भी कोई नहीं आया और बाद में भी कोई नहीं आया। इसके बाद में भी मेरे पास किसी ने नहीं कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और नहीं मिल पाये। अध्यक्ष महोदय, इन सारी स्थितियों में मैं आपसे दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ इल्जाम है कि पुलिस को लोगों ने पीटा। जिन लोगों को पीटा वे जूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये। उन लोगों ने नहीं कहा है, मजिस्ट्रेट को नहीं कहा है पीटा है। इसके बाद बाहर के जो लोग थे वे एस. पी. के पास में गये कि जो लोग जेल में हैं उनको बहुत पीटा जा रहा है।

एस. पी. ने आर्डर किया है मेडिकल जांच के लिये। डाक्टरी जांच के आदेश एस.पी. ने किये हैं। पुलिस की पिटाई के खिलाफ एक डाक्टर ने जांच नहीं की तीन तीन डाक्टरों ने जांच की है...

श्री गुमानमल लोढा : Excuse me. तीन डाक्टरों की जांच तो जूडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : उसके बाद कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट को कहा हमको पुलिस हिरासत में पीटा गया तब जूडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा जांच होनी चाहिये और एक एक का पैनल बनाया गया। पहली जांच के अन्दर और दूसरी जांच के अन्दर उनके शरीर में चोट के निशान हैं। इस प्रकार की दोनों रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। 3–4 दिन पहले उसके अन्दर देखा गया है सिम्पल इन्ज्यूरी

(व्यवधान, अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, जैसे ही एस. पी. को यह कहा गया कि इन लोगों को पीटा गया है और अमुक अमुक के द्वारा पीटा गया है। एस.पी. ने स्वयं ने चलकर तब तक जयपुर से कोई नहीं गया था, एस.पी. ने दो या तीन हैडकांस्टेबिल को ससपेन्ड कर दिया। इस बीच में घूमते घूमते, दौरा करते करते वहां पहुंचा। मैंने अखबार में पढ़ा तब मैंने होम कमिश्नर से कहा आप किसी सीनियर आफिसर को भेज दीजिये वह वहां जाय और जाकर जांच करके आये। डी. आई. जी., सी.आई.डी. वहां पर गये उन्होंने एन्क्वायरी की और एन्क्वायरी करके जो सारे फेक्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रखा। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको कहा गया है कि तुम जमानत दे दो और छूटकर चले जाओ। उन्होंने जमानत नहीं दी, किसी ने जबरदस्ती उनको नहीं रोक रखा है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या दरअसल डिप्टि.सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और एस.डी.एम. इस पिटाई में शरीक थे। दूसरे, एक दो माननीय सदस्यों ने कहा कि सिक्योरिटी को अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज प्रापर था या नहीं। उन चीजों को डिसकस नहीं करना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन्स है गवर्नमेंट उनको देखेगी कि क्या एस. पी. अनएफिसियन्ट था, कलक्टर अनएफिसियन्ट था, डीवाई.एस.पी. अनएफिसियन्ट था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जजमेंट ठीक था या नहीं था ये सब डिफरेन्ट बातें हैं। इस शिकायत से इन्टरमिगल नहीं करना चाहता हूं कि क्योंकि उन चीजों को कनफ्यूज कर देगा। मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे आज एकदम जैसे माननीय सदस्य नतीजे पर पहुंच गये हैं ऐसे नहीं पहुंचना चाहिये। मेरे मन में कहीं भी नहीं है कि एस.पी. दोषी है और उसको बचाया जाय, डीवाई.एस.पी. दोषी है उसको बचाया जाय। इसलिये कह रहा हूं पुलिस के ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों को दोषी पाया है और उनको हटाया है। मेरी जांच में उनके प्रति हमदर्दी नहीं है।

राज्य कर्मचारी एक इन्स्ट्रूमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिये और मैं उस इन्स्ट्रूमेंट को उसी तरह यूज करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा तवज्जोह नहीं देना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं केवल इसलिये कि एक बात आई है मैं कनविन्स नहीं हूं कि उसके पहले ससपेन्ड कर दूं। मगर मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति दोषी हो–एस.पी. की बात हो, डीवाई.एस.पी. की बात हो किसी की भी बात कही हो, तथ्यों के बाद निश्चित रूप से कोई बात हुई तो मैं लेश मात्र भी उनको बख्शूंगा नहीं निश्चित रूप से कोई आदमी गुनाहगार है, चाहे वह

(श्री हरिदेव जोशी)

पब्लिक में है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिये और दूसरों को भी मिलनी चाहिये। जो मैंने पहले कहा था उसको दोहराना चाहता हूं प्रोफेसर साहब द्वारा राजस्थान में शान्ति की बात कही गई। मैं स्वीकार करता हूं राजस्थान में शान्ति रखने की बात है तो कांग्रेस के लोगों को और आप सब लोगों को अगर शान्ति करना है तो कर लेवें, यह शान्ति का आप सब लोगों का ही प्रयास है और अगर अशान्ति करना है तो आप लोग कर लेवें, राजस्थान में अशान्ति पैदा हो सकती है मैं उससे इन्कार नहीं करता।

राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद में मुझे कई अवसर मिले, कैसे मिले यह तो आप जानते हैं लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था आपका व्यवहार डिगनीफाइड है हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान की कांग्रेस और राजस्थान का अपोजीशन गर्व करने लायक है।

कई माननीय सदस्य : अब तो ताली पीटो...

एक माननीय सदस्य : इसमें भी कंजूसी करते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : गम्भीर बातें हैं सुनिये।

श्री हरिदेव जोशी : इस कन्टेक्स्ट के अन्दर हम भारत में रह रहे हैं। राजनैतिक चुनौतियां भी हैं और प्रजातान्त्रिक चुनौतियां भी हैं जिनको प्रजातान्त्रिक ढंग से ही हल करने की मेरी तमन्ना है लेकिन आप भी इस बात को समझें। मोहरसिंह जी कहते हैं यह होना चाहिये और आप कहते हैं यह नहीं होना चाहिये और मैं यह कहता हूं तब तो प्रजातन्त्र है अन्यथा नहीं...

एक माननीय सदस्य : सही को सही ही मानना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : आखिर सही समझाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं आपको कनविन्स करूंगा चाहे मुझे घन्टा लगे, दो घन्टा लगे या 12 घन्टे लगे लेकिन मैं भी आपसे यही आशा करके चलता हूं आप भी मुझे कनविन्स करें। आप मेरी इस तमन्ना को, आशा करके चलता हूं पूरी करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कतई प्रिजुडिस से नहीं चलना चाहता। कौन आदमी गुनहगार था और बेगुनाह को पकड़ा दिया, ड्राईवर ने एफ. आई. आर. दर्ज करा दी और वह वेद वाक्य है वह नहीं बदला जाना चाहिए मैं इसमें विश्वास नहीं करता बल्कि मैं आगे चलाकर कहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि मैंने इन पिछले वर्षों में जितने भी आन्दोलन हुए हैं उनमें कई केसेज मेरे समक्ष आये हैं और मैंने उनको विड्रा किया है। राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के केसेज को विड्रा किया है और मैंने दूसरे केसेज को भी विड्रा किया है। मैंने यह समझा है कि क्षणिक उत्तेजना थी और क्षणिक उत्तेजना के अन्दर एक प्रकार की कार्यवाही हो गई है और आज आदमी को पछतावा है और आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे पास आ कर कई लोगों ने यह कहा है कि उस समय यह हो गया और अब तो अदा-

(श्री हरिदेव जोशी)

बातों में हमारी एड़िया मत रगड़ाग्रो।

अध्यक्ष महोदय, मैं खुले दिमाग से चलना चाहता हूं। इन सब लोगों को भी सजा मिल रही है। मगर मैं निश्चित रूप से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी आपकी पार्टी की मीटिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी और आपने कभी बतलाया कि मेरी पार्टी के अमुक आदमी ने डिस्टर्ब किया है तो वह आदमी मेरी पार्टी में नहीं रह सकेगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाकर चलना चाहता हूं। मगर यह बात मैं आपसे भी चाहता हूं। मैं आपसे यह चाहता हूं कि मेहरबानी करके उन लोगों को अपने पास मत बैठायें जो कि राजनैतिक ढंग से चलने की कोशिश करते हैं। बाज-मर्तबा ऊंचे दर्जे के लोग बहुत डिग्नीफाइड वे में बिहेव करते हैं। मगर हमारे नीचे के तबके के लोगों का व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है और हमें उन सब लोगों को इस प्रकार एक से कल्चर्ड और मैनर्ड वे में बिहेव करने के लिए सिखाना होगा।

मैं नहीं जानता कि चूरू में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वह लोग दरअसल में गुनहगार हैं या नहीं। मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा लेकिन मेरे पास अभी यह जानकारी नहीं है कि वह किस पालिटिकल पार्टी के हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं केवल एक आदमी के सिवाय कि जिसके बारे में श्री फूलचन्द जी ने कहा कि जो आदमी खड़ा हुआ था वह भी गिरफ्तार लोगों में से है। एक आदमी नान-कांग्रेस है और दूसरे आदमी के बारे में आइडेन्टीटी साफ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चूरू में अगर कहीं उत्तेजना है तो आप और हम सब मिल कर उसे शांत करें। एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना कर सकूंगा वह मैं करूंगा। जितना कर सकता हूं वह मैं करूंगा मेरी पार्टी की ओर से जो मैं कर सकता हूं वह मैं करूंगा। मेहरबानी करके वहां कोई उत्तेजना है उसको शांत करने में आप सहयोग दीजिए, ऐसी आशा करके मैं चलना चाहता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ..

श्री हरिदेव जोशी : मैं बोल रहा हूं अभी।

आपने कुछ स्पेसिफिक बातें कही हैं। आपने यह कहा है कि एस. डी. ओ. और डी. एस. पी. को सस्पेण्ड कर दो। आप तो एक राजनैतिक दल के नेता हो और राजनीति में यह मानकर चला जाता है कि आज एक पार्टी का राज्य है तो कल दूसरी पालिटीकल पार्टी का राज्य भी हो सकता है और हिन्दुस्तान में कुछ हिस्से में चाहे थोड़े ही समय के लिए हो आपकी पार्टी भी पावर में आई हैं। आपने भी इस तरह से सब लोगों को सस्पेण्ड कर दिया हो ऐसी बात भी नहीं है। आपने भी मांग की होगी कि आप तथ्यों के अन्दर जायें और विवेकपूर्ण एक्शन लें। अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकें तो मानिये कि मैं सीनियर आफिसर को डिप्यूट करूंगा, जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसकी लाइट में वह सारी चीजों को डी-नोवो देखेगा और देख करके "विद इन ए वीक्स टाइम" गवर्नमेन्ट को एडवाइस करेगा कि अमुक लोग इस प्रकार के हैं और उसके बाद में मैं एक दिन लेने की कोशिश नहीं करूंगा। आपसे आश्वासन नहीं मांगूंगा और मैं उसके ऊपर एक्शन

Page No 72

(72)

(श्री हरिदेव जोशी)

दूंगा। मैं यही विश्वास सदन को दिला सकता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने गम्भीर वक्तव्य में राजस्थान के विरोधी पक्ष के बारे में कुछ कहा...

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो कोई प्रश्न होना नहीं है। उत्तर हो गया।

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण के लिए कुछ समय दूंगा। आप थोड़े ही समय में कह दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में विरोधी पक्ष के बारे में कहा...

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट का प्रश्न नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक संवैधानिक परम्पराओं का प्रश्न है उपेक्षित व्यवहार सदन के अन्दर या सदन के बाहर सब स्थानों पर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण में यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कुछ दर्शन की बातें कही हैं और यह भी कहा है कि व्यवस्थित रूप से अव्यवस्था फैलाने के लिए सब स्थानों पर वातावरण मिला। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में कुछ ऐसे दर्शन हैं जो कि व्यवस्थित रूप से व्यवस्था चाहते हैं परन्तु जहां तक यहां पर बैठे हुए हम सब दलों का प्रश्न है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। न हम इसमें विश्वास करते हैं कि अव्यवस्था के बाद ही केवल बदल आ सकता है और इस कारण से यदि उनमें इस प्रकार की भ्रांति हुई है तो मैं समझता हूं कि वह दूर हो जानी चाहिए।

मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा इस संबंध में। हमने चूरू के मसले को विशेष रूप से पुलिस हिरासत के अन्दर जो मारपीट और घृणित काण्ड हुआ उसके बारे में उठाया था और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जहां राजनैतिक दर्शन की बात विस्तारपूर्वक कही वहां मुझे इस बात का खेद है कि मुख्य मुद्दों के ऊपर और चूरू के पुलिस हिरासत के अन्दर शिवपूजन, विमल सारस्वत और ओझा के साथ में जो निर्मम पिटाई और घृणित काण्ड हुआ उसके बारे में यह स्पष्ट घोषणा नहीं की कि इसकी जांच कौन करेगा। वरिष्ठ अधिकारी राज्य प्रशासन की जांच करे, ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा। मुझे इस बात का खेद है कि कम से कम हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि इसकी जांच यदि अन्य कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हो तो कम से कम रैवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन के द्वारा की जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से इस बात को घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, डी. आई. जी. वहां जाकर जांच करे और उनसे अपेक्षा की जाये कि वह एस. डी. एम. के खिलाफ जो कि आर. ए. एस. आफिसर है उसके खिलाफ रिपोर्ट देगा और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कार्यवाही होगी यह सम्भव नहीं है। हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। यह केवल 'आईवाश' है और आसूं पोंछने वाली बात होगी। इसलिए हम ऐसी जांच को किसी प्रकार से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात भी कही गयी····

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर बहुत से लोगों को राजस्थान की समस्याओं के ऊपर बोलना है इसलिए यह कृपा करें···

श्री अध्यक्ष : इसको जल्दी ही समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : (श्री दीपंकर के व्यवधान करने पर) मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को इस तरह से नहीं चलने दिया जायेगा।

मैं आपको कहता हूं कि इस प्रकार से हाऊस नहीं चलने दिया जाएगा।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, कृपा करके स्थान ग्रहण करिये।

(निरन्तर शोरगुल–अश्रव्य)

माननीय सदस्य कृपा करके स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बोल रहा हूं···

(अनवरत शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो व्यक्ति अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर बोल रहे हैं उनको इस प्रकार से इण्टरप्ट करें और बीच में बोलते जायं यह कौन सी परम्परा है।

श्री गुमानमल लोढा : मुख्य मंत्री महोदय ने जो गम्भीर बात कही है उसमें आप इस तरह से बचकानी बात कह कर व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। आप यदि यह चाहते हैं कि इस प्रकार से ऐसे गम्भीर मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें मुख्य मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें यह नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य खुद इस तरह से मुख्य मंत्री के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं यह सारा वातावरण बना करके। जिस शालीनता और गम्भीरता से उन्होंने वातावरण बनाया है और जिस प्रकार का हल वे निकालना चाहते हैं आप उन्हीं की कबर खोदने के लिए बैठे हैं, इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं और उनको खत्म करना चाहते हैं। यह कोई तरीका है।

श्री हरिदेव जोशी : अब हो गया, आप शुरू कीजिए।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करें...

श्री अध्यक्ष : आप कहिए।

श्री गुमानमल लोढा : एक बात निवेदन करना चाहता हूं और इसके ऊपर गम्भीरता के साथ हां मुख्य मंत्री महोदय ध्यान दें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मसले को रैवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को अपोइन्ट करके जांच कराइये, पोइन्ट नम्बर वन और उससे कम अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो कम से कम हम हमारी तरफ से इस ऐसे गम्भीर मसले के अन्दर किसी प्रकार का विश्वास हो सकेगा, अनुभव नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, यह मामूली घटना नहीं है। बोस छात्रावास के अन्दर जो घटना हुई उससे अधिक इम्पोर्टेंट है। वहां पर खुले में हमला किया गया, यहां पर पुलिस हिरासत में हमला किया गया है और पत्रकारों के ऊपर, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस कस्टडी में जिसका प्रूफ मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा भी निश्चित रूप से हो चुका है। मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, शायद उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, उनको बताई नहीं गई है, इसमें केटेगोरिकली लिखा हुआ है, मैं आपको केवल एक विमल सारस्वत के बारे में निवेदन करता हूं। रिपोर्ट में लिखा है : "Small abrasion on the left fore-arm in front of ventral aspect, 7.5 c.m. above the left wrist joint.

दूसरी चोट है Contusion 1.5। तीसरी Contusion 5 cm × 3 cm on right buttock, चौथी चोट है Contusions 2 cm × 1 पांचवीं चोट है Diffuse swelling पूरे उसके बदन के ऊपर चोटें हैं और उन्होंने आगे कहा है "involving the whole left big toe with oozing of blood from the nail bed on pressure. Toe is tender on palpation."

छठी चोट है "There are two contusions 0.5 cm × 0.5 cm." फिर लिखा है "...each on the forsal aspect of 2nd, 3rd and 4th left toes."

श्री अध्यक्ष : यह तो वे मानते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : If they agree to it, then action should be taken by suspending S. D. M. and Dy. S.P. and prosecuting them.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति के ऊपर इतनी है Contusions यह साधारण बात नहीं है। मुख्य मंत्री भी बरदास्त नहीं करेंगे इस प्रकार की चोटें आई हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है। मेडिकल बोर्ड भी उस समय बैठाया गया है जब कि पुलिस के एस. पी. जांच करवाना चाहते थे और मेडिकल ज्यूरिस्ट घबरा रहा था और उसने कहा कि मैं जांच करके रिपोर्ट नहीं दे सकता इसलिए मेडिकल बोर्ड बैठाया गया कि यह जांच करके रिपोर्ट दे। अध्यक्ष महोदय, यदि आप हैड कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकते हैं, कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकते हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए लेकिन एस. पी. को इसलिए सस्पेंड नहीं कर सकते कि क्योंकि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उसके पीछे आर. ए. सी. का तमगा लगा हुआ है, आप कार्यवाही नहीं कर सकते और यही कारण है कि हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल को आप सस्पेंड कर सकते हैं। और इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। जिस एस. डी. एम. ने शिवपुरी की मूंछें उखाड़ दी, बाल उखाड़ दिए•••

श्रीमती सुमित्रा : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान—शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. Let me conduct the proceedings please.

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, हमें भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर अपनी बात रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्थित ढंग से सदन की कार्यवाही चले और आपकी आज्ञा को मानते हुए सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं•• ••

श्री अध्यक्ष : You continue.

श्री गुमानमल लोढा : यहां पर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो वह कौन सा अवसर होगा ? क्या आप यह चाहते हैं कि हम अपनी बात यहां नहीं कह कर सड़कों पर कहें ? आप हम से अपेक्षा करते हैं कि किसी प्रकार की उत्तजना नहीं हो••••

श्री अध्यक्ष : आप तो मुद्दे पर आइये।

श्री गुमानमल लोढा : हम शान्त वातावरण में निवेदन करना चाहते हैं, आप व्यवस्था करते हैं और यह कभी इधर से उठ जाते हैं और कभी उधर से उठ जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कैसे इस प्रकार से इग्नेसेंस हो रहे हैं। बात सुनने को तैयार नहीं हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों का कन्क्लूजन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है। 13 तारीख की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि चार कण्टीजेंसी हैं। इसके बाद किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसको प्रेस्टिज का विषय नहीं बनायें प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनायें और केवल यह बात न सोचें कि इसके कारण, डी. आई. एस. पी. का ट्रांसफर करने से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डी-मोरलाईज हो जाएगा तो जनता की ओर भी ध्यान दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने यह बात कही कि मैं यहां बैठना पसन्द करूंगा। मैं यहां बैठूंगा ब्यूरोक्रेसी में जाकर नहीं बैठूंगा। मुझे इस बात की खुशी है लेकिन जब वे यह कहते हैं कि हम डी-मोरैलाईज हो जायेंगे तो मैं कहता हूं कि उनका शरीर यहां पर है पर दिमाग वहां पर है। उनके दिमाग को कण्ट्रोल ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट दबाव डाल रहे हैं कि अगर एक एस. डी. एम. को लाईन हाजिर किया गया, एक डी. वाई. एस. पी. का ट्रांसफर किया गया, उसको सस्पेंड किया गया तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डी-मोरेलाईज हो जाएगा। हम आप से अपेक्षा करते हैं कि उनका दिमाग और दिल वह जन पक्ष के साथ में हो•••

श्री दीक्षित : पोइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। Let him continue his speech.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप प्रीडिंग एडवोकेट हैं और एस.डी.एम. को लाइन हाजिर कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : लाइन हाजिर से मेरा मतलब पुलिस के डी.वाई.एस.पी. से था मैं क्षमा चाहता हूं। तो मेरी अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट मान्यता है कि यदि वह शालीनतापूर्वक स्थिति में यह चाहते हैं, मेरा किसी से दुराग्रह नहीं है, कोई डी.वाई.एस.पी. या एस.डी.एम. से किसी के साथ वैमनस्य नहीं है, लेकिन जो स्थिति है उसमें मैं चाहता हूं कि कम से कम रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से इन्क्वायरी करादें और इनका डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर कर दें ताकि निश्चित रूप से तथ्य पेश हो सके। आप अन्दाज लगायें कि जब वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए तो वे इतना घबरा गए कि कम्पलेंट नहीं कर सके, उनके चोटें लगी थीं, खून बह रहा था लेकिन घबराहट के कारण जिस आदमी की गुदा में डण्डा ठूंस दिया जाय, मलमूत्र पिलाने की कोशिश की जाय·····

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमें भी अभिभाषण पर भाषण करना है, हमारा भी खयाल रखें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि बहुत हो गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम अपनी ओर से अर्ज करते हैं कि हम पर कृपा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : डिग्नीफाइड वे में तालियां बजाई हैं। आप बैठिए तो सही।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : यह मेरे ध्यान में है कि आप लोगों को काफी राज्यपाल महोदय के भाषण पर कहना है।

श्री गुमानमल लोढा : कम्युनिस्ट साथियों की जो उद्विग्नता है वह मेरी समझ में आ सकती है कि इसका कारण क्या है···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारा वक्त जाया हो रहा है, हमको भी बोलना है गवर्नर के एड्रेस पर····

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहेंगे उसका पालन किया जाएगा You are nobody to interrupt. आपको इस तरह से नहीं बोलने दिया जाएगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप होते कौन हैं रोकने वाले, नहीं बोलने देंगे। सारी फौज ले आइये और सारे आका ले आइये, बोलने से कोई रोक नहीं सकता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप जिम्मेदार आदमी हैं आपको खयाल रखना चाहिए।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : माननीय सदस्य को बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : Who are you to say like that.

श्री गुमानमल लोढा : आप (श्री हाण्डा से) बोलने में विश्वास नहीं करते, आप डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं। आप वातावरण में अशान्ति पैदा करना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों को घटना के सम्बन्ध में और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज का कल नहीं होगा और एक सीनियर आफिसर को आज ही एपाइंट करूंगा और 7 दिन में रिपोर्ट करने के लिए कहूंगा और आठवें दिन एक्शन लूंगा, लेकिन आपको मुझे कम से कम कन्वींस होने का टाइम देना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे। यह सीनियर आफिसर वाली बात तो फिर गोलमाल रह गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फिर शुरू हो गया।

एक माननीय सदस्य : आपको (श्री गुमानमल लोढा) एपाइन्ट करवा दें।

श्री मोहनराज (बाली) : (कोलाहल के बीच) यह कौन सा तरीका है····एक व्यक्ति को बारबार कहा जाता है····यह भी कोई तरीका है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (कोलाहल के बीच)···आप इन लोगों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनको बोला हुआ समझा जाना चाहिए।

श्री केदार नाथ : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि 7 दिन में इन्क्वायरी सीनियर आफिसर से करवा ली जायगी। हमारा निवेदन है कि वह सीनियर आफिसर रैवेन्यू बोर्ड का मेम्बर हो और 7 दिन में हमने जो फैक्ट्स पेश किये हैं उनके आधार पर एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ एक्शन लेंगे, उन पर विश्वास करते हुए।

श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : सी. एम. साहब ने वक्तव्य दिया है उस पर हम विश्वास करते हैं। आठ दिन भी हम यहीं रहेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी यहां पर कहा है उसको आधार मानकर उसके आधार पर एन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पूर्ण विश्वास है।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति

Page No 78

(श्री मोहनराज)
के प्रतिवेदन का विमति टिप्पण सहित उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

20 फरवरी, 1975

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) (श्री परसराम मदेरणा के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह हाउस ने फाइनल कर दिया। हाउस ने तय कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हां से पहले अर्ज करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : यह तो रखने की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसकी आज्ञा नहीं दी जाय क्योंकि···

श्री अध्यक्ष : आज्ञा दे दी गई है। मैं पुन: प्रश्न करता हूं कि क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

एक माननीय सदस्य : आपका नो लिख लिया है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 15 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) (श्री मोहनलाल छंगाणी के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 23 सन् 1974) तथा राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 32 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान यात्री तथा माल कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश सं. 24 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 4 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक, 1975

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : No, no, no Noes have it.

श्री खेतसिंह : yes have it.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : I claim division.

श्री अध्यक्ष : बेल बजाइये।

(मतदान सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पूरे 12 वर्ष करवाना चाहते हैं। यह बारहवां ही करवाकर छोड़ेंगे प्रजातन्त्र का।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को आज्ञा प्रदान की जाय ? जो माननीय सदस्य इस पक्ष में हों कि आज्ञा प्रदान की जाय वह अपने हाथ ऊंचे कर दें।

(पक्ष में मत देने वाले माननीय सदस्यों ने हाथ ऊंचे किये)

जो माननीय सदस्य विरोध में हों वे अपने हाथ ऊंचे कर लें।

(विपक्ष में मत देने वाले माननीय सदस्यों ने हाथ ऊंचे किये)

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता। इजाजत दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोकतन्त्र को समाप्त करने की तैयारी हो गई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि-विस्तारण) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 3 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री मूलचन्द (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने का आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 26 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद, श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्षजी, मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

(3.08 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां विगत वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है वहां आने वाले वर्ष की योजनाओं या आने वाले वर्ष में किये जाने वाले कामों के लिए वह सरकार को दिशा निर्देश भी देता है। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अपने भाषण में कहा था कि हमें राजस्थान में सामन्तवादी विरासत जो मिली है उसके कारण राजस्थान के पिछड़ेपन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद की समीक्षा करनी चाहिये

मैं तो उससे भी आगे बढ़कर निवेदन करना चाहूंगी, न केवल सामन्तवादी विरासत विभिन्न भौगोलिक स्थितियां, विशाल मरुस्थल, विपरीत जलवायु और निरन्तर पीछा न छोड़ने वाले अकाल, इन्होंने राजस्थान की स्थिति को अत्यन्त चिन्तनीय बना दिया है। इस बात को पिछले तीन साल से लगातार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और राजस्थान राज्य के वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में स्वीकार करते चले आये हैं। राजस्थान आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। लेकिन उन सबके बावजूद राज्यपाल महोदय ने यह स्वीकार किया है कि राज्य में भीषण अकाल छाया हुआ है। 23 जिलों में अकाल है। 1 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हैं। कुछ के बारे में विचार हो रहा है कि अकालग्रस्त है या नहीं। 1 करोड़ 55 लाख की संख्या होने का अनुमान है। मैं तो विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी तक अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया जाना क्या 1 करोड़ 55 लाख लोगों के साथ अन्याय नहीं है? जो पैसा राजस्थान ने विभिन्न स्रोतों से डाइवर्ट किया है, 10 करोड़ रुपया छठे वित्त कमीशन की प्रस्तावना के रूप में जो मार्जिन मनी के रूप में हमारे को मिला है। इसलिए मैं 10 करोड़ की बात ही नहीं करना चाहती हूं। मैं निवेदन और करना चाहती हूं। करीब 10 करोड़ रुपया जो योजनागत कार्यों में खर्च किया

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

जाना हैं, वह क्या अकाल राहत कार्यों में योजना गत कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे। इस बंधन को लगाकर हम क्या उस मंशा को खत्म नहीं करेंगे। यह आवश्यकता नहीं है कि जो योजनागत कार्य हैं, उस इलाके में अकाल पड़ा हुआ है। अकाल राहत के कार्य मानवीय दृष्टिकोण के साथ में जुड़े हुए होते हैं। राजस्थान की आधी से अधिक आबादी है उसको जीवित रखने का प्रश्न है। हमारा अमूल्य पशुधन राज्य की जो 12% स्टेट इन्कम का श्रोत है, उसको जिन्दा रखने के लिए राज्य सरकार के लिए यह एक गम्भीर चुनौती का विषय है। इसको उसी गम्भीरता से लेना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है। मुझे तो सुनकर ताज्जुब हुआ इन मुखालिफ हालात के बावजूद पूरे साल राज्य सरकार द्वारा सस्ते अनाज की दुकानों से गेहूं और मोटा अनाज शहरों और देहाती इलाकों में बांटा गया। कम से कम राज्य सरकार को इतनी गलत बात राज्यपाल महोदय से नहीं कहलवानी चाहिये थी। शहरों की बात तो छोड़ दें। वहां तो दो तीन किलो लोगों को मिल जाता होगा। लेकिन देहाती इलाकों में आज दिन तक की बात तो मैं कह सकती हूं किसी को एक छटांक भी नहीं दिया गया है। कुछ पंचायतों में दो किलो ज्वार दे दिया गया होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अनाज मिल रहा है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह तो आप कहियेगा मैं तो जनता की खैरख्वाह हूं। मैं इस बात को चुनौती दे सकती हूं। झुन्झुनूं जिले में जिस इलाके से मैं आयी हूं एक बार ही दो किलो ज्वार कुछ गांवों में दिया गया है। इसके अलावा कुछ गांवों में एक छटांक दाना भी राज्य सरकार ने मुहैय्या नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : आपके यहां अकाल घोषित नहीं हुआ होगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तीन गांव ही ऐसे हैं। बाकी सारा का सारा जिला अकालग्रस्त घोषित है। मेरी सारी कान्स्टीटुएन्सी अकालग्रस्त घोषित है। ऐसा भीषण अकाल सन् 1968 में था जिस पर राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा खर्च किया था। आज लोग रात को भूखा सोने को मजबूर हैं। लोगों का अमुल्य पशु-धन नष्ट होने को मजबूर है। राज्य सरकार ने इस बारे में गम्भीरता से नहीं सोचा है। आश्चर्य की बात है कि अभी भी विचार जारी है कुछ गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने के लिए। अब आप उन्हें घोषित करें या नहीं। यह फरवरी मास समाप्त होने जा रहा है। अब कौनसा समय आयेगा। अकाल राहत कार्य तो बहुत पहले प्रारम्भ करना चाहिए। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, राज्यपाल महोदय को कुछ तो सही जानकारी देनी चाहिए। राज्य सरकार के मंत्री लोग कुछ भी कह दें लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, उनके मुंह से कही हुई बात का महत्व है। इसके बारे में शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है, इस बात को कहलाया गया है लेकिन पालन नहीं किया गया है। मैं पिछले साल की बात करती हूं। पिछले

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

साल ऐसा अकाल भी नहीं था तो भी सरकार ने 60 करोड़ रुपया खर्च किया है। इस साल गम्भीर रूप से अकाल पड़ा है। इस समस्या का समाधान, इस साल की जो राशि है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। इस प्रश्न पर सरकार गम्भीरता से सोचे। इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि कितने लोगों को अकाल राहत में काम दिया जा सकेगा। कितने लोगों को नहीं दिया जा सकेगा।

लेवी के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है। मैं निवेदन करूं, लेवी के बारे में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। लेवी देने के बारे में किसी को ऐतराज नहीं है और न होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं कि लेवी वसूल करके उपभोक्ता को अनाज दिया जावे लेकिन इस बारे में नीति स्पष्ट होनी चाहिये। पिछले साल काश्तकारों के साथ में जो मखौल किया गया यहां तक कि उनके साथ में ज्यादतियां की गई कि किसानों को मजबूर होकर बाजार से खरीदकर लेवी देनी पड़ी है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सरकार इसका खयाल रखे। लेवी की नीति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसके अनुसार काम किया जा सके। राज्यपाल महोदय ने यह भी जिक्र किया है कि केरोसीन, वनस्पति और सीमेन्ट वितरण की व्यवस्था सन्तोषजनक चल रही है। इन वस्तुओं की वितरण व्यवस्था शहरों में भी निराशाजनक है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगी कि राज्यपाल महोदय ने पर कैपिटा इन्कम का भी जिक्र किया है। पर कैपिटा इन्कम 1972–73 में 281 थी वह 1973–74 में बढ़कर 304 रुपये हो गई है। लेकिन राज्य सरकार के एप्रोच टू फाइव ईयर प्लान में लिखा है। 1970–71 के अन्दर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 302 रुपये मानी गई थी, वह 1972–73 में घट कर 281 ही रह गई परन्तु इस बात की खुशी है कि पिछले साल यानि 1973–74 में इसमें बढ़ोतरी हुई है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 281 से बढ़कर 304 रुपये तक पहुंची है। यह बढ़ोतरी 8 परसेन्ट से ज्यादा की है। इसके मायने यह हुए कि पर कैपिटा इन्कम जो है इसमें घटोतरी और बढ़ोतरी होती रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें जो बढ़ोतरी मानी गई है और मुख्य मंत्री महोदय ने कांग्रेस कैम्प को जब वह सम्बोधित करने गये थे तो कहा था कि यह स्पष्ट बात है कि इण्डिया की पर कैपिटा इन्कम भी फोर्थ फाइव ईयर प्लान के बाद है, यह राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद भी हम चीप नहीं कर पाये। यानि इसको हम स्थिर नहीं रख पाये हैं पूरे हिन्दुस्तान के मुकाबले में। दूसरी तरफ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पर केपिटा इन्कम में 8 परसेन्ट की बढ़ोतरी बताई है। तो मैं यह याद दिला दूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां पर केपिटा इन्कम में आठ परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। वहां दूसरी ओर आबादी में भी 8.51 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। अगर 71 से 74 तक के आबादी के आंकड़े उठा कर देखें तो मालूम हो जायगा कि आबादी का

(84)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जो विस्तार हुआ है वह 8.51 परसेन्ट के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी हुई तो उपाध्यक्ष महोदय, यह 8 परसेन्ट पर केपिटा इन्कम बढ़ोतरी कहां हो पावेगी तो यह मेरी समझ में, अक्ल में नहीं आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि इस बार रबी की क्रोप अच्छी होने की उम्मीद है और इस बार रबी का प्रोडक्शन 42 लाख टन होने की उम्मीद है जबकि पिछले साल यह प्रोडक्शन केवल 31 लाख टन ही था। इसका मतलब यह हुआ कि हम 11 लाख टन अनाज रबी की फसल के अन्दर अतिरिक्त उत्पादन कर पायेंगे। लेकिन खरीफ की फसल के जो आंकड़े राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिये है उसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले वर्ष जहां इसका उत्पादन 36 लाख टन हुआ था इस बार केवल 16 लाख टन ही हो पाया है। इस प्रकार से यदि हम दोनों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर आज भी करीब 9 लाख टन की डेफिसिट रहती है। तो यह बढ़ोतरी किस प्रकार से हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह बात तो सही है कि अनाज के भावों में काफी गिरावट आई है, लेकिन यह गिरावट कायम या स्थायी रह सकेगी, इस बात में मुझे बड़ा शक नजर आता है। और यह इसलिए कि जब पूरी दोनों फसलों को मिलाकर 9 लाख टन का डेफिसिट रहता है तो यह कीमतें स्थिर हो पायेंगी इसमें मुझको शक की गुंजाइश नजर आती है। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अनाज की कीमतों में तो काफी हद तक बल्कि 25–30 परसेन्ट तक की घटोतरी देखी गई है लेकिन इसके साथ ही साथ कन्जम्पशन की जो और भी कई वस्तुएं हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनमें विशेष, बिल्कुल गिरावट नजर नहीं आती है। तो जब तक हम अनाज के साथ साथ उपभोक्ता की उपभोग में आने वाली अन्य वस्तुओं में गिरावट और उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तब तक सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं कहीं जा सकती।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए तो बधाई देना चाहती हूं वह साल-दर-साल इर्रीगेशन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में, उनको अचीव करने में अग्रसर होती जा रही है। सिंचाई का रकबा पिछले साल के मुकाबले में 80 लाख हैक्टेयर का बढ़ा है, लेकिन आज, नहीं सोरी, 80 हजार हैक्टेयर का बढ़ा है। किन्तु मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि इन सबके बावजूद भी इर्रीगेशन का परसेन्टेज आल इण्डिया लेवल का जो है वह उस से अभी भी बहुत नीचे है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि विद्युतीकरण के क्षेत्र में राजस्थान के फोर्मेशन से काफी काम किया गया है। जहां राजस्थान निर्माण के समय 8 मेगावाट थी वहां अब 450 मेघावाट बिजली जेनरेट की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफी हद तक पीछे रहे हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगी कि वित्त मन्त्री

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

महोदय ने जो अपने 74-75 के बजट भाषण में पढ़ा था उसको मैं दो पंक्तियां पढ़कर आपको सुनाती हूं—विद्युतीकरण के क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि इस साल का लक्ष्य 15 हजार कुओं को बिजली देने का कर पाये हैं और एक हजार बस्तियों में बिजली देने का कर पाये हैं लेकिन यह प्रस्ताव ही रह गया। पन्द्रह हजार कुओं के मुकाबले हम केवल 10 हजार 421 कुओं को ही इलेक्ट्रिफाइड कर पाये और बस्तियों का जहां तक सवाल है, जहां 1000 बस्तियों को इलेक्ट्रिफाइड करने का था उसके मुकाबले हम केवल दो सौ इक्कावन बस्तियों को नहीं केवल 254 बस्तियों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाये हैं। तो मैं आज भी यह निवेदन करना चाहती हूं कि पर केपिटा राजस्थान का जो कन्जम्पशन है, आल इण्डिया लेवल का जो एवरेज है उसके मुकाबले में हमारा अभी भी बहुत कम कन्जम्पशन है। 1972-73 के मुताबिक आल इण्डिया एवरेज 80 था वहां हमारा केवल 30 ही था और अब आल इन्डिया एवरेज का 100 से ऊंचा पहुंच गया है जबकि हमारा 60 के करीब है। तो इस दिशा में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जिस बात को बजट में रखा गया है, उसको पूरा करने के लिये हमको पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। टारगेट रखने के बाद भी हम यदि अचीव नहीं कर पायें तो यह एक उचित बात नहीं है, हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। उसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि औद्योगीकरण की आपकी जो प्रगति है वह भी काफी धीमी है। इसके अलावा औद्योगीकरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भी हम हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश के बाद सबसे नीचे हैं। हमारे राज्य में अनेकों खनिज की सुविधाएं हैं उनका हम पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते, पूरा लाभ नहीं उठाते। हम इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठायें यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि किस तरह से उनका पूरा फायदा हो सकता है। गवर्नमेंन्ट ऑफ इण्डिया ने एक पुस्तक निकाली है, इण्डिया–1974 उसके अनुसार, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं :—

"यद्यपि खनिजों में राजस्थान की विशिष्ट स्थिति है, देश में सान्द्रित, सीसा और जस्ता, पन्ना और तामड़ा रत्न का सारा उत्पादन इस राज्य से होता है और देश की 93 प्रतिशत खड़िया मिट्टी, 90 प्रतिशत चांदी, 75 प्रतिशत शिला तन्तु (एस्बेस्टस), फेलसफार तथा 20% अभ्रक का खनन होता है। सांभर झील और अन्य स्थानों में नमक का प्रचुर भण्डार है। खेतड़ी और दरीबा में तांबे की खानें हैं।

राजस्थान का हस्तशिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध है संगमरमर का काम, ऊनी दरियां, कालीन, गलीचे, गहने, कशीदाकारी, चमड़े की चीजें, मिट्टी के बर्तन और पीतल की वस्तुओं पर मीनाकारी का कार्य प्रमुख है।"

मैंने 'भारत 1974' की भारत सरकार की पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को रिपीट किया है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो प्रदेश सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की टोटल ऊन का 45 परसेन्ट का प्रोड्यूसर हैं वह प्रदेश ऊनी कालीन और गलीचे क्यों नहीं बना सकता? और उत्तर प्रदेश जो हमारे यहां से (कच्चा माल) ऊन

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

मंगाता है, गलीचे बनाकर बाहर भेजता है और 40 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां जब बीकानेर में ऊनी मिल भी है। यू. पी. में रॉ-मैटीरियल राजस्थान से जाता और वह 40 करोड़ का फोरिन एक्सचेन्ज कमाता है लेकिन हमारे बीकानेर में जो एक मात्र मिल है वह भी घाटे में चल रही है। (समय समाप्ति–सूचक घण्टी) माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता हैं–सबने एक घण्टा लिया है। मुझे पांच सात मिनिट और दें।

श्री दीपंकर : समय की पाबन्दी तो लाजिमी है। कल कई वक्ता बोलने से वंचित रह गये। माननीय सदस्या से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़े में अपनी बात कह दें।

श्री शंकर लाल : यह पाबन्दी माननीय सदस्या पर ही क्यों लागू हो रही है।

श्री दीपंकर : पाबन्दी लागू करने की बात नहीं है। अभी काफी वक्ता बोलने वाले हैं, वह बोलने से वंचित रह जायेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे जो राय दी है, उसका मैं पूरा पालन करने की कोशिश करूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही थी, जो प्रदेश सारे हिन्दुस्तान, तमाम देश में होने वाली ऊन का पैंतालीस पर्सेन्ट प्रोड्यूसर है, वह प्रदेश कालीन और गलीचे बना कर बाहर भेज कर फॉरिन एक्सचेंज क्यों नहीं कमा सकता ? यह देखने की बात है। हमारे यहां एक छोटी सी मिल बीकानेर में लगी हुई है और वह भी मुनाफे में नहीं चलती। यह देखने की बात है, क्या कमी है। उत्तर प्रदेश हमारे यहां से रॉ-मैटिरियल मंगाकर चालीस करोड़ रुपये कमा रहा है और हमारी मिल घाटे में चल रही है ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी, ट्रान्सपोर्ट के मामले में बड़ी भ्रांति मालूम हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता, राज्यपाल महोदय के भाषण को सही माना जाय या पिछले साल दिये हुए वित्त मंत्री के भाषण को सही मानूं। वित्त मंत्री के भाषण में पिछले साल वित्त मंत्री ने ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहा :

"पथ परिवहन क्षेत्र के अन्दर चतुर्थ योजना की अवधि के अन्दर पच्चीस पर्सेन्ट बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लेने का वचन पूरा कर दिखाया है।"

और राज्यपाल महोदय अपने भाषण में यह फर्माते हैं :

"राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा गत वर्ष 25 प्रतिशत मार्गों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु वित्तीय एवं कानूनी कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य 17.2 प्रतिशत ही पूरा किया जा सका। इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और साल के अन्त तक यह प्रतिशत 28 हो जाने की सम्भावना है।

वह कह रहे हैं कि लास्ट ईअर 17.2 पर्सेन्ट ही एचीव कर पाये हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमने लक्ष्य

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

पूरा कर लिया है । मेरी समझ में नहीं आया, कौनसी बात सही है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, वह वेरीफाई कर लिया करे ताकि दो तरह की बातों से, वित्त मंत्री जी अपने भाषण में कुछ कहें और राज्यपाल महोदय अपने भाषण में कुछ कहें–इससे भ्रांति न हो जाया करे । इसलिए इसको चैक कर लिया करें । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं, हमारे नेशनलाइज्ड हैं रूट्स उन रूट्स पर यात्रियों को सब तरह की एमेनिटी और सब तरह की फैसेलिटी देने और इसको अधिक से अधिक सुचारु एवं समय पर चलाने के लिए इस दिशा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रयत्नशील रहे ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बार बार एक बात सदन में आती है जल प्रदाय योजनाओं के बारे में । यह संतोष का विषय है, जहां तक नगरीय जल प्रदाय योजना का सवाल है, राजस्थान में जो म्युनीसिपल टाउन हैं उनमें करीब करीब सम्पूर्ण जगह जल प्रदाय योजनायें चल रही हैं। लेकिन 33 हजार गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या है । उसकी तरफ राज्य सरकार को जिस प्रकार सचेष्ट होकर जो जागरूकता दिखानी चाहिए–वह राज्य सरकार अभी तक नहीं दिखा पायी है । प्लानिंग कमीशन ने इस बात को बहुत साफ कहा है, "पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कोई भी ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए जिस गांव में मीठा, स्वच्छ, हाइजनिक, बीमारी से मुक्त जल हम न दे सकें ।" ऐसा राजस्थान का एक भी गांव नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस सबके बावजूद आज भी 33 हजार गांवों में से 2327 गांवों में योजना चालू हो पाई । राज्यपाल महोदय ने सर्वेक्षण की बात कही है, सब गांवों का सर्वेक्षण करा लिया गया है । मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं, यह सर्वेक्षण 1966 में सम्पूर्ण हो गया था । 1966 से लेकर 9 साल तक हमने क्या प्रगति की है ? आज भी राजस्थान में कई गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है । आजादी के सत्ताईस साल बाद पीने का स्वच्छ पानी, मीठा पानी, बीमारी से मुक्त पानी यदि हम नागरिकों को नहीं दे पायें तो क्या उपलब्धि की है हमने ? कौनसा बड़ा काम किया है ? मैं चूंकि गांव से आती हूं, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता । किसी और की समझ में आने वाली बात हो सकती है ।

उपाध्यक्ष जी, टूरिज्म के लिए राज्य सरकार ने जो कुछ डवलपमेंट आफ टूरिज्म के लिए योजना बनाई है–उसके लिए मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहती हूं । लेकिन इसके साथ ही एक बात और निवेदन कर देना चाहती हूं, टूरिज्म के अन्दर मध्यम वर्ग, बड़े धनिक वर्ग के लिए हम ध्यान दे रहे हैं, गरीब वर्ग के लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दो तीन रुपये में कमरा मिलने वाले होटल का निर्माण किया जाना आज की परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी, बड़े बड़े होटल आपने बनाये हैं जिनमें सौ, डेढ़ सौ कमरे का किराया देने वाले धनी लोग ठहर सकते हैं । लेकिन गांवों से आने वाले आदमी के लिए आपने क्या व्यवस्था की है । वह दो तीन रुपये देकर होटल में ठहर सकें इस पपर्ज के लिए भविष्य में होटल बनाया जाना

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगी। कई प्रपोजल हैं, खास तौर से जयपुर में जनाना अस्पताल, डिसएबल्ड लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन रिसर्च सेन्टर कायम करने जा रही है। डाक्टरों को फीस देने पर पाबन्दी लगाई, प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द की उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं। लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के रूप में प्रगतिशील कदम राज्य सरकार ने उठाया है, इसके सम्बन्ध में मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात कहना चाहती हूं, इससे न तो सरकार को फायदा हुआ है, न डाक्टरों को फायदा हुआ है और न जनता को फायदा हुआ है। डाक्टरों के फायदे की मुझे पैरवी नहीं करनी है, लेकिन जनता के फायदे की और सरकार के फायदे की पैरवी मुझे करनी है, बेशक इससे जनता का फायदा हो और राज्य सरकार का फायदा हो तब तो समझ में आता है। लेकिन मैं सोचती हूं, इससे जनता असुविधा अनुभव कर रही है, राज्य सरकार के पब्लिक एक्स चैकर को फायदा नहीं पहुँचा है। इस लिए इस सम्बन्ध में सरकार सोचे, इसे चालू रखना है, आगे बढ़ाना है या इस स्टेज तक ही इसे बनाये रखना है, मेडिकल कालेज पर ही लागू रखना है या आगे भी सभी चिकित्सकों पर लागू करना है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, बड़ी खुशी की बात है, इस बार शिक्षा मंत्री द्वारा इसके गुणात्मक विस्तार के लिए और शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा। लेकिन आपकी मार्फत मैं सदन के सदस्यों को, शिक्षा मंत्री को और राज्य सरकार को निवेदन करना चाहती हूं, राजस्थान राज्य शिक्षा के मामले में जम्मू और काश्मीर के बाद सबसे नीचे है और स्त्री शिक्षा में तो सबसे नीचे है, जम्मू और कश्मीर से नीचे है, सबसे नीचे है। यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। इस महिला वर्ष में यह महिला शिक्षा के बारे में, जो राजस्थान महिला शिक्षा में सबसे नीचे है, कोई प्रयत्न नहीं किया गया। महिला शिक्षा के प्रसार और विस्तार के लिए तो मेरा निवेदन है कि यह महिला वर्ष मनाना ही बेकार हो जायेगा। यदि महिला शिक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अर्थहीन हो जायगा महिला वर्ष मनाना। इसलिए इस पर विचार आपको करना है।

इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहती हूं, वह यह है कि पिछड़ी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के 5 लाख 42 हजार लोगों को राज्य सरकार ने कांग्रेस को नरोरा शिविर के परिपेक्ष्य में पट्टे दिये हैं आवासीय जमीन के। इस कदम की प्रशंसा करना चाहती हूं। यह सरकार वास्तव में साधुवाद की पात्र है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, जो कुछ भी राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मकान बनाने के लिए पट्टे दिये हैं, उन पर उनके मकान बनाने के लिए भी प्रयत्न करने होगे।

अब मैं राज्य सरकार को एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पैंशन सम्बन्धी नियम हैं, इन पेंशन सम्बन्धी नियमों में सुधार किया जाना चाहिए, इनको बदला जाना चाहिए

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

पेन्शन संबंधी आज जो नियम है वे ब्रिटिश सरकार की लीगसी हैं। वे समझते थे कि हमारे एम्पलोई कहीं कुछ इस तरह की बात कर बैठे तो इस पेन्शन को फॉरफीट कर लें इसलिए उस पर काबू रखने के लिए कठिन पेन्शन नियम कड़े बनाए थे। आज पेन्शन नियम इतने कठिन हैं कि इस तरह के केसेज भी मैं जानती हूं कि रिटायर हुए 20 वर्ष हो गए लेकिन पेन्शन अभी तक नहीं मिल पाई। 20 साल तक पेन्शन न मिले तो मरने के बाद उसका क्या उपयोग? तो नियमों को सरल बनाना चाहिए जो ब्रिटिश लीगसी दी गई है उसे आज दिन तक कायम रखे हैं, इन परम्पराओं को बदलना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा संतोष व्यक्त किया है। लेकिन मेरी मोटी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि एक तरफ खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि अपराधों की संख्या बढ़ी है उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, पुलिस जो वास्तव में असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा करने के लिए है, उस पुलिस ने अब तक इस वर्ष अपने कर्तव्य को भुला दिया है। इसलिए भुला दिया कि एक तरफ कोटा में पत्रकार की पिटाई, कैथून में थानेदार द्वारा गोली चलाना, उदयपुर में पुलिस का छात्रावास में चढ़ जाना और छात्रों की पिटाई करना, चूरू में पत्रकार की पिटाई और छात्रों को निर्ममता के साथ पीटा जाना मैं समझती हूं कि इन सब मामलों में पुलिस ने न केवल अपने कर्तव्य को भुलाया है बल्कि पुलिस ने जनता को आतंकित किया है, जनता को काफी हद तक परेशान भी किया है। इसलिए कि हमारे समाज और प्रशासन की वह जो विशिष्ठ अंग या इकाई है जिसका लॉ एण्ड आर्डर रखने में बड़ा महत्व है, इस इकाई को, इस विभाग में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होंगे।

इसी परिपेक्ष्य के अन्दर मैं राज्य सरकार से निवेदन करते हुए कि राज्य सरकार प्रगति के मार्ग पर बढ़ने की कोशिश कर रही है। इन भयंकर आर्थिक परिस्थितियों में भी, अकाल के इस गंभीर सवाल को राज्य सरकार गंभीरता के साथ ले, राहत कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कराए, हमारी दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, उनके उचित वितरण की व्यवस्था करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर आकर कृपा पूर्वक दिया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नरोरा कैम्प के बाद और रावतभाटा कैम्प के बाद पहला अभिभाषण राज्यपाल का दिया गया उस पर आज बहस का तीसरा दिन है। इसको पढ़ने के बाद और नरोरा कैम्प का 13 सूत्री प्रोग्राम पढ़ने के बाद, रावतभाटा के 13 सूत्री प्रोग्राम के बाद, जो झलक, रिफलेक्शन इस अभिभाषण में आनी चाहिए थी और जिस इरादे के साथ, जिस नये संकल्प के साथ

Page No 90

(90)

(श्री केदारनाथ)

और डेडीकेशन और रिजोल्व के साथ, ये कैम्प्स लगाए उनका रिफलेक्शन इस अभिभाषण में कतई नहीं है। नरोरा कैम्प के 13 सूत्री प्रोग्राम और रावतभाटा कैम्प में केवल एक पाइंट का फर्क है। वह यह कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीनें जो खातेदारों की जमीनें थी, जहां इनका एलोटमेंट किया गया, वे जमीनें जो और लोगों के हाथों में चली गईं, वे सारे ट्रान्जेक्शन्स वोइड किए जायेंगे और वापस जमीनें हरिजनों को मिल जायेंगी। हमने स्वागत किया आखिर यह डिफरसीएशन किया। उसके बाद कोई फाला अप एक्शन नहीं। कल विश्नोईजी का भाषण सुन रहे थे और रामानन्दजी का भाषण सुन रहे थे, इस भाषण के मारफत सुन रहे थे कि क्या पोलिटिकल फोर्सिज पैदा हो रहे हैं, जय प्रकाशजी का आन्दोलन और उस आन्दोलन के साथ साथ सारी पोलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, इसका यहां विश्लेषण हुआ। हमारी पार्टी का क्या रोल है, पार्टी क्या थी, एजीटेशन के प्रति क्या रुख है और मौजूदा सरकार का इन कैम्प्स के बाद जो आंदोलन के प्रति रुख होना चाहिए वह दृष्टिकोण उनका बदल गया। इस देश में बहुत आंदोलन हुए हैं। पहला आंदोलन जो हुआ उस समय दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज इकट्ठी थी। आंध्र और तेलंगाना का आंदोलन हुआ। मैं आंदोलन के पक्ष में हूं। हमने इस देश में काफी बड़े एजीटेशन्स किए हैं। मगर उन आंदोलनों में बहुत कुर्बानियां हुईं। उसके बाद कुछ हिस्से हुए। कुछ चाइना को अपना स्कूल आफ थाट मानते है। कुछ नौजवान इनका पार्टी के जो डेडीकेटेड वर्कर्स थे, उन्होंने फालो

मान किया। और यहां पर उनका नारा था कि जहां जहां पर कैपीटलिस्ट्स हैं उनका घेराव किया जाए। वह आंदोलन भी सफल नहीं हो पाया और इसके बाद हम लोगों ने मिलकर महंगाई के नाम से, मजदूरों के नाम से, यूथ फ्रंट पर, किसानों के फ्रंट पर, अलग अलग आंदोलन किए। जो बेसिक इश्यूज थे उन पर 20-25 साल में लेफ्टिस्ट पार्टीज लड़ती रहीं, आंदोलन का फायदा हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। मगर जो आंदोलन जयप्रकाशजी के नाम से लड़ा जा रहा है उसके कुछ ब्राडर परिस्पेक्टिव है। आज उसका कितना इम्पैक्ट रह गया? हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा। उससे मालूम पड़ता है कि जो जयप्रकाशजी ने इश्यूज रेज किए हैं, उनके आंदोलन के जो स्लोगन्स है, वे स्लोगन्स उसमें मिलते हैं, एक तो यूथ को प्लान के इम्पलीमेंटेशन में, उसके फार्मुलेशन में, उनका इन्वाल्वमेंट किया जाए, (2) मौजूदा एजूकेशनल सिस्टम बदला जाए बेसीकली, (3) इलेक्शन ला चेंज किया जाए, (4) भ्रष्टाचार समाप्त हो, (5) विधान सभा भंग हो व मिनिस्ट्री बरखास्त हो। मैं बिहार की बात को नहीं लेता मगर जो इशूज है, एक मास अपसर्ज के साथ नेशनल लेविल पर ये इशूज उभर कर आए हैं। अगर इन इशूज के आने से जो यूथ बिखरा हुआ था, सिनेमा जाता था, उसमे डाइवर्शन आ गया, अगर उस यूथ ने स्कूल व कालेज की चार दीवारी से बाहर आकर अपने आपको सामाजिक और राजनैतिक इशूज में लपेट लिया और आंदोलन के रास्ते पर है, तो यह देश को देन है। मगर उस आंदोलन में आम मजदूर इकट्ठा हो जाए, आम मासिज आ जायें, जिनका किसी पोलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं, राजनीति से निराश

(श्री केदारनाथ)

होकर, विधान सभा और संसद की कार्यवाही से निराश होकर, मौजूदा पोलिटिकल फाइसिज से निराश होकर अगर जे. पी. आंदोलन के स्वीप में आ जायं तो यह बहुत बड़ा पोलिटिकलाइजेशन है, आंदोलन सरकार की पोलिसिज और प्रोग्राम्स के कन्फ्यूजन को क्लीयर करे, तो ठीक ही है। अगर आंदोलन से केआस पैदा होता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, केआस पैदा होगा, उसके बाद डिक्टेटरशिप पैदा होगी, यह उसकी एनलेटीकल थ्योरी है। अगर इस आंदोलन के दायरे में आम जनता खड़ी हो जाए, मास अपसर्ज हो जाए नेशनल लेविल पर हो जाए, जो मजदूर हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, विद्यार्थी हैं जो पिछड़ा हुआ तबका है, वह नहीं समझता कि देश में केआस होगा, मगर जो इकोनोमिक और पोलिटिकल केआस इस समय है, वह समाप्त होगा और बराबरी का राज्य कायम होगा। यह कहना कि जे. पी. के आंदोलन से फासिज्म पैदा होगी, उसके साथ ग्रांड एलायंस का नाम जोड़ दें, अमेरीकान फोर्सिज डेमोक्रेसी को सेबोटेज करने के लिए जे. पी. के नाम से लड़ रहे हैं, यह तो आंदोलन को वल्गराइज करना है, डिवैल्यूएशन करना है। मेरे दोस्त जो आंदोलन से पैदा हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मौजूदा पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी में विश्वास रखते हो? आज एक पार्टी का रूल है 33 प्रतिशत वोट जिसको मिले थे, साधन और सत्ता उसके पास है इस बिना पर राज कर रहे हैं, तन्त्र है जन नहीं है। क्या मौजूदा असेम्बलीज या पार्लियामेंट इन 27 सालों में कुछ दे पाए सिवाय फस्ट्रेशन के, डिसकन्टेंट के देश को कुछ नहीं दे पाए। इसीलिये आज कन्ट्री में जगह जगह बगावत हो रही है, आन्दोलन हो रहे हैं, बन्द हो रहे हैं। मान्यवर, आज समाज का हर सैक्शन, चाहे वह काश्तकार हो, चाहे लेबर हो, चाहे स्टूडेन्ट हो सभी लोग एजीटेशन कर रहे हैं। इसको मान्यवर, मैं समझता हूं कि देश में अवेकनिंग आयी है। लोगों में चेतना आयी है। आज जो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ग्रान्ड एलाइन्स हुआ है उसमें चाहे हमारे जयप्रकाशजी से मतभेद हो पर देश में कहीं पार्टीलैस डेमोक्रेसी नहीं हो जाये इसके लिये जयप्रकाशजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने जयप्रकाशजी से कहा कि आप इलेक्शन के चक्कर में मत पड़िये। क्योंकि इलेक्शन में काफी मतभेद आपस में हो जाते हैं और होना अनिवार्य भी है क्योंकि इलेक्शन एक विसियस सरकल है। इसलिये इलेक्शन में सिर्फ सुधार होना चाहिये इतनी ही बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी को मैं आज से नहीं पहले से जानता हूं उन्होंने 42 के आन्दोलन में भाग लिया हमने भी 42 के आन्दोलन में भाग लिया था उनका व्यू हमेशा नेशनेलिटी की तरफ रहा। इसके साथ साथ में हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी 42 के एजीटेशन में पार्टिसिपेट किया हम उनके करैक्टर को जानते हैं। अभी जब देश प्रिवीपर्सेज की समाप्ति के लिये राज्य सभा में बिल आया था उस वक्त की बात मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कि हमारे नेताओं का करैक्टर कैसा है उस वक्त राजनारायण जी जेल में थे वह जमानत पर आये और उन्होंने प्रिवीपरसेज के मामले में इन्द्राजी का साथ दिया, वैसे चाहे वह इन्द्रा गांधी और

(श्री केदारनाथ)

कांग्रेस गवर्नमेन्ट के कितने ही अपोजीशन में हो। लेकिन इस बात से उनके करैक्टर का पता चलता है। लेकिन इसी तरह कुम्भारामजी जो कि काफी प्रोग्रेसिव कहलाये जाते हैं जिनके साथ हमने 42 के आन्दोलन में भाग लिया था उन्होंने राज्य सभा में प्रिवीपरसेज के एबोलीशन के खिलाफ में अपना वोट कास्ट किया था। तो यह है केरैक्टर कुम्भाराम जी का। जिन्होंने फ्यूडल लोर्ड्स के खिलाफ में लड़ाइयां लड़ी उन्होंने ही प्रिवीपरसेज के फेवर में वोट दिया है तो बताइये क्या करैक्टर है उनका। इसलिये मान्यवर, हमारा कहना तो यह है कि हम हमेशा सही बात पर अपना वोट कास्ट करते हैं। आज हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया जा रहा है हम जनसंघ का साथ दे रहे हैं, स्वतन्त्र पार्टी के साथ हैं और हम डेमोक्रेसी के खिलाफ में आन्दोलन कर रहे हैं सोवरेनटी के खिलाफ में आन्दोलन कर रहे हैं। आज देश में जब डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है, ज्युडिशियरी को टेम्पर किया जा रहा है उसके खिलाफ में बोलना क्या फासिज्म है। आज हमें फासिस्ट कहा जा रहा है। मान्यवर, जब चाइना ने हमारे देश पर एग्रेशन किया था सन् 62 में उस वक्त हमने कहा था कि यह चाइना का हिन्दुस्तान पर एग्रेशन है। उस वक्त इन लोगों ने आकर इन सी. पी. आई. वालों ने यह नहीं कहा कि यह एग्रेशन उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि यह तो चाइना के बाउन्ड्री डिस्प्यूट है और कुछ नहीं है। जहां पर डेमोक्रेसी का सवाल है हम तो उसको मैनटेन रखना चाहते हैं जहां सोवरेन्टी का सवाल है हमने देश में हमेशा से ही डेमोक्रेसी को फेवर किया है। लेकिन जिस तरीके से देश में आज हालात पैदा हो रहे हैं मान्यवर जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिफोर्मेशन होना जरूरी है अगर आप डेमोक्रेसी को सरवाईव रखना चाहते हैं। आज कल जो रैगिंग किया जा रहा है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हरियाणा में रैगिंग हुई थी क्या ?

श्री केदारनाथ : अजी आप बहुत होशियार हो, एक दो जगह जिता देते हो बाकी जब ग्रान्ड इलेक्शन होता है तब अपनी गवर्नमेंट बना लेते हो। उपाध्यक्ष महोदय, कल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य रामानन्द जी अग्रवाल ने कहा था आज वो अभी हाउस में नहीं है आज फासिस्ट लोग पावर लेना चाहते हैं तो मेरा उनसे यही कहना है कि हम तो हमारी लड़ाई स्ट्रगल फोर एक्जिसटेन्स के लिये लड़ रहे हैं और जो सी. पी. आई. वाले लोग जो हैं वह पावर केपचर करने के लिये एलाईन्स कर रहे हैं। लेकिन मैं रामानन्दजी को चेता देना चाहता हूं कि जब यह कांग्रेस पार्टी फुल फोर्स में आजायेगी उस दिन यह इन्दिरा गान्धी आपको बक्शने वाली नहीं हैं, इसलिये हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी को देश में जिन्दा रखने के लिये। हमारा तो रोल एसाइन्ड है, पावर केप्चर करने का नहीं है क्योंकि हमारी स्थिति तो कमजोर है हम तो सिर्फ देश में जो मानोपोली रूल है उसको ब्रेक करना चाहते हैं लोगों में नेशनलिज्म की भावना पैदा करना चाहते हैं लोगों का माइन्ड

(श्री केदारनाथ)

का डाईवरसन करना चाहते हैं। हम तो जो एन्टी सोशियल एक्टीविटीज हो रही है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आज जो वेज फ्रीज किये जा रहे हैं उनके खिलाफ में एजीटेशन कर रहे हैं ताकि देश में डेमोक्रेसी कायम रहे हम तो चाहते हैं कि लोगों का डाईवर्शन बढ़े सोशलिज्म की तरफ लेकिन आज जो पिछले तीन साल में हम देख रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस में लीडरशिप के खिलाफ में थे उनका माइन्ड डाइवरजन अलग तरीके से किया जा रहा है। अभी थोड़े समय पहले जो लोग हरिदेव जोशी जी की लीडरशिप के खिलाफ थे उन्हें कई पोस्ट दी जा रही है। इससे पता लगता है कि लोगों में लीडरशिप के खिलाफ में भावना थी उसे लोगों को पोस्ट में कर उन्हें अपनी ओर डाईवर्ट किया जा रहा है। किसी के लिये कोई बोर्ड बन रहा है किसी के लिये कोई कारपोरेशन बन रहा है किसी को हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन बना रहे हैं किसी के लिये एग्रीकल्चर का अभी शायद कोई बोर्ड बना है नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : कृषि उपज विपणन बोर्ड।

श्री केदारनाथ : हां कृषि उपज विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो हरिदेवजी भी शायद सुखाड़ियाजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं उसमें इनमें कोई फर्क नहीं है इस प्रकार तो शायद आप डेमोक्रेसी को कायम न कर उसे क्रिपल डाउन कर रहे हैं आप लोगों को टेम्पटेशन देकर डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि राज्य में हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये गवर्नमेंट ने 5–6 करोड़ रुपये मंजूर उनकी कोलोनीज के लिये किये हैं। मान्यवर, मैं इसके लिये आपको यह बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग कभी एजीटेशन करने मे डरते थे और कोर्टस में जाते नहीं थे उन्हीं लोगों में ऐसी अवेकनिंग आ गयी है कि वह लोग कलेक्टर के सामने, एस. डी. ओ. के सामने उनके कोर्टस में जाकर उन्होंने नारे लगाये उन्होंने कि हमें वही जमीन मिलनी चाहिये जहां की हम वर्षों से रहे हैं। हमारी लैंड एक्वायर करने के जो आर्डर हुए हैं उनको कैन्सिल की जावे। हमें वहीं पर लैण्ड सैंक्शन की जावे। आज जहां बाड़मेर, जैसलमेर, जहां पर लोगों के पास हजार हजार गज जमीनें थी उनसे वह जमीनें एक्वायर करके उन्हें सिर्फ 150 गज जमीनें दी जा रही है। उन्होंने नारे लगाकर कहा है कि जहां हमारे एनसैस्ट्रल्स रहते थे वहीं हमें लैण्ड दी जावे। उन्हें दूसरी जगह जमीन नहीं दी जावे।

श्री गोपाल जोशी : अबकी बार ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री केदारनाथ : क्या उसी को रैग्यूलराइज किया जा रहा है, उन्हें डिसलोकेट नहीं किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : हां अब की बार ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री केदारनाथ : मेरा व्यू यही है कि उन्हें वहीं पर लैण्ड मिलनी चाहिये। यह

(श्री केदारनाथ)

ठीक है। इसके अलावा भी हमारे गंग कैनाल में बड़े जागीरदारों के पास जमीन, हजारों एकड़ जमीन पड़ी है उन्हें वहां ले-जाकर आबाद किया जाना चाहिये, लोगों ने एजीटेशन किया। मुख्य मन्त्री महोदय ने मुझे कहा कि आप गंगानगर कलेक्टर से बात करें। मैंने उनसे कहा कि यह बात हमारे वहां पर जो जमीन है बीकानेर राजा करण सिंह की है और लोगों की है जो कि उसके सोल ओनर है इसमें बड़े बड़े जागीरदार भी हैं बड़े पूंजीपति उनकी जमीन है जो कि उस जमीन के सोल ओनर है। आप इस जमीन को एक्वायर करें राज्य सरकार ने अधिकार दे दिया है कि आप एक्वायर करें। कहते हैं कि एक्वायर नहीं कर सकता। खेतीबाडी की जमीन, इरीगेशन की जमीन एक्वायर नहीं कर सकता। चार मील दूर बस जायं। यह है आपका एप्रोच। बैठा मैं वहां पर, खेती बाड़ी यहां करूं, काम यहां करूं और आप बसाओ चार मील दूर। मेरे घर की रखवाली कौन करेगा? मैंने कलेक्टर साहब से कहा माली खेत में काम करता है, बच्चे और वहीं जाकर खेती करते हैं आप उनको एलाट करो, उनको वहीं बसाओ। रैवेन्यू मिनिस्टर साहब आ गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां गांवों में वे बैठे हैं वहां वहां पर चाहे गंग कैनाल हो, चाहे भाखरा में हो, जो बिना मकान के बैठे हैं उनको आपको उनको एक्वायर करके देना चाहिये। यह जो फैसला किया है कि 26 जनवरी तक जिसको आपने 26 फरवरी तक बढ़ाया है, आप और एक्सटेंशन करो इसको, उनको वहां पर बसाओ और तीन मील चार मील जाकर मत बसाओ। वहां जमीनों को एक्वायर करो। इस घोषणा को पूरा करो। रावतभाटा में नारा दिया। शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की जितनी जमीनें थीं दस वर्ष में उन्होंने बेच दी हैं गैर हरिजनों के हाथ में चली गयी हैं उनको आप वापिस ले लो यह मामूली काम नहीं है। मा. परसरामजी रैवेन्यू मिनिस्टर हैं। जितनी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की जमीनें बेची गयी है और गैर हरिजनों के हाथों में चली गई हैं उसको प्रोफेन्स ट्रीट कीजिये। उनको कर्जा दिलाओ और ट्रान्जेक्शन वायड करो और उसको लेने के बाद सिविल कोर्ट में जाने पर पाबन्दी लगाओ तो हरिजनों का भला हो सकता है।

मान्यवर, यहां पर सीलिंग की बात कही गयी। मैंने हमेशा कहा है जिस पार्टी में, जिस सरकार में पोलिटिकल विल न हो, जिसकी मंशा न हो वह कोई रिफोर्म नहीं ला सकती। जिस रिफोर्म के पहले कन्जीनियल क्लाइमेट पैदा न करें वह रिफोर्म हो नहीं सकता। सीलिंग की बात करना चाहता हूं। 62 में आया, 63 में अमेन्डमेंट हुआ, फिर 66-67 में अमेन्डमेंट हुआ, 70 में हुआ सीलिंग बिल पास होता है। राज्य सरकार ने 20 लाख एकड़ जमीन सरप्लस रूप में बतायी। आज 3-31 लाख ही बता रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: 11 लाख।

श्री केदारनाथ: 11 लाख पर तो कब्जा है। 20 लाख 31 हजार के मेरे पास फीगर्स है। उसका क्या हुआ? यह प्रदीव-

(श्री केदारनाथ)

मेन्ट है आपका। पालिटिकल बिल है या कोई मजाक है ?

एन.डी.ग्रो. के पास में आपने सारी चीजें दे दीं। खेतसिंहजी वहां पैरोकारी करें मान लीजिये····

श्री परसराम मदेरणा : समय समय पर सदन के द्वारा टिनेन्सी एक्ट में ट्रांसफर्स रिकाग्नाइज कर दिये गये हैं।

श्री शंकरलाल : यह दुर्भाग्य है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सदन खुद ही शामिल है। सदन जिम्मेदार है। ग्रोपोजिशन भी है।

श्री केदारनाथ : ग्रोपोजिशन भी भागीदार है।

इसमें इतने ग्रमेन्डमेंट्स हो गये हैं कि अच्छे अच्छे वकीलों को भी कन्फ्यूजन हो गया है।

एक्स रूलर्स की बात करते हैं। यदि बिल है तो लागू कीजिये। 63 में हाईकोर्ट में गये। आपकी पोलिटिकल बिल होती तो अपील में नहीं जाते। पांच साल के लिये अपील में नहीं जाते। ज्यों ही हाईकोर्ट ने डिसिजन दिया आप पैरवी कर लेते। लेकिन आपका सौदा नहीं पटा तो आप ग्राडिनेन्स ले आये। आपको मालूम नहीं कि कितनी जमीन एक्स रुलर्स से आवेगी। गिरदावरी नाम की वहां पर कोई चीज नही थी। कोई रिकार्ड नहीं है। 63 से आज तक वहां कोई बसे होंगे नहीं। जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 62, 63, के जो ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं उनको वायड कर देंगे तब भी आप देखेंगे कि जो 62–63 में वहां थे वे या तो राजस्थान केनाल में काम करते होंगे या सड़कों पर पत्थर कूटते हुए होंगे, हाई पावर कमीशन अपोइन्ट होकर वह ग्रौन स्पॉट जाय वह अलाट कर दे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा।

रेड्स की बात चली। जयपुर की महारानी गायत्रीदेवी की चार करोड़ की प्रोपर्टी सीज की महाराजा जयपुर एक्स रूलर, उनकी 1 हजार करोड़ रुपये की प्रोपर्टी थी। यह इनकम टैक्स के आंकड़े हैं। 1 हजार करोड़ की प्रोपर्टी और चार करोड़ की प्रापर्टी हो रेड करके सीज करते हैं। सारी की सारी प्रोपर्टी को एक्वायर कर दो, जो जहां बसा है व्यक्ति उसको अलाट कर दो। जहां जमीनों के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनको वायड करके एक्वायर करके अलाट करो, मैं स्वागत करूंगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो सब लोगों ने कही है। हम 11 करोड़ लोग जो अकाल की गिरफ्त में है उनका इलाज करते। काम वहां पर शुरू करते। रोजगार देते। कहा यह गया कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने रुकावटें डाल दीं। दस करोड़ से अधिक नहीं मिला। यू.पी. में 90 करोड का डेफिसिट और बिहार में 40 करोड़ का डेफिसिट राइट ग्राफ करने जा रही है सेन्ट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहां फेमीन है, इसको हम सेन्टर के सामने अच्छी तरह से पुट अप नहीं कर सके।

श्री परसराम मदेरणा : काहे का ?

श्री केदारनाथ : जो वहां पर उन लोगों ने खर्च किया, वहां पर डेफिसिट बजट है। लेकिन हमें यह कहा गया कि ओवर ड्राफ्ट कर दिया है। रिजर्व बैंक के मन्डेट के खिलाफ भी वहां ओवर ड्राफ्ट अलाऊ किया है। यह लान में कन्वर्ट होता था। आज यह ओवर ड्राफ्ट ग्रान्ट के रूप में आउट राइट टर्न ओवर हो गया। क्यों इस प्रकार का राजस्थान और बिहार के मध्य डिस्क्रिमिनेशन किया जाय ?

राजस्थान केनाल के बजाय आप उन इलाकों में जहां गरीब शिड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लोग ज्यादा हैं वहां पर राहत के काम ज्यादा करें। सेन्टर से रुपया लो, टैक्स लगाओ अकाल मिटाने के लिय तो हम आपकी परवी करेंगे। कहां लेने की ताकत है ? मैं सोच रहा था, यही बात कही गयी लेवी का। माननीय माथुर साहब यहां है। 73 में आपने लेवी ली 76 रुपया क्विंटल में काश्तकारों से। वह ही अनाज फूड कार्पोरेशन ने 136 रुपये के हिसाब से बेचा वही अनाज, यह क्यों ? 76 रुपये क्विटल, अब देख लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : वह अनाज नहीं बेचा है। 105 का खरीदा हुआ बेचा है।

श्री केदारनाथ : नहीं साहब बेचा है। आखिरी दिनों में बेचा है। आपने यह कहा 31 मई तक स्टाक डिक्लेयर कर दें।

श्री शिवचरण माथुर : वह नहीं बेचा है।

श्री केदारनाथ : मैं गलत बात नहीं कहता, आप देख लेना . . .

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : 88 और 98 वाला था।

श्री शिवचरण माथुर : 76 रुपये वाला तो 92 में बेचा है और 105 रुपये वाला गेहूं 136 में बेचा है।

श्री शंकर लाल (पाली) : 105 वाला 136 में बेचा है तो भी ज्यादा है।

श्री केदारनाथ : 31 मई तक स्टाक डिक्लेयर करने को कहा। पिछले साल लेवी लगाई, हमने उसका स्वागत किया। जितने छोटे काश्तकार थे उनकी सरवाइवल शुरू हो गई थी। 150 रु. क्विन्टल ला देंगे मेमोरेन्डम में दिया, हम मान गये। आपने लेवी की बात नहीं की, आपने देखा व्यापारियों ने धोखा दिया है फिर आपने लेवी लगा दी और फिर हमने स्वागत किया। लेकिन ग्रन होल्डिंग काश्तकार बेच चुका था फिर भी साथ दिया और यह सोचा अब की बार गलती की है आइन्दा गलती नहीं करोगे। आप उसमें बताइये, कौन व्यापारी था, कौन लेन्ड लार्ड था, कौनसा एक्स जागीरदार था ?

आज आपने चावल की लेवी लगाई, उसका भी साथ दिया लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिमान्ड नहीं 20 नवम्बर और दिवाली के दिन तक काश्तकार मण्डी में ले आते हैं और आप उस समय कहते है कि तुम चावल बेच नहीं सकते। उसने मुनाफा कमाया है, आप लेवी लगायें हम साथ हैं लेकिन जो छोटे छोटे काश्तकार

(श्री केदार नाथ)

है उसको एरेंजेमेंट करके चलें, हम आपके साथ हैं, वसूली टाइम पर करें, हम आपके साथ हैं, प्रोक्योरमेंट मशीनरी है उसका खर्चा कम करें, हम आपके साथ हैं। स्टाक जितना है देहातों में बांटें, गंगानगर में 80 हजार क्विन्टल की वसूली की उसको बांटें।

मैं आपको यह भी बता देता हूं कि लेवी के खिलाफ वातावरण पैदा हो रहा है। हम लेवी के पक्ष में है लेकिन आज चावल की वसूली जबरन हो रही है, छोटे काश्तकार को परेशान किया जा रहा है, मार्जिनल काश्तकार को छोड़ दीजिये मान्यवर, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैंने कहा है···

श्री शिवचरण माथुर : चावल की लेवी में छोटे किसानों को छोड़ दिया है। एक एकड़ की होल्डिंग को छोड़ दिया है।

श्री केदार नाथ : मान्यवर मैं अर्ज कर रहा था ये सारे हालात पैदा हुये और आज जो केबिनेट की इमेज है वह सुधर नहीं पाई। जितने मंत्री हैं दो-चार को छोड़कर सिवाय अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी को छोड़कर उससे ऊपर उठना नहीं चाहते हैं केवल जोश में इतना बता दिया कि उन्होंने कनफाइन नहीं कर दिया, बाकी के लिये जब पूछो कि परसरामजी कहां है तो जवाब मिलेगा जोधपुर में, छंगाणी साहब कहां है तो जवाब मिलेगा फलोदी में, रामनारायणजी के लिये पूछे तो भी जवाब मिलेगा सीकर झुन्झुनूं में, तो मेरा निवेदन है मान्यवर कुछ तो इनको अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी से ऊपर उठकर काम करना चाहिये आखिर इन पर सारे राजस्थान की जिम्मेदारी है। जनता में इस प्रकार अपनी इमेज खराब मत करो।

मान्यवर, हम राजस्थान में राज्य नहीं कर सकते, फेक्ट्स हैं। मैं ईमानदारी से बात करना चाहता हूं···

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय यह समझ में नहीं आया एक ही सदस्य को दो दो घन्टे हो गये बोलते··

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे नियम में. बोल रहे है ? आर्डर प्लीज।

(बोलते रहने पर, अश्रव्य)

आर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : जो निर्धारित नियम है उसकी ओर शासन का ध्यान दिला रहे हैं। नियम की बात नहीं कह रहे हैं।

श्री केदारनाथ : मेरे दल को एक घंटा मिला है। उसी में मैं बोल रहा हूं। तो मान्यवर हम लोगों में ताकत नहीं है कि इतने बड़े अकाल के बाद कोई हम में हलचल हो। अगर लोग जेल जाना सीख जाय और लड़ना सीख जाय तो जेल में भी ढाई रुपये रोज मिलते है जो परसरामजी दे रहे हैं जिससे भूख से मर रहे हैं वह तो नहीं मरे। फिर भी बड़े बड़े अचीवमेन्ट्स हैं इसलिये हम धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ है। यहां अभी बैदजी नहीं हैं उनसे भी मेरा निवेदन है मान्यवर, सारे आंकड़े झूंठे दिये है। प्रति व्यक्ति आमदनी 8 परसेन्ट बढ़ गई, स्टेट इन्कम 12 परसेन्ट बढ़ गई, पिछली फसल खराब, रबी की फसल फेल,

(श्री केदार नाथ)

खरीफ की फसल खराब उसके बाद आमदनी कम हो जाय, प्रोडक्शन कम हो जाय फिर समझ में नहीं आता है प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ गई, स्टेट इन्कम किस प्रकार बढ़ गई। कास्ट आफ प्रोडक्शन, रेट आफ इन्वेस्टमेंट और रेट आफ सेविंग प्रति व्यक्ति हम हमेशा कूंतते हैं। ये कहते भी हैं लगातार तीन फसलें खराब हुई है, हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में क्राईसेस हुआ है, कीमतें तीन प्रतिशत बढ़ गई इसलिए पर कैपिटा इन्कम बढ़ गई। मान्यवर मैं बेदजी से निवेदन करना चाहता हूं वे सरदारशहर के किसी स्कूल में बच्चों को इस प्रकार भले ही पढ़ायें हमको तो कम से कम इस प्रकार न पढ़ाये और मेरा निवेदन है ऐसे फाइनेन्स मिनिस्टर को कम से कम बाहर निकाल देना चाहिये जो प्रति व्यक्ति आमदनी और स्टेट इन्कम के बारे में गलत जानकारी देते हैं।

मैं यह चाह रहा था मान्यवर, जो प्रश्न में बोलना चाहता हूं। वह आन्दोलन चला तीन नवम्बर को उसमें समाजवादी पार्टी थी, मार्क्सवादी पार्टी थी बेगाराम जी वाली, किसान यूनिट था लेकिन कुम्भा रामजी वाली नहीं थी। हमने 12 सूत्री कार्यक्रम को लेकर आन्दोलन किया और कम से कम 10 हजार लोगों ने गिरफ्तारी देने को कहा। चूरू से पकड़े गये बीकानेर में भेज दिये गये माननीय मोहरसिंह को मालूम है और फिर जोशी जी कहते हैं आन्दोलन चलाने वालों ने कभी बुलाया नहीं। ऐसी हालत की है जेल के अन्दर जो क्रिमिनल्स थे उनके द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया किसी को बी. क्लास दे दी किसी को सी. क्लास दे दी मोहर सिंह जी से पूछा उनको सी क्लास दी है। चूरू और गंगानगर में पांच हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी। मान्यवर हमारी मांग है 8 रुपये कम से कम वेतन हो, डी. आई. आर. के अन्तर्गत पोलिटिकल वर्कर्स के जो मुकदमें चल रहे हैं उनको वापिस लिया जाय, स्टूडेन्ट्स के मुकदमें वापिस करें, पंचायतों के इलेक्शन की घोषणा करें, असेम्बली के बिना बुलाये जो नया टैक्स लगाया है उसे वापिस लिया जाय। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि प्रिविलेज मोशन आ जाय सदन में कहा गया हमारा बेलेन्स्ड बजट है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा हमारा बेलेन्स्ड बजट है फिर भी नया टैक्स और वह भी असेम्बली की बिना बैठक के, जो डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल्स के खिलाफ है। टैक्स की रेट इन्क्रीज कर सकते हैं लेकिन या टैक्स लगाना इस डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल्स के खिलाफ है। लेकिन बेदजी ने सलाह दे दी कि नया टैक्स लगा सकते हैं और इन्होंने उसे ठोक दिया। उस टैक्स को वापिस ले लें। अगर टैक्स लगाना है तो किसी टैक्स को इन्क्रीज कर सकते हैं। हमसे पूछे, हम बतायें, पंजाब हरियाणा ने बिजली पानी के सब रेट बढ़ाये हैं। हरियाणा में पानी हमसे ज्यादा, वर्षा हमसे ज्यादा, फर्टीलिटि ज्यादा, रोड ज्यादा, कम्यूनिकेशन ज्यादा और ऐसा ही पंजाब में है। उसके पैरेलल में ले आओ, हम आपके साथ हैं। हम हमेशा कहा करते हैं इस तरह आप टैक्स नहीं लगा पायेंगे। हरियाणा और पंजाब में जमीन हमसे ज्यादा है। इसलिए यह आपका धोखा है। मेरा नम्र निवेदन है कि कुछ आन्दोलनकारी यहां आये हुए हैं उन्हें आप बुलाकर उनकी समस्या का हल करेंगे। अब भी मान्यवर दो

(श्री केदार नाथ)

प्रतिशत वसूली हुई हैं। हम मजबूत हैं कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम लड़ेंगे और गंगानगर में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो मैंने असेम्बली में प्रश्न भी पूछा था दो करोड़ चालीस लाख की फसल का नुकसान हुआ है। सेन्टर के पास से 5 साल के बाद भी पाकिस्तान की लड़ाई के समय में जो फसलों को नुकसान हुआ दस किलो मीटर तक उसका पैसा नहीं मिला। आपने व्हीट के बोनस की बात कही वह नहीं मिला और पंजाब और हरियाणा में मिल गया। 50 लाख रुपये का बोनस है वह दे देंगे और मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आप लागू कर दो। सिफारिश मान लो तो 60 लाख रुपये हम आपको देते हैं। मान्यवर, आप गंगानगर इलाके की उदारता देखिये और उसकी बहादुरी को देखिये और वहां के लोगों ने सरकार का कितना साथ दिया है। 3 बार सोने से तोला, सबसे ज्यादा लेवी दी, अकाल के समय चन्दा दिया और फिर भी आपने उनके ऊपर टैक्स थोप दिया, मांगें मन्जूर नहीं की और राजस्थान केनाल में यह कह दिया कि आइन्दा नीलामी करने के बजाय अलाटमेंट होगा। आप इस भुलावे में न रहे परसराम जी। हम उनके लिए लड़े हैं और आखिरी समय तक भी लड़ते रहेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सारे राजस्थान में पालिटिकल क्राइसेस, इकानामिक क्राइसेस और सारे देश में आन्दोलन हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यह आन्दोलन फासिस्टों के हाथ में आये या इम्पीरियेलिज्म फोर्सेस यहां आकर सेबोटेज कर दें लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी पनपे, समाजवाद आये और यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शुरू में यह बताया है कि राजस्थान में यह वर्ष एक विपदाओं का साल रहा है और इस वर्ष मानसून के फेल हो जाने के कारण हमारे यहां राजस्थान में भयंकर रूप में अकाल पड़ा है। ऐसा अकाल पहले सालों में भी आया है परन्तु अचानक इतनी कम वर्षा राजस्थान में कभी नहीं हुई और कुछ इलाकों में तो बहुत ही कम हुई और कहीं एक साथ हुई और बराबर बरसात नहीं होने के कारण राजस्थान के कई जिले अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं और राज्यपाल महोदय के कथनानुसार जो आंकड़े दिये हैं उस से हमें मालुम पड़ता है कि 1 करोड़ 55 लाख के आसपास की जनसंख्या इससे प्रभावित है। परन्तु उपाध्यक्षजी, इतना भयंकर अकाल होते हुए भी राज्य सरकार की ओर से अभी तक इसको मीट-आउट करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बाकासर और बाड़मेर का इलाका है वहां ऐसे कुटुम्ब के कुटुम्ब सैंकड़ों की संख्या में आते हैं और वह चार-चार और पांच-पांच दिन तक भूखों रहते हैं। चन्दा करके और अनाज इकट्ठा करके कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है लेकिन उनकी हालत इतनी गम्भीर है कि और सदन की कमेटी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बनाई जाये और उनकी हालत देखी जाय तो वास्तव में आंखों में आंसू आ जायेंगे।

तो उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने यह तो जरूर कहा है कि यह अकाल भयंकर है और अभाव की स्थिति हमने घोषित कर दी है परन्तु उसके साथ ही साथ अभिभाषण में हमको नहीं मिलता कि आपने लोगों को रोजगार देने के लिए क्या योजनायें बनाई हैं। हमारे विचार से अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे कोई कार्य नहीं खोले हैं जैसा कि पहले के सालों में राज्य सरकार ने मुस्तैदी के साथ इस विभीषिका का मुकाबला किया था। हालांकि कागजों में जरूर कहते हैं कि हम भूख से किसी को मरने नहीं देंगे लेकिन मुझे भय लग रहा है कि अभी तक जो योजनायें बनी हैं इस अकाल को मीट-आउट करने के लिए और जो काम खोलने की परिपाटी है उससे खतरा लग रहा है कि बहुत से लोग भूखों मर सकते हैं। हमारी अनाज की वितरण की स्थिति पूरी नहीं है, गांवों में अनाज दो तीन किलो से ज्यादा आप देते नहीं हैं। राज्य सरकार की स्थिति खराब है, वित्तीय स्थिति भी राज्य सरकार की खराब है और कुछ प्लान सैंक्शन्स भेजी हैं लेकिन वह काम ऐसे हैं कि जो लेबर पोटेन्शियल वर्क्स नहीं हैं। इसलिए जो राज्य सरकार ने रैवेन्यू अधिकारियों को आदेश देकर जाब कार्ड्स जरूर तैयार कर दिये हैं परन्तु लोग पिछले एक माह से बैठे हैं और बराबर कह रहे हैं कि हमको काम दीजिए लेकिन जो अकाल सहायता विभाग ने सैंक्शन्स जारी की हैं उसके साथ ही साथ हर जिले में कितनी लेबर होगी काम पर इस पर भी अंकुश लगाया है। उपाध्यक्ष जी, यह समझ में नहीं आता कि जब जाब कार्ड्स जारी कर दिये हैं और जो फैमिलीज काम करना चाहती हैं तो अब राज्य सरकार की कम से कम इतनी तो तैयारी होनी चाहिए थी कि एक कुटुम्ब में से एक दो आदमी को तो काम पर लगायें और जाब कार्ड्स देने के बाद भी राज्य सरकार के पास इतना काम नहीं है जिनमें उनको लगा सके। तो मैं राज्य सरकार का इस ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज समय ऐसा आ गया है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में काम देना चाहिए और साथ ही काम पर लगे हुए मजदूरों को सस्ता अनाज भी देना चाहिए। वरना मुझे खतरा है कि बहुत से आदमी भूख से मर जायेंगे। यह खतरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो इसकी सदन की एक कमेटी बनाकर जांच करा सकते है।

हर गांव में लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। कम से कम 50 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास दोनों वक्त खाने के लिए राशन नहीं है। अब राज्य सरकार सिर्फ प्लाट देकर और पांच लाख शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्लाट देकर ही सन्तोष कर ले यह बात ठीक नहीं है। राज्य सरकार ने जिलाधीशों से आंकड़े मंगाये हैं और स्थिति का अध्ययन किया है या नहीं इसका मुझे पता नहीं लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अन्दर हम लोगों को काम में लगा सकें। तो इसके लिए राज्य सरकार को अविलम्ब तैयार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा जो हमारा पशुधन है, भेड़ बकरी और गायें हैं और पड़ोस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

राज्य जैसे मध्यप्रदेश वगैरह में गयी हैं वहां की सरकार जो हमेशा कन्सेशन्स दिया करती है और चराई की सुविधायें देती है इस साल आप को जानकर आश्चर्य होगा कि वहां की पड़ोसी सरकार ने जो हमारे यहां से पशुपालक गये हैं उनके ऊपर अंधाधुंध टैक्स लगा दिया और बहुत ऊंची दर से टैक्स वसूल किया है। वह पशुपालक अपनी भेड़ें भी बेच दें तो भी उस टैक्स को नहीं दे सकते। क्या आपके माइग्रेशन आफिसर्स ने कभी पड़ोसी राज्य में जाकर इस बात की जांच की है? जो पशुपालक अपने पशुओं को लेकर आते हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या इसका पता लगाया है? इस संबंध में भी राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तो इस बारे में मैं आपके जरिये राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो मवेशी पड़ोसी प्रांतों में गयी हैं उनकी हालत बहुत खराब है और पड़ोसी राज्य सरकार को प्रेस करके उनको कुछ कन्सेशन दिलाने चाहिए।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस साल जो जिलाधीशों ने असहाय व्यक्तियों की सूची भेजी है, जिनको सहायता देते हैं हमेशा और जिनकी सूचियां जिलाधीश से आती थीं उसी प्रकार से सहायता देते थे पर इस साल नई बात देखने को आई कि जो, मैं दूसरे जिलों की बात तो नहीं जानता लेकिन जालौर जिले के लिए जिलाधीश से 1100 आदमियों की सूची यहां आई और उस पर राज्य सरकार ने यह कह दिया कि इसको आधी करो। मतलब यह है कि सूची के अनुसार असहाय की सहायता मंजूर करने को सरकार तैयार नहीं है। उनको वापस पत्र भेजा है कि आप सूची को आधा कर दो। मतलब यह कि जो सूची भेजी है, जिसकी पूरी जांच पड़ताल करके सूची भेजते हैं असहाय व्यक्तियों की उसको कैसे आधा किया जा सकता है। जिन लोगों को प्रति व्यक्ति एक रुपया देकर जिन्दा रखने के लिए थोड़ी बहुत सहायता देते हैं तो अब की बार तो उनको भी वह अल्प सहायता देने की भी राज्य सरकार की क्षमता नहीं है कि असहाय व्यक्तियों को पूरी सहायता दे सकें। तो यह भी नई बात है। इसलिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि असहाय व्यक्तियों को कम से कम जो जिलाधीशों ने सूचियां भेजी हैं उनके अनुसार सहायता दें। आधी सूची किस तरह से कर सकते हैं। तो यह भी नई समस्या है और नई बात देखने को मिली है। तो राज्य सरकार को इस बारे में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और कम से कम असहाय व्यक्ति जो हैं, हमेशा से जिनको सहायता देते रहे हैं उनकी सहायता दी जावे और जो ग्रेटिच्यूअस सहायता देते रहे हैं वह दें।

इसके अलावा जो कि वेटरनिरी के लिए दूल्स वगैरा के लिए हम सरकारी सहायता देते थे, वो भी अभी तक नहीं दी गई है, इसके अलावा दूसरा जो भी फैमिन एफैक्टेड एरिया है उसके अन्दर मेडिकल एड जो देने की है उसकी भी तैयारी नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट, हमेशा ज्योंही फैमिन डिक्लेयर होता था उसके साथ साथ ही उनकी तैयारी होती थी लेकिन इस बार उनकी भी कोई तैयारी सहायता देने की नहीं है। मुझे राज्य सरकार का ध्यान इस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और आकर्षित करते हुए दुःख होता है कि अभी तक मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस पर कोई अरेंजमेंट नहीं किया है और जो बीमार पड़ते हैं, कुछ जगह ऐसे केसेज आए हैं लेकिन अभी तक मौजूदा हालत में अरेंजमेंट नहीं किया है। अभी फरवरी का महीना आ गया है, काफी कठिन समय है। बहुत ही विषम समय है, इस समय में तीन चार महीने कठिन है, इसमें भी कम से कम दो महीने तक अरेंजमेंट आवश्यक है। अगर इसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो बहुत से लोग मर सकते हैं इसका मुझे खतरा है। इस बारे में माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा कुछ जिलों में रबी की फसल अच्छी दिख रही है, मुख्य मंत्रीजी भी आए थे उन्होंने भी देख कर खुशी जाहिर की थी पर मैं राज्य सरकार को आपके जरिये आगाह करना चाहता हूं कि बीच में मौसम खराब होने की वजह से जो रबी की फसल काश्तकारों ने अपना खून पसीना लगा कर खड़ी की थी उसमें कीड़ा लग गया है। उसमें दो तरह की बीमारी लग गई है जिसमें एक तो मोयली और दूसरा चेपा, ये दो तरह की बीमारी एक साथ फैली है और आप देखिए कि फसल की इस भयंकर बीमारी से हमारा असेसमेंट है कि चार छः आना नुकसान हो चुका है और आपके विभाग को कोई तैयारी नहीं है मीट आउट करने की। यहां तक कि पंचायतों में कुछेक प्लाण्ट प्रोटेक्शन यूनिट खोल रखे हैं, रानीवाडा में एक यूनिट है वहां की मशीनरी बेकार है, इम्प्लीमेंट्स खराब पड़े हैं। कभी काम में नहीं लिए गए और जब काम में लेने की बात आई तो बिलकुल बेकार पाए गए जो काम में लेने के लायक नहीं हैं। यह इस तरह की हालत है। ठेकेदारों से जब लेते हैं तो एकाध डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में अच्छा सा देख लेते हैं और बाकी ऐसे बेकार इम्प्लीमेंट्स लेकर रख देते हैं। उनकी पहले से पूरी जांच होनी चाहिए। जब भी हम काम में लेने की तैयारी करते हैं तो वह समय पर बिलकुल बेकार मिलते हैं। तो यहां के कलेक्टर, एस. डी. ओ. और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता परन्तु यह बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है और विभाग की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, कोई इन्तजाम नहीं है। इस बारे में राज्य सरकार को एक्सपर्ट भेज कर और दवाई वगैरा की व्यवस्था करके शीघ्र इन्तजाम करना चाहिए। उनकी काश्तकारों को गाइड नहीं है कि कौन सी दवाई किस पर काम में लेनी है। केवल नाम के लिए एक्सटेंशन आफिसर हैं, किसान अपने भरोसे पर खुद ही फसल तैयार करता है और कहीं पर अच्छी फसल हो जाती है कि डिमोंस्ट्रेशन का बोर्ड लगा देते हैं कि यह हमने तरीका तैयार किया है। यह क्या तरीका है? इस तरह से अफसर बराबर बेकार बैठे रहते हैं। उनकी डायरी चैक नहीं होती कि वो क्या काम करते हैं। फालतू की तनख्वाह लेते हैं। यह बड़ा गंभीर मामला है इसमें आपको विशेष आदमी लगा कर जो फसल को नुकसान आधा करीब हो चुका है और बीमारी को रोकने के लिए आयन्दा कोई इन्तजाम नहीं

Page No 103

(103)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

है, दवाइयों का कोई इन्तजाम नहीं है कि कौनसी दवाई क्या काम आएगी, यह भी पता नहीं है इसलिए उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार का आपके जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा दूसरा अभी लेवी के मामले में राज्य सरकार ने घोषणा की है। अभी तो इस साल वैसे ही खरीफ की फसल में नुकसान होने के बावजूद और रबी की फसल में भी एक तरफ तो आपने क्रोप कोप पर कर लगा दिया आर्डीनेंस के जरिये से बिना विधान सभा की संकशन के और दूसरा यह लेवी का मामला। जो स्थिति पहले थी और जो आज मौजूदा स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में जन प्रतिनिधियों से बात करके तय करना चाहिए कि एक बीघा में कितनी लेवी लें। एवरेज बेसिस पर लें या कैसे लें। वैसे ही एटरेंडम लगा दी तो लेवी वसूल होगी नहीं और लोगों को बड़ी भारी गंभीर समस्या उपस्थित होगी और नीचे के जो कर्मचारी हैं, पटवारी वगैरा की गिरदावरी के आधार पर लेवी वसूल की गई तो लेवी वसूल होगी नहीं और जैसा भूतकाल का अनुभव हुआ है वही आगे ऐसी विषम स्थिति, गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इस बारे में, भावों के बारे में और दूसरा प्रति बीघा क्या लेवी वसूल हो इस बारे में राज्य सरकार को बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर लेवी निर्धारित करना चाहिए ताकि आसानी से लेवी वसूल हो सके और वसूल होने के बाद उसका वितरण भी अच्छी तरह से कर सकें। उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा • • • • • •

श्री परसराम मदेरणा : लेवी की क्वान्टिटी और रेट पर आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव क्या है?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरे पास इतना टाईम नहीं है कि मैं इतने विस्तार से कह सकूं। मैं देख रहा हूं कि हो सकता है उपाध्यक्षजी घण्टी भी बजा दें।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले साल जो दो क्विंटल थी अब आपका क्या सुझाव है?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दो क्विंटल के हिसाब से नहीं हो सकती वसूल। आपको इर्रीगेटेड और अन-इर्रीगेटेड दोनों को अलग 2 करके तय करना होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अन-इर्रीगेटेड के लिए पहले भी एक क्विन्टल है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ज्यादा से ज्यादा हमारे अनुभव के अनुसार पचास किलो या एक क्विन्टल इसके लगा दें तो हो जाएगा लेकिन ज्यादा लगाने में लेवी वसूल होने में कठिनाई होगी। यह सारा देख कर कि खरीफ की फसल खराब हुई है और इसको देखकर और जिलावाइज और किस्मवाइज अलग 2 तरीके हों वरना एक ही तरह से एटरण्डम लगा दिया तो फिर साइन्टिफिक आधार क्या हुआ? इस रूप में देखकर और अगर आप जन प्रतिनिधियों की सलाह लेकर लेवी लगायेंगे तो आराम से वसूल हो जाएगी। और जो भी कुछ आपको लेना है वह लाटे के वक्त ही ले लीजिए बाद में फिर इधर उधर करना ठीक नहीं रहता है। इस बारे में आपका भूतकाल का अनुभव है वह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

काम में लायेंगे तो उसके अनुसार लेवी प्राप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा अभी यहां जो सीमेंट वाला मामला है जबकि गुजरात में और राज्य के दूसरे पड़ौसी राज्य यू. पी. ने सीमेंट का कण्ट्रोल तोड़ दिया है लेकिन हमारे यहां पर रबी के अन्दर बेरा वगैरा बनाने के लिए हम लोगों को, काश्तकारों को बड़ी भारी मुसीबत उठाई है। ओवरसियर की रिपोर्ट लाओ, उसकी रिपोर्ट लाओ, बस बोरी तक नहीं है लेकिन अभी तक बेरा वालों को इसकी बड़ी दिक्कत है इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि आप जो हैं इस सीमेंट की इतनी दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हैं और यह परमिट सिस्टम है यह करप्शन का सिस्टम है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो जो लोग खेतीबाड़ी के काम में, कुए बनाने के लिए सीमेंट चाहते हैं उसके लिए सरपंच से रिपोर्ट ले लें, ग्राम सेवक से रिपोर्ट लेकर सीमेंट दे दें तो लोगों को काफी परेशानी से राहत मिल सकती है। फेमिन का टाईम था दूसरा कोई काम नहीं था लोगों ने अपनी मेहनत से काम किया और सीमेंट की दिक्कत उठाई और अब किसी प्रदेश के अन्दर सीमेंट का परमिट नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्षजी, इस रूप में राजस्थान में भी सीमेंट का जो परमिट सिस्टम है वह तोड़ देना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा यह जो अनाज के लिए वपया निर्धारित किया है इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लोग भूखे हैं अकाल की स्थिति घोषित करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। वास्तविक रूप में लेबर पोटेंशियल प्लान करके डिस्ट्रिक्ट वाईज, तहसीलवाईज प्लान बनाकर लोगों को काम पर लगाने की जरूरत है। कितना काम करना चाहिए, कहां 2 काम करना है यह जिलाधीशों से बात करके जल्दी फैसला करके काम शुरू कर देना चाहिए वरना स्थिति खतरनाक हो सकती है। बाद में इसका राज्य सरकार को और हमको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। स्थिति लोगों की बहुत खराब है, लोग भूखों मर रहे हैं, कई तो मर चुके हैं, गिनती तो हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के सिलसिले में जो बहस चल रही है उसके सिलसिले में 2-4 अपने अपने विचारों का इजहार कर रहा हूं। मेरे से पूर्ववक्ता महोदय ने राजस्थान की हालत का काफी तफसील से बयान कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से हम इस सेशन में ऐसे वक्त पर यहां इकट्ठे हुए हैं जब कि राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता अकाल की भीषण अग्नि में झुलस रही है। आज से 6 महीने पहले भी सेशन के वक्त पर हम मिले थे उस वक्त अकाल का खाका खींचा था। लगातार 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक

(श्री मोहरसिंह)

अकाल के मसले पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सिलसिले में जो पुस्तक छप कर हमारे सामने आई है, उसके अन्दर लाचारी प्रकट की है कि हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। यह बस के निकल जाने की बात है। जिस पार्टी के पास में हुकुमत है, जिनके पास में सत्ता हो, चाहे केन्द्रीय हुकुमत हो, चाहे प्रान्तीय हुकुमत हो, आपकी पार्टी के पास में हुकुमत है तो इस प्रकार आप पर बड़ी जिम्मेदारी है–जनता को काम देने की, जनता के लिए राहत कार्य खोलने की। उनको अन्न देने की आपकी जिम्मेदारी है। इससे आप आंख मूंद कर अलग नहीं निकल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि छोटा सा कबूतर होता है वह आंख मींच लेता है बिल्ली को देख कर और ऐसा समझता है कि मेरे पास से बिल्ली निकल गई है और उसके आंख मींचने के बाद में वह उस पर झपट कर पड़ती है। तो समस्या पर से आंख मींचने से काम नहीं चल सकता है। यह आन्दोलन इस बात के लिए हो रहे हैं कि केबिनेट को, मिनिस्टर्स को यह पता लगे कि वहां की जनता को कितना दुःख है। हमें जनता ने चुन कर यहां भेजा है तो हम यहां शहन्शाह के तरीके से बैठने के लिए नहीं आये हैं। असेम्बली, विधान सभा जनता का एक दर्पण है तो उसके अन्दर हम हमारे इलाके के लोगों के विचारों का इजहार करें कि हमारे इलाके के लोगों को क्या तकलीफात हैं। उनको हम कहें आपके सामने और आप सब उनका कुछ हल निकालें. हम यहां पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं। 6 महिने से बराबर यह आवाज आ रही है कि 6 महिने से हमारे यहां कोई कार्य नहीं हुआ है। जब यहां असेम्बली में कुछ नहीं हुआ तो आन्दोलन चला कर कहा कि जितनी वाजिब मांगें हैं उनको मंत्री महोदय मानेंगे। राज्य सरकार को कहा गया कि आप अकाल के मसले पर कुछ और करें, लेकिन आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। केवल यह कहा गया कि आपके यहां के लोगों को राजस्थान केनाल पर भेजेंगे, चम्बल केनाल पर भेजेंगे। आप स्वयं अपना दिल थाम कर कहें, आप गृहस्थी है, आप भी पशुधन वाले हैं कि कैसे हम 100-100, 200-200 कोस दूर अपने बाल बच्चों को छोड़ कर जा सकते हैं और जाकर राजस्थान केनाल में काम कर सकते हैं, और अपने पशुधन को वहां लेजाकर उसकी हिफाजत कर सकते हैं? यह इम्प्रेक्टिकेबल है। इसलिए तीन महीने पहिले हमने तय किया कि सी. एम. साहब के पास जायं और कहें कि यह नहीं होने वाली बात है और हमारे यहां पर ही राहतकार्य खोले जायं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सारी बातें उनके कान के पास से वैसे ही निकल गई। इसके ऊपर केबिनेट की जिम्मेदारी है। हुकुमत ने किसी प्रकार का काम नहीं किया। बहुत बुरी हालत हमारे चूरू जिले की है। मैंने जगह जगह भ्रमण करके देखा है। मैं 6 तहसीलों में घूम कर आया हूं और मुझे लोगों ने बतलाया है। रतनगढ़, सरदारशहर और डूंगरगढ़ के लोग 3–4 दिन से मिल रहे हैं। उन्होंने बतलाया है कि इस प्रकार से हालत खराब है। राजगढ़ और तारानगर की यही हालत है। चूरू की भी यही हालत है। लगातार

(श्री मोहरसिंह)

हरिजनों की बस्तियां जिनके लिए आपने पट्टे इश्यू किये। उसके बाद रावतभाटा में जनता के अन्दर कृषकों को कहा गया कि माखरा में जमीन दी जायेगी बसने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार मिनिस्टर्स से कि वे लोग भटिंडा और सिरसा से आगे जा चुके हैं। ज्यादातर हरिजन निकल गये और ज्यादातर दूसरी और तीसरी कोमियत के भाई राजस्थान के दूसरे इलाकों के अन्दर पहुंचे हैं। हमारे जिले का मेरा अनुभव है कि 100 में से कितने ही आदमी अपनी ऊंट गाड़ीयां लेकर कोई जयपुर आ गया, कोई सिरसा चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया और कोई कहीं चला गया। उनके बाद में जो पीछे लोग बचे हैं क्योंकि वे लोग ऊंट लेकर चले गये तो उनके पास कुओं से पीने का पानी निकालने के साधन भी नहीं रहे। आज वहां की जनता पानी के लिए दुःखी है। रतनगढ़ की जनता पानी के लिए दुःखी है। जो साधन थे, पशुधन था यह बटोर करके बाहर चला गया। यह वस्तु स्थिति है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय तब महसूस करेंगे जब कि प्रान्तों से यह सूचना आने लगेगी कि इतने मर गये? भूख से आदमी का मरना मुश्किल है। वे आदमी मरने के बजाय कमजोर हो जायेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर आगे क्या असर होगा?

मुझे राजलदेसर की रिपोर्ट मिली है कि वहां के लोगों को 250 ग्राम अमेरिकन बाइलो, जिसके अन्दर घपला है वह सड़ा गला अनाज उनको मिला है जिसके अन्दर खेजड़ी की लूम काट कर उसको सुखा कर और पीस कर उसको मिला कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। वह भी एक वक्त मिलता है और एक वक्त भूखे सो जायं। यह हालत, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के इलाके की है। कहीं से 50 पर्सेन्ट आदमी चले गये और कहीं से 35 पर्सेन्ट। हरिजन लोग बराबर आ रहे हैं। उसके लिए बार-बार मेमोरेण्डम दिये, जगह–जगह पर मेमोरेन्डम दिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गवर्नमेंट के पास दिये एस. डी. एम. के जरिये, तहसीलदार के जरिये किसान संघर्ष समिति के तहत 12 मांगें रखी गईं उनमें से 3–4 मांगें महान् जरूरी हैं जिनकी तुरन्त ही सुनवाई की जानी चाहिए थी। हमने मेमोरेण्डम भेजे कि राहत कार्य खोले जायं, हमारे यहां पर राहत कार्य का इन्तजाम किया जाय, लेकिन आज तक इन्तजाम नहीं हुआ। एक तरफ तो आप नारा देते हैं समाजवाद का, एक तरफ तो आप नारा देते हैं प्रजातन्त्र का और दूसरी तरफ नारा देते हैं अहिंसा का। यह मुखोटा समाजवाद के साथ साथ प्रजातन्त्र का और अहिंसा का काफी दिनों तक लगाया, और काफी दिनों तक आगे से आगे तारीखें डाली गई कि आगे हम यह करेंगे। तारीखें जैसे ज्युडीशियरी में डालते हैं। 26 वर्ष तक जनता के लिए तारीखें डालीं, लेकिन उसका नतीजा हुआ क्या?

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये जितना मुझे टाइम दिया गया है उसमें बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से डेपुटेशन के जरिये और मेमोरेण्डम के जरिये सारी हालत को पेश किया। जब यह नहीं माने तो आन्दोलन शुरू किया। हमारी पार्टी छोटी है लेकिन छोटी पार्टी को भी जिन्दा रहने का हक है प्रजातन्त्र में, डेमोक्रेसी में,

(श्री मोहरसिंह)

और जो रीजनेबल और लाजिकल बात है वह आकर सदन के बीच में, आपके पास में पहुंचाना चाहते हैं। उन बातों को आन्दोलनों के जरिये भी बतलाया गया लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई और फिर यह कह दिया जाता है कि आप हिंसा करते हैं। मैं विश्वास के साथ में और गम्भीरता के साथ में कहना चाहता हूं कि जो आन्दोलन हमने चलाया तो हिंसा नहीं हुई और जहां हम से बन सका हमने वह किया। हमने घेराव भी किये तो शांतिपूर्वक किये। 14–14 घन्टों का घेराव हमने मिल कर करके दिखाया 115–115 आदमियों के जरये भेज कर हमने चार दफा कोशिश की गिरफ्तार कराने की जिससे कि उन पर कोई असर पड़े कि हमारा इलाका बड़ा दुःखी है। हमारी कोई पोलिटिकल मांग नहीं थी हमने तो नाज मांगा था। दो दफा तो गिरफ्तार किया और उसके बाद गिरफ्तार करना बन्द कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा रास्ता है जिसके जरिये हम अपने मिनिस्टर साहब के कान तक हमारी आवाज पहुंचा सकें कि जनता बहुत दुःखी है और अकाल बहुत भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। हमने अहिंसात्मक ढंग से और शान्तिपूर्वक ढंग से घेराव किया; आन्दोलन किया और जेलों में गये। लेकिन प्रजातन्त्र पर चलने वाली इस हुकुमत ने हमारे साथ क्या किया? हम अहिंसा पर चले और शान्तिपूर्वक घेराव किया कि उसका कुछ आपके ऊपर असर पड़े और हमारे जिले की जनता को फायदा हो। तो उसके बावजूद भी बीकानेर जेल में हमारे साथ क्या हुआ? मुझे साथियों ने बतलाया कि बीकानेर में हमारी छोटी सी मांग थी कि हमारे साथी बीमार हैं तो उनको डाक्टर देख ले और हमारी ठीक भोजन की व्यवस्था हो। वहां पर चोर डाकू भी थे उन लोगों को भड़काया।

उपाध्यक्ष महोदय, जेलों में जिनको सुरक्षित समझा। हमारे साथी जेलों में बंद थे। वहां के अफसरान से डाक्टर की मांग कर रहे थे। तो ले जाकर उन्होंने छड़ों से, रोटी बनाने की सरियों से हमारे साथियों को मारा और कहा कि यह ले लो डाक्टर। उपाध्यक्ष महोदय, 8, 8 टांके आये। उधर किसी ने पुलिस के सी. आई. डी. के सिपाही से कहा। उसने हमारे जो वहां के साथी थे पार्टी के, पूर्णानन्द को कहा। हमारे 6 साथी तो बुरी तरह से घायल हो गये। दूसरे दिन पूरा बीकानेर बन्द रहा। लोग कलेक्टर के पास गये तो उन्होंने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। यह सब कुछ अखबारों में दिया गया है। लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। 9 तारीख से लेकर आज 20 तारीख हो गई है। आज 42 दिन हो जाने के बाद भी हमें पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जगह जगह इस अहिंसावादी सरकार ने ऐसे काम किये हैं जो शोभास्पद नहीं हैं। अलवर में, बाड़मेर में, छात्रावास में। सी. एम. साहब वहां जाते हैं तो नारा लगा कर घेराव किया। उसके बाद उनकी पिटाई हुई। उचित तरीके से और सही ढंग से भी कुछ कर सकते थे।

आज लोगों के पास अनाज नहीं है। अकाल की भयंकर स्थिति हो रही है। जबरदस्त हालत हो रही है। हम किस प्रकार से अपने भावों को प्रकट करें। इधर

(श्री मोहरसिंह)

के पक्ष के 5 एम.एल.ए. और उधर के 5 एम.एल.ए. जाकर देखेंगे। इसमें तो काफी दिन लग जायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से और विचार प्रकट करना चाहता हूं। जो लांछन हमारे ऊपर लगाया गया है, वह हम साफ करना चाहते हैं। दो, दो मिनट में ही अपनी बात कह देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी हालत बढ़ती जा रही है। लोग जा रहे हैं हालत खराब हो रही है। राजस्थान सरकार के दिल में कुछ भी दर्द नहीं है कि हालत क्या हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत हो जाये और राजस्थान सरकार को पता नहीं है। आज हमारी हुकूमत जिस वर्ग के साथ में चल रही है, वह सामन्तवादी और बड़े बड़े केपीटेलिस्ट हैं। यह सरकार उनके साथ में बन्धी हुई है। 26 वर्ष से जिस प्रका की योजनाएं थीं उनसे जो पूंजीपति थे वह और भी पूंजीपति और अरबपति बने हैं, और बन रहे हैं। गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब हुआ है। करोड़पति अरबपति हुआ है। यह पूंजीवादी योजनाएं चलाने का नतीजा है। आज महंगाई बढ़ रही है। बेकारी बढ़ रही है। हमारे चलने के तरीके हैं, वह पूंजीवादी कदम हैं। यह अवाम के खिलाफ है। लेकिन नारा हमारा समाजवादी है। उधर ऐसी जबरदस्त महंगाई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं चौथाई भी नहीं बोल सका हूं। मेहरबानी करें। मैं बहुत जल्दी करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है। अब मैं अकाल के बारे में कहना चाहता हूं। 10 करोड़ का आइटम देते हैं। 14 रु. एक आदमी के ऊपर पड़ता है। उसके बाद आगे क्या चलायेगा। महंगाई का कारण हमारी योजनाएं हैं। एक तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है, 35% के करीब महंगाई बढ़ी है। यह महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, कोई वजह होगी? इसकी वजह यह है कि हमारा आगे चलने का तरीका पूंजीवादी है। बड़े बड़े पूंजीपति हैं, केपीटेलिस्ट हैं, वह हर मामले में, चाहे वह कपड़े का उत्पादन हो, चाहे अनाज का हो, वह अपने मुनाफे के हित में कर लेते हैं, हुकूमत उनके साथ में होती है। इस बात से आज किसान दुखी है। मजदूर दुखी है। हमारा प्रेस किसी प्रकार की आवाज देता है तो पुलिस दमन करती है। मैं पुलिस के दमन के बारे में कहना चाहता हूं। यहां पर कहा जाता है, फलां जगह यह हो रहा है। फलां जगह यह हो रहा है और हमारा काम है, गृह मंत्रीजी से बात करें। मैं गृह मंत्रीजी से बात करके फिर हाउस में लाना चाहता हूं। बून्दी में लाठी चार्ज है। जगह जगह लाठी चार्ज है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज लेण्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आया। कितनी जमीन बांटी गई है। कारण, करीब 56-57 लाख किसान हो सकते हैं और कहीं एक परिवार के पास 213 जमीन है। 67 सही 2 बटे 3 बीघा जमीन है। फिर 25-26 लाख हैं, उनके पास कितनी जमीन है। जो जमीन बांटी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 21 फरवरी, 1975 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

Page No 110

(110)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 50 की सूची)

मीसा के तहत गिरफ्तार तस्करों की सूची

(1) श्री जगन्नाथ शर्मा, निवासी जयपुर—सलाहकार मण्डल द्वारा छोड़ा गया।

(2) श्री शमशेर सिंह निवासी जयपुर।

(3) श्री वेदप्रकाश उर्फ वेदपाल, निवासी श्रीगंगानगर।

(4) श्री मलकियत सिंह, निवासी श्रीगंगानगर।

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

जवाई बांध का पानी

54. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 अक्टूबर, 1974 के दिन जवाई बांध में कितना पानी था ?

(2) उपरोक्त पानी बिना बांध से पम्प किये कितने समय के लिए जोधपुर नगर, पाली नगर और पाली जिले के वे गांव जो इस बांध से इस वर्ष पानी पियेंगे के लिये पर्याप्त होगा ?

(3) वर्तमान रवी की फसल के लिए कितना पानी सिंचाई के लिए दिया जायेगा और शेष बचा पानी बिना पम्प किए उपरोक्त क्षेत्रों के लिए कब तक पर्याप्त होगा ?

उत्तर

(1) 1 अक्टूबर, 1974 को जवाई बांध में लगभग 2730 एम. सी. एफ. टी. पानी था।

(2) उपरोक्त पानी बिना बांध से पम्प किये जोधपुर, पाली नगर व पाली जिले के वे गांव जो इस वर्ष पानी पियेंगे उनके लिये 31 जुलाई, 1975 तक पर्याप्त था।

(3) वर्तमान रवी की फसल के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार 200 एम. सी. एफ. टी. पानी सिंचाई के लिये देना था जो दिया जा चुका है और शेष पानी बिना पम्प किये उपरोक्त क्षेत्रों के लिये 10 जुलाई 1975 तक पर्याप्त होगा।

रिडमलसर मंडी से रायसिंहनगर तक पक्की सड़क का निर्माण

55. श्री बेगाराम (रायसिंह नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि रिडमलसर मंडी से पदमपुर, गंगानगर, रायसिंहनगर तक पक्की सड़क न होने की वजह से किसानों को माल लाने व ले जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

सड़क अभाव में यातायात की कठिनाई स्वाभाविक है। रायसिंहनगर, पदमपुर, गंगानगर डामर सड़क से जुड़े हुये हैं।

जी हां, धन उपलब्ध होने पर निर्माण किया जा सकेगा।

अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

56. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में अकालग्रस्त घोषित गांवों के जिलेवार सूची एवं घोषित तिथि

(श्री विम्मनसिंह भाटी)

दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक जिले में तहसीलवार खोले गये राहत कार्य उन पर लग रहे मजदूरों की संख्या व कार्य किस मद व योजना के अन्तर्गत चल रहा है, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य के घोषित अकालग्रस्त गांवों में से किन किन तहसीलों में अब तक राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये तथा इन तहसीलों में राहत कार्य कब तक खोल दिये जावेंगे ?

(4) राज्य सरकार की अकालग्रस्त जनता को राशन व रोजी देने की क्या योजना है तथा वहां कार्य किस प्रकार चलाये जायेंगे ? श्रमिकों को वेतन कितना व किस एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा ?

(5) राज्य सरकार ने मार्च 75 से अगस्त 75 तक जिलेवार श्रमिकों को कार्य पर लगाने व राशन सप्लाई की व्यवस्था हेतु क्या योजना तैयार कर ली है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

(स्थगित किया गया)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े जिलों को प्राथमिकता

57. श्री जयकिशनलाल सोमानवा (फागी) । क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने सन् 56–57 से लेकर 72–73 तक मूल योजनाओं में विभिन्न जिलों में जिलेवाइज कितना धन व्यय किया ? सदन की मेज पर आंकड़े प्रस्तुत करें।

(2) क्या सरकार पिछड़े हुए जिले में दूसरे जिलों के मुकाबले में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर अधिक व्यय करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य की मूल योजनाओं में व्यय के जिलेवार आंकड़े निम्नांकित हैं। जिलेवार व्यय में राज्य मुख्यालय पर स्थित स्टाक उपकरण तथा ऐसा व्यय जो किसी जिला विशेष को लाभान्वित नहीं करता, इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1971–72 एवं 72–73 के आवंटन के आंकड़े ही सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 1956–57 से 1972–73 तक व्यय

(व्यय करोड़ रुपये में)

जिलों के नाम	व्यय
1. अजमेर	25.91
2. अलवर	17.94
3. बांसवाड़ा	8.82
4. बाड़मेर	6.01
5. भरतपुर	35.02
6. भीलवाड़ा	19.49
7. बीकानेर	52.19
8. बूंदी	16.18
9. चित्तौड़गढ़	18.44
10. चूरू	9.76
11. डूंगरपुर	6.84
12. गंगानगर	90.93
13. जयपुर	71.41

(योजना मंत्री)

14.	जैसलमेर	48.52
15.	जालोर	5.95
16.	झालावाड़	10.36
17.	झुन्झुनू	12.74
18.	जोधपुर	27.22
19.	कोटा	64.58
20.	नागौर	13.53
21.	पाली	15.54
22.	सवाई माधोपुर	14.54
23.	सीकर	14.09
24.	सिरोही	7.25
25.	टोंक	9.70
26.	उदयपुर	42.48
	जिलों का कुल व्यय	644.44

राज्य मुद्रणालय पर स्थित स्टाक प्रकरण तथा ऐसा व्यय जो किसी जिले में शामिल नहीं किया गया है:—

	49.10
कुल 1956 से 1972 तक व्यय	695.54

(2) केवल उपरोक्त आंकडे किसी जिले के विकास के तुलनात्मक अध्ययन के लिए न तो पर्याप्त हैं और न उपयुक्त। पांचवीं पंचवर्षीय योजना को राज्य के विभिन्न भागों के पिछड़ेपन एवं विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के भुगतान से विकास के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम जैसे Drought Prone Area Programme तथा राज्य के जन जाति क्षेत्र के लिए एक एकीकृत योजना का क्रियान्वयन भी प्रस्तावित है। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों का विकास उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए एवं उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।

कोटपूतली क्षेत्र में लाइम स्टोन का भण्डार

58. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली में लाइम स्टोन का काफी भण्डार उपलब्ध है? यदि हां, तो इसमें कितना क्षेत्र खनन पट्टे पर दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि बहुत सा क्षेत्र अभी तक खनन पट्टे पर नहीं दिये जाने के कारण सरकार को काफी राजस्व हानि हो रही है?

(3) क्या यह सही है कि लाइम स्टोन के पर्याप्त भण्डार होने के कारण इस क्षेत्र को सीमेन्ट उद्योग के लिये उपयुक्त माना गया है? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां। इसमें से आठ वर्गमील का क्षेत्र दो खनन पट्टों पर स्वीकृत है।

(2) शेष उपलब्ध क्षेत्र के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। विभाग द्वारा जिस क्षेत्र को आरक्षित कर सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन प्रूव किया था उसको रिक्त घोषित कर

(खनिज मंत्री)

पुन: अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, जो प्राप्त हो चुके हैं और राज्य सरकार के विचाराधीन है।

करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

59. श्री **चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शिक्षा विभाग में करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी सहायक अध्यापक के खिलाफ छात्रों को शराब पिलाने, शिकार में साथ ले जाने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई ?

(2) क्या किसी अध्यापक ने भोला नाथ आश्रम छात्रावास में शराब व मांस की दावतें करके विभागीय नियमों का उल्लंघन किया व आश्रम की शर्तों के प्रतिकूल आचरण करके पवित्रता को नष्ट किया है ?

(3) क्या यह सही है कि इन्होंने एक प्राइवेट छात्र द्वारा शराब न लाकर देने पर बोर्ड को निराधार शिकायत कर उसका परीक्षा परिणाम रुकवाने की चेष्टा की ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सहायक अध्यापक इस प्रकार की आचरणहीन कार्यवाहियां करते हुए भी गत 12 वर्षों से इसी कस्बे की इसी स्कूल में है और हर साल परीक्षाफल को नाजायज रूप से प्रभावित करके व्यक्तिगत रंजिश से छात्रों को अनुत्तीर्ण करके उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं ?

(5) क्या उक्त अध्यापक द्वारा की गई नाजायज हरकतों के खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं की तो क्यों ?

(6) क्या सरकार किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पुन: जांच कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी प्राथमिक जांच कर ली गई है।

(3) इस अध्यापक ने 1973 की बोर्ड की परीक्षा में 5 छात्रों के खिलाफ लिखा। बोर्ड ने परीक्षा फल रोक कर जांच की और बाद में परीक्षा फल घोषित कर दिया।

(4) यह सही है कि अध्यापक वहां दिनांक 28-8-61 से कार्यरत है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि अध्यापक ने वार्षिक परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन दोषपूर्ण किया है।

(5) जी हां। उक्त अध्यापक के ऊपर शिकायतकर्ता के द्वारा लगाये गये आरोपों की प्राथमिक जांच विद्यालय निरीक्षक, बीकानेर ने की था। इस पर अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

(6) पुन: जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य परिवहन निगम बस स्टेशन, अजमेर पर यात्रियों को सुविधाएं

60. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में राजस्थान राज्य परिवहन निगम बस स्टेशन पर महिला विश्राम गृह व पुरुष एवं महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बना हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टेशन पर सार्वजनिक नल पानी पीने के लिए नहीं है?

(3) क्या सरकार जनता की सुविधा हेतु उपरोक्त सुविधाओं की व्यवस्था शीघ्र करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। लेकिन यात्रियों के लिये पीने के पानी की सुविधा हेतु प्याऊ स्थापित कर रखी है।

(3) निगम द्वारा अन्य स्थान पर बस स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। नये बस स्टेशन का निर्माण हो जाने पर यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों का स्थायीकरण

61. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वाणिज्यिक कर विभाग में कुछ समय पूर्व सहायक वाणिज्य कर अधिकारी स्थाई किये गये हैं? यदि हां, तो उनमें कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उपरोक्त कार्यवाही के केस कमिश्नर के ध्यान में थे? यदि हां, तो फिर उन्हें अभी तक क्यों दवाया गया?

(3) क्या यह सही है कि श्री वी. के. वैजल, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी को घूस के अपराध में निलम्बित किया गया है?

(4) क्या यह केस उसके स्थाई किये जाने से पूर्व कार्यवाही में था? यदि हां, तो उसे स्थाई कैसे किया गया?

(5) क्या उससे उन लोगों के साथ जुर्म नहीं हुआ जो बिना अपराध पदावनत कर दिये गये? अब पदावनत लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 2-8-73 तक किसी सम्बन्धित सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच की कार्यवाही सी. सी. ए. रूल्स के तहत नहीं चल रही थी।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। दिनांक 10-9-1974 को निलम्बित किया गया है।

(4) उस समय यह मामला प्रारम्भिक जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजा गया था।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 116

(116)

जिला भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा में किडनेपिंग के मामले

62. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भरतपुर, सवाईमाधोपुर और कोटा में 1974 में कुल कितने किडनेपिंग के केस किस किस थाने में दर्ज हुए ? ब्यौरेवार बताने की कृपा करें।

(2) उक्त किडनेपिंग केसों में से कितने को छुड़ाने में पुलिस कामयाब रही तथा किडनेप किये बच्चों को डाकुओं से उनके घर वालों ने रुपया देकर छुड़ाने के कितने केस हुए ?

उत्तर

(1) सन् 1974 में जिला भरतपुर में 10 अभियोग, जिला सवाई माधोपुर में 3 अभियोग डकैतों द्वारा किडनेपिंग के पंजीबद्ध हुये। जिला कोटा में इस प्रकार का कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। जिन जिन थानों में उक्त अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) उठा कर ले गए 13 व्यक्तियों में से 8 को पुलिस ने डाकुओं से छुड़ाया, तीन स्वयं छूट कर आ गए, एक को डाकू छोड़ गए तथा एक को गांव वालों ने छुड़ा लिया। जिला भरतपुर के एक अभियोग में उठाए गए व्यक्ति के घर वालों द्वारा धन राशि देकर छुड़ाने की सूचना मिली है।

Page No 117

स्टेटमेंट अपराध किडनेपिंग जिला भरतपुर के विभिन्न थानों में सन् 1974 में दर्ज हुये ।

नं.क्र.	मु. नं. ता. व धारा	थाना	अपहरण व्यक्तियों का नाम	छुड़ाया गया	नतीजा	विशेष विवरण
1	2 3 4	5	6	7	8	9
1.	23,7-3-74,365 ता. हि.	[illegible]	मोहरसिंह	पुलिस ने छुड़ाया	चालान	बिना धनराशि
2.	35,6-4-74,365 ता. हि.	,,	बिजेन्द्र सिंह	,,	,,	,,
3.	26,8-1-74,363 ता. हि.	मनिया	नरेश उर्फ पप्पू	आ गया	एफ. आर. अदमवकूआ	,,
4.	64,7-3-74,365 ता. हि. 307,302,148	धौलपुर	तेजसिंह	पुलिस ने छुड़ाया	चालान	,,
5.	12,30-5-74,365 ता. हि.	वसई	विश्म्भर दयाल	,,	चालान	,,
6.	82,12-6-74,365,307, 395,397 ता. हि.	बाड़ी	प्रहलाद सिंह	,,	अदमवकूआ	,,
7.	15,12-6-74,394,397, 342 ता. हि.	गठोवाजना	राम खिलाड़ी, रामदयाल	,,	चालान	,,
8.	208,28-8-74,365,392 ता. हि.	धौलपुर	नरेश पुत्र जगन्नाथ	,,	चालान	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	75,	14–9–74,	365 ता. हि.	सरमथुरा	जगदीश पुत्र गंगाप्रसाद वैश्य नि. नदनपुर	छूटकर आ गया	जैर तफतीश	धनराशि घर वालों ने दी
10.	114,	22–12–74,	365 ता. हि.	संवर	राम सहाय	छुड़वाया गया पुलिस द्वारा	जैर तफतीश	बिना धनराशि के
					जिला सवाई माधोपुर			
1.	182,	30–10–74,	365, 242 ता. हि.	करौली	राम प्रकाश एच. सी. आर. ए. सी. प्रथम बटालियन	छोड़ा गया	जैर तफतीश	,,
2.	49,	7–9–74,	365 ता. हि.	मासलपुर	सूरजमल	आ गया	एफ. आर. अदमपता 25–12–74	,, ,,
3.	30,	24–6–74,	365, 307 ता. हि.	मन्ड्रायल	मनीराम व चेनू मीणा	गांव वालों ने छुड़ाये	चालान अन्तर्गत धारा 299 जा. फौ.	,, ,,

हरसोरा बांध (अलवर) की तामीर का कार्य

63. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि हरसोरा बान्ध (जिला अलवर) की तामीर का कार्य रोक दिया गया है? यदि हां, तो किस कारण से? और अब वह निर्माण कार्य कब तक चालू हो जायेगा?

उत्तर

जी हां। अस्थाई रूप से। पूर्व प्रस्तावित वेस्टवियर के डिजाइन पर पुनर्विचार करना आवश्यक समझा जाने के फलस्वरूप कार्य को बन्द करवाया गया है। इस डिजाइन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं स्वीकृति होते ही शीघ्र कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा

झालावाड़ शहर में आयुर्वेद चिकित्सालय में वैद्य एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी का पद

64. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ शहर में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय 'ए' श्रेणी का है?

(2) क्या इस चिकित्सालय में सहायक वैद्य बहुत अर्से से नहीं है एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी का पद भी काफी अर्से से खाली पड़ा है?

(3) क्या यह सही है कि बार बार मांग करने पर भी इन जगहों को भरने हेतु राज्य सरकार की ओर से रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो अब कब तक इन पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चिकित्सालय में वैद्य का पद रिक्त नहीं है, जिला आयुर्वेद अधिकारी का पद रिक्त था, जो भर दिया गया है।

(3) जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर भी नियोजन कर दिया गया है।

परिशिष्ट—3

(ता. प्र. सं. 44 की सूची)

LIST OF SCHEDULED CASTE EMPLOYEES PROMOTED BY DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE AFTER 3-10-1973.

S.No.	Name of Deptt.	Name of Service	Cadre/Class	No. of S. C. Selected
1.	Chief Accounts Officer, Jaipur.	Rajasthan Subordinate Accounts Service.	Accountants.	6 (Promoted as A.A.O.)
2.	Collector, Chittorgarh.	Ministerial Service.	Lower Division Clerk.	1 (Promoted as U.D.C.)
3.	Chief Engineer, P. W. D. (B.&.R.) Jaipur.	Engineering Service.	Assistant Enigneer.	1 (Promoted as Executive Engineer.)
4.	Registrar, Co-operative Societies. Jaipur.	Co-operation Service.	Assistant Registrar.	2 (Promoted as Deputy Registrars)
5.	Director, Industries. Jaipur.	Ministerial Service	Lower Division Clerk.	1 (Promoted as U.D.C.)

121

परिशिष्ट 4

(प्र. ता. प्र. सं. 13 की सूची)

विरुद्ध मुकद्दमात सरकार थाना असनावर जिला झालावाड़ सन् 1974

नं. 1	शु मु. नं. 2	ता. 3	व धारा 4	नाम थाना 5	नाम फरयादी 6	नाम मुलजिमान 7	नतीजा मुकद्दमा 8
1.	18,	18–4–74,	379 ता. हि.	असनावर	राजाराम झालावाड़	कालू चमार	चालान
2.	41,	20–8–74,	379 ता. हि.	,,	,,	दुर्गाशंकर	चालान
3.	63,	30–8–74,	379 ता. हि.	,,	देवदास	हरकचन्द	चालान
4.	70,	3–10–74,	380 ता. हि.	,,	रामनारायण	केसरीलाल गूजर	अदम वकुआ
5.	72,	29–10–74,	380 ता. हि.	,,	राधेश्याम/राव	नामालूम	अदम वकुआ
6.	75,	23–10–74,	379 ता. हि.	,,	बालचन्द सुनार	राजाराम	अदम वकुआ
7.	76,	25–10–74,	379 ता. हि.	,,	डाक्टर अमरनाथ	नामालूम	अदम वकुआ
8.	84,	27–11–74,	379 ता. हि.	,,	भंवरलाल मेहर	नंदा प्रताप, केशरी राम	चालान
9.	87,	3–12–74,	379 ता. हि.	,,	मदनलाल	नामालूम	अदम वकुआ
10.	88,	4–12–74,	379 ता. हि.	,,	प्रभू	नारायण कलाल	चालान
11.	94,	15–12–74,	379 ता. हि.	,,	मोती	श्रीराम चमार.	जेर तफतीश

लिस्ट मुकदमात सरका मवेशी थाना असनावर जिला झालावाड़ सन् 1974

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30,	23–5–74,	379 ता. हि.	असनावर	कंवरलाल परवामीम	लक्ष्मीनारायण	चालान
2.	48,	18–7–74,	380 ता. हि.	"	पन्ना धोबी	जगन्नाथ, महताब वगैरा	चालान
3.	49,	19–7–74,	379 ता. हि.	"	छीतरलाल गूजर	नारायण भील	चालान
4.	55,	4–8–74,	379 ता. हि.	"	नरेश गूजर	कंवरलाल भील	चालान
5.	70,	10–11–74	379 ता. हि.	"	रामप्रताप	मंगला, रतन, रामसिंह वगैरा	जेर-तफतीश

परिशिष्ट 8

अता. प्र. सं. 18 की सूची

(सूची—ख)

क्रमांक	नाम सड़क	लम्बाई	कार्य आरम्भ का दिनांक	व्यय की गई धनराशि	सड़क निर्माण जो पूर्ण हुआ।
1.	पदमपुर बुड़ा जोहड़	21 किलोमीटर	14–3–71	8,59,435) रु.	0/0 से 5/0 तक कामा कुटाई का कार्य पूरा हो चुका है।
2.	करनपुर गजसिहपुर	20.5 किलोमीटर	30–11–72	5,11,000) रु.	स्वीकृत 5 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है।

Page No 124

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं. 19 की सूची)

सूची 'अ'

क्र.सं.	सामान जो चोरी हुआ	स्थान जहां से चोरी हुआ	चोरी होने की तारीख	पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख	चोरी शुदा सामान का अनुमानित मूल्य	माल बरामदगी की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ताम्बे का तार (35 किलोग्राम)	रतनगढ़	19-12-70 (रात्रि)	22-12-70	700/-	माल बरामद नहीं हुआ।	पुलिस ने जांच के बाद माल व मुलजिम का पता न चलने से इसमें अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई। प्रारम्भिक विभागीय जांच से श्री मोतीलाल इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर को दोषी पाया गया था। सामान की उचित व्यवस्था व देखभाल नहीं करने के दोष में श्री मोतीलाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और उन्हें दिनांक 1-2-75 के आदेश से "सेन्सर" किया गया।

2.	300 फीट 3 कोर फ्लेगजिबिल केबल्स	रतनगढ़	2–10–71	3–10–71	7,500/–	,,	इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद माल व मुलजिम का पता न चलने से इसमें अन्तिम रिपोर्ट दे दी थी। चोरी के दिन ड्यूटी पर तैनात श्री शोकत अली, चौकीदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उनकी 2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोक दी गः है।
3.	25-26 फीट 31-/2 कोर कोपर केबल्स	रतनगढ़	24–11–71	25–11–71	650/–	सामान बरामद हो गया है जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़ के न्यायालय के नियंत्रण में है।	पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर विद्युत् मण्डल का कोई भी कर्मचारी इस मामले में जिम्मेदार नहीं पाया गया। पुलिस ने श्री मानसिंह व श्री घासीराम के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था। वे विद्युत मण्डल के कर्मचारी नहीं हैं। मुकद्मा अभी गोर तजवीज है।
4.	285 किलोग्राम जी.आई. वायर.	श्री डूंगरपुर बजरंगसर लाइन	मार्च, 73	23–3–71	500/–	माल बरामद नहीं हुआ।	पुलिस ने जांच के बाद माल व मुल्जिम का पता न चलने से इसमें अन्तिम रिपोर्ट दे दी थी। विभागीय जांच के पश्चात् भी कोई भी कर्मचारी उक्त चोरी के लिये जिम्मेदार नहीं पाया गया। अतः इस मामले को समाप्त कर दिया गया है।

(20)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्र. सं. 20 की सूची)

सूची (अ)

क्र. सं.	नाम जिला	जिलेवार आवंटित धनराशि (लाखों में)
1	2	3
1.	जयपुर	28.10
2.	अलवर	11.60
3.	भरतपुर	26.60
4.	सवाईमाधोपुर	26.65
5.	सीकर	8.88
6.	झुंझुनूं	11.65
7.	अजमेर	3.78
8.	टोंक	4.45
9. 10.	कोटा बूंदी	44.56
11.	झालावाड़	6.38
12.	उदयपुर	12.16
13.	चित्तौड़गढ़	17.25
14.	भीलवाड़ा	8.60
15.	बांसवाड़ा	11.90
16.	डूंगरपुर	7.15
17.	जोधपुर	20.30
18.	पाली	7.70
19.	नागौर	11.58
20.	बाड़मेर	4.00
21.	जैसलमेर	2.63
22.	जालोर	6.68
23.	सिरोही	2.60
24.	बीकानेर	14.89
25.	चूरू	7.15
26.	श्रीगंगानगर	36.52
	योग	343.26

Page No 127

(127)

सूची ब

1. सांगरिया टी. बी. रोड़
2. नोहर फोफाना रोड (हरियाणा सीमा तक)
3. डबरी शेरडा रोड
4. रोरनवाली से जोरकिन
5. किशनपुरा से रसूवाला
6. सूरतगढ़ हनुमानगढ़ वाया बरोपाल
7. हिन्दूमल कोट से सीमा तक लिंकिंग अबोहर फाजिल्का सड़क
8. पदमपुर बूढ़ा जोहर रोड
9. बी. टी. एप्रोच रोड डाबन से सूरतगढ़
10. एप्रोच रोड भामर खेडा से सरदारपुरा
11. ,, जैतसर रेल्वे स्टेशन से फार्म सीमा तक
12. विजयनगर रजियासा रोड किलोमीटर 0.0 से 40.0
13. घरसाना बेरीवाल रोड किलो मीटर 0.0 से 38.0
14. हनुमानगढ़ सूरतगढ़ वाया बरोपाल
15. टिब्बी छाइया रोड कि.मी. 0.0 से 33.6
16. किशनपुरा एप्रोच रोड
17. भरवांवली रावतसर रोड

परिशिष्ट 8

(प्रता. प्र. सं. 21 की सूची)

सूची–अ

तहसील कोटपूतली में वर्ष 1972 से 73 व 74 से 75 तक स्वीकृत अकाल राहत एवं केश योजना सड़कों की सूची।

अकाल राहत सड़क	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1. पुतली से दादूका	2,10,000) रु.	19,262) रु.
2. नरेड़ा से सुरूलावास	1,80,000) रु.	7,766) रु.
3. नरेड़ा से हरियाणा बोर्डर	4,50,000) रु.	42,421) रु.
4. कांसली एप्रोच रोड	49,000) रु.	21,580) रु.
केश योजना		
रिमेटलिंग कोटपूतली डाबला सड़क कि. मी. 6.4 से 15.0 कि. मी.	72,500) रु.	72,500) रु.

परिशिष्ट 9

(प्रता. प्र. स. 23 की सूची)

क्र.सं.	क्षेत्र जिसमें स्थान स्थित है	खनिज का नाम	खनिज की निकासी
1.	जामसर, लूणकरणसर, मरू एवं खालनी	जिप्सम	1,5 लाख टन
2.	लूणकरणसर	मेलेनाइट	10,272,70 टन
3.	कोलायत	चायनाक्ले	14,784,00 टन
4.	कोलायत	फायरक्ले	43,057,800 टन
5.	कोलायत	सफेद मिट्टी	42,763,00 टन
6.	कोलायत	राती एवं पीली मिट्टी	1,912,120 टन
7.	कोलायत	ग्लास सेन्ड	2,124,430 टन
8.	कोलायत	मुलतानी मिट्टी	4,160 710 टन
9.	बीकानेर एवं चूरू जिला	ईंट मिट्टी	3,23 लाख टन
10.	बीकानेर, नोखा एवं रनधीसर इत्यादि	कंकर, बजरी एवं ग्रिट	3,00 लाख टन
11.	दावा सिलवा	चूना पत्थर	17,098,000 टन

130

शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या	पंक्ति सं.	स्कम्भ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	नीचे से 9	10	श्र गार	शृंगार
2.	ऊपर से 14	13	स्मेल्टर	स्मेल्टर से
3.	ऊपर से 14	13	चोरी गई	चुराये गये
4.	नीचे से 14	13	चो ी	चोरी नहीं की
5.	नीचे से 11	31	मागले	मामले
6.	ऊपर से 2	32	क्लोजर	क्लोजर
7.	नीचे से 6	38	अध्यक्ष	अध्यक्ष
8.	ऊपर से 2	50	चुन्नीसाल	चुन्नीलाल
9.	ऊपर से 7	51	सीसिद	द्वितीय
10.	ऊपर फोलियों में	66	अयक्षीय	अध्यक्षीय
11.	ऊपर से 9	80	होती	होता
12.	ऊपर से 3	83	भार्गव	भार्गव
13.	नीचे से 16	86	अशोभनीय	अशोभनीय
14.	नीचे से 15	86	व्यवहार	व्यवहार
15.	ऊपर से 18	92	सदस्य :	सदस्य
16.	ऊपर से 13	99	दिया	–
17.	ऊपर से 18	114	आदि	–
18.	ऊपर से 11	128	–चोत	–चीत
19	नीचे से 2	130	वह	वहां
20.	नीचे से 9	133	पोलिटिक्स	पोलिटिकल
21.	नीचे से 10	143	उपेक्षित	अपेक्षित
22.	नीचे से 14	148	इतनी है	इतने हैं
23.	नीचे से 12	148	वरदास्त	वरदाश्त
24.	ऊपर से 8	149	सुमित्रा	सुमित्रा सिंह
25.	ऊपर से 10	149	–शोरगुल–	–
26.	ऊपर से 6	150	इम्पेसेन्स	इम्पेसेंट
27.	ऊपर से 10	150	कन्टीजेंसी	कन्ट्यूजन्स
28.	ऊपर से 6	152	(शोरगुल–	(

क्रम संख्या	पंक्ति सं.	स्कम्भ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
29.	ऊपर से 17	153	कन्वीस	कन्वीन्स
30.	ऊपर से 5	155	20 फरवरी, 1975	–
31.	ऊपर से 13	159	yes	"A yes"
32.	नीचे से 7	162	किया है, ।	किया है
33.	ऊपर से 12	179	डिफरसीएशन	डिफरेन्सिएशन
34.	ऊपर से 12	180	परिस्पेक्टव्ज	पर्सपेक्टिव्ज
35.	नीचे से 13	181	अमेरिकात	अमेरिकन
36.	ऊपर से 8	182	अवकनिग	अवेकनिग
37.	नीचे से 2	182	इन्द्रा जी	इं[illegible]जी
38	नीचे से 1	182	इन्द्रा	इन्द[illegible]
39.	ऊपर से 13	183	उनका ।	उनका ?
40.	नीचे से 16	183	सोवंनटी	सावरेनिटी
41.	नीचे से 4	183	उन्होंने	है उन्होने
42	नीचे से 1	184	लोगों का	लोगों के
43.	ऊपर से 12	191	कास्ट	कास्ट और
44.	नीचे से 11	191	वही अनाज	–
45.	नीचे से 12-13	191	वह ही	वही
46.	नीचे से 1	195	उनकी	उनको
47.	ऊपर से 4	196	वर्क्स	वर्कर्स
48.	ऊपर से 5	198	विश्नोई··	विश्नोई ।
49.	नीचे से 14	198	मालुम	मालूम
50.	नीचे से 3	210	खबरा	खराब
51.	नीचे से 2	227	आवश्यक	आवश्यकता